

v/; k; & III

3. | ॥; ogkjka ds ys[kk i j h{kk i gk.k

इस अध्याय में राज्य की सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों द्वारा किये गये संव्यवहारों की नमूना जाँच के दौरान पाये गये महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा प्रेक्षण सम्मिलित हैं।

| j dkjh dEi fu; kj

mRrj i ns k jkt dh; fuek k fuxe fyfeVM

3.1 vf/k'ksk fuf/k; ka dk foodghu ccl/ku

pkyw [kkrkka ds | kfk vkvksLohi | fo/kk dk ykhh u mBku] fQDLM fMi kltV e; vi; Dr fuf/k; ka dk mPp njka ij fuosk u djuk rFkk pkyw [kkrs dks c;kd j [kdj ml ds fo:) fu"iknu cld xkjvh iklr djus ds dkj.k dEiuh dks ₹ 31-27 djkm+ds C; kt dh gkfu ogu djuh i MHA

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड (कम्पनी) द्वारा विभिन्न सरकारी विभागों के निर्माण कार्यों को निक्षेप कार्य के आधार पर निष्पादित किया जाता है। निक्षेप कार्यों के निष्पादन के लिए सरकार द्वारा निगम को अग्रिम निधियाँ प्रदान की जाती हैं। सामान्यतः कम्पनी के पास निक्षेप कार्य हेतु प्राप्त, प्रचुर मात्रा में अप्रयुक्त धनराशि रहती है। इन अप्रयुक्त धनराशियों को या तो मुख्यालय या इकाईयों के बैंक खातों में रखा जाता है।

एक कुशल और प्रभावी निधि प्रबन्धन प्रणाली व्ययों की पूर्ति में पर्याप्त तरलता और ब्याज आय को बढ़ाने के लिए अधिशेष धनराशि को उपयुक्त संसाधनों में निवेश को सुनिश्चित करती है।

हमने कम्पनी के अप्रैल 2009 से मार्च 2013 की अवधि के अप्रयुक्त/अधिशेष धनराशि के प्रबन्धन की जाँच की और विभिन्न कमियाँ देखी जिसकी चर्चा अनुवर्ती प्रस्तरों में की गई है।

3.1.1 pkyw [kkrkka e; vkvks Lohi | fo/kk dk ykhh u mBku]

बैंक चालू खातों पर ब्याज प्रदान नहीं करते हैं। लेकिन बैंक, ग्राहकों के आग्रह पर, चालू खातों में पड़े अधिशेष धन को सावधि जमा के रूप में स्वतः निवेश करने के लिए आटोस्वीप सुविधा प्रदान करते हैं। जब आसन्न व्यय को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता होती है तब यह सावधि जमा को स्वतः नगदीकरण की भी अनुमति देता है। चालू खातों से सावधि जमा में हस्तान्तरित राशि पर 2.75 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज प्रदान किया जाता है। चालू खाते से सावधि जमा को हस्तान्तरण के लिए प्रारंभिक सीमा दो लाख है और दो लाख की औसत तिमाही बैलेंस चालू खाते में बनाए रखना पड़ता है।

हमने देखा कि कम्पनी द्वारा 29 चालू बैंक खातों पर बैंक द्वारा प्रदत्त आटोस्वीप सुविधा का लाभ नहीं उठाया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 26.71 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

3.1.2 फिनस्ट डिपॉजिट में कम दरों पर निधियों का निवे;

सामान्य वित्तीय विवेक के अनुसार, कम्पनी को बैंकों में अल्प अवधि निक्षेपों पर अधिकतम प्रतिफल हेतु अधिशेष धन के निवेश के लिए एक नीति बनानी चाहिए तथा एक प्रणाली स्थापित करनी चाहिए।

हमने देखा कि कम्पनी ने अधिशेष निधि के निवेश के लिए कोई नीति निर्धारित नहीं की थी। कम्पनी ने अधिकतम प्रतिफल सुनिश्चित किए बिना मनमाने तरीके से अधिशेष निधि

का निवेश किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.16 करोड़ की हानि हुई जिसकी चर्चा निम्न की गई है:

- कम्पनी द्वारा लखनऊ मुख्यालय में मार्च 2010 से जून 2012 की अवधि के दौरान उन ब्याज दरों पर, जो इसके द्वारा अन्य फिक्स्ड डिपॉजिट पर उसी/पूर्व दिनों में अर्जित की जा रही ब्याज दरों से कम थी, विभिन्न बैंकों में 23 फिक्स्ड डिपॉजिट में ₹ 231.46 करोड़ की धनराशि का स्थायी निवेश किया गया। फिक्स्ड डिपॉजिट को कम ब्याज दरों पर निवेश के परिणामस्वरूप ₹ 62.94 लाख के ब्याज की हानि हुई।
- कम्पनी द्वारा क्रमशः 9.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष और 9.25 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर 16 मार्च 2011 और 17 मार्च 2011 को दो बैंकों¹ में एक वर्ष के लिए पाँच फिक्स्ड डिपॉजिट में ₹ 68.96 करोड़ की धनराशि का निवेश किया गया। हमने देखा कि कम्पनी को 10 करोड़ और उससे अधिक के फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए इलाहाबाद बैंक, हुसैनगंज शाखा, लखनऊ से 10.15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर प्रस्ताव प्राप्त (11 मार्च 2011) हुआ था। इस अवधि के दौरान उच्च ब्याज दरों का ज्ञान होने के बावजूद कम्पनी ने इलाहाबाद बैंक सहित अन्य बैंकों से फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज दरों का प्रस्ताव आमन्त्रित नहीं किया। इस प्रकार, निम्न दर पर निवेश के कारण, कम्पनी को ₹ 52.56 लाख के ब्याज की हानि हुई।

3.1.3 अनुचित भार्ती पर बैंक गारन्टी

कम्पनी द्वारा निष्पादित किये जा रहे निविदा कार्यों के सम्बन्ध में, संविदा अनुबन्ध के नियम एवं शर्तों के अनुसार यह आवश्यक होता है संविदा के अधीन अपने दायित्व की पूर्ति के लिए ग्राहकों को निष्पादन बैंक गारन्टी प्रदान की जाये। सामान्यतः कम्पनी बैंक से फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद (एफडीआर) के बन्धक के विरुद्ध इन बैंक गारन्टियों को प्राप्त करती है, जिससे गारन्टी अवधि के दौरान अवरुद्ध धनराशि पर ब्याज अर्जित होता रहे।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) को अस्पताल के कार्यों के सम्बन्ध में, 12 जनवरी 2011 तक प्रभावी अवधि के लिए जिसे बाद में 12 जनवरी 2012 तक विस्तारित किया गया, कम्पनी द्वारा बैंक ऑफ इण्डिया, निराला नगर शाखा, लखनऊ से कम्पनी के चालू खाते में ₹ 21.96 करोड़ की धनराशि के बराबर राशि के गिरवीं (बन्धक) के विरुद्ध तीन बैंक गारन्टी प्रदान (13 अगस्त 2009) की गयी। आवश्यक निधि का चालू खाते की राशि से फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश करके तत्पश्चात उस फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद के बन्धक के विरुद्ध बैंक गारन्टी के बजाय, ₹ 21.96 करोड़ को चालू खाते में बन्धक रखने के कारण कम्पनी की यह निधि 13 अगस्त 2009 से 12 जनवरी 2012 की अवधि तक के लिए बिना ब्याज अर्जित किए अवरुद्ध रही। जिसके परिणामस्वरूप इस अवरुद्ध धनराशि पर ₹ 3.40 करोड़² का ब्याज अर्जित नहीं हुआ।

प्रकरण शासन एवं प्रबन्धन को प्रतिवेदित किया गया (अक्टूबर 2013); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (दिसम्बर 2013)।

3.2 mi &Bdnlkjka dks vfoodi wkl ekscykbtsku vfxe i nku djuk

dEi uh us Hkfe dli mi yCkrk@vi f{kr vuoknu | fuf' pr fd; sfcuk ₹ 138.01 djkm+ dk C; kt ePr ekscykbtsku vfxe tkjh djds mi &Bdnlkjka dks vuifpr ykk i gpk; kA

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड (कम्पनी) को कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) की ओर से लागत प्लस सेन्टेज के आधार पर पाँच कार्य³ प्रदान किये गये

¹ ओरिएन्टल बैंक ऑफ कॉर्स— ₹ 30.96 करोड़ और पंजाब नेशनल बैंक— ₹ 38.00 करोड़।

² अल्प अवधि जमाओं पर पूर्व प्रचलित ब्याज दर, 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज पर गणना की गई।

³ लेखा परीक्षा में देखे गये।

जिनको कम्पनी द्वारा निविदाएँ आमन्त्रित करके बैंक-टू-बैंक आधार पर विभिन्न उप-ठेकेदारों के साथ उप-अनुबन्ध करके सौंप दिया गया।

ईएसआईसी के साथ कम्पनी द्वारा दिये गये अनुबन्ध की नियम एवं शर्तें यह प्रावधानित करते हैं कि संविदा अनुबन्ध पर हस्ताक्षर तथा बैंक गारन्टी प्राप्त होने के बाद ईएसआईसी द्वारा कम्पनी को संविदा मूल्य का 10 प्रतिशत ब्याज मुक्त मोबिलाइजेशन अग्रिम का भुगतान किया जायेगा। कम्पनी द्वारा उप-ठेकेदारों को ब्याज मुक्त मोबिलाइजेशन अग्रिम उपलब्ध कराने के लिये समान प्रावधान कम्पनी द्वारा उप-ठेकेदारों के साथ किये गये अनुबन्ध में सम्मिलित किया गया था।

ईएसआईसी द्वारा कम्पनी को निर्गत आशय-पत्र (एलओआई) यह प्रावधानित करता है कि कार्य प्रारम्भ से पूर्व सम्बन्धित राजकीय प्राधिकरणों⁴ से आवश्यक अनुमति प्राप्त⁵ कर ली जाये। लेकिन ईएसआईसी एवं कम्पनी द्वारा अनुबन्ध में, स्थानीय निकायों से आवश्यक स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त होने तक मोबिलाइजेशन अग्रिम प्रदान किये जाने पर प्रतिबन्ध सम्बन्धी कोई समतुल्य उपबन्ध नहीं शामिल किया गया।

चूँकि विभिन्न कार्यों का प्रारम्भ होना अन्य घटकों पर निर्भर करता था जैसे भूमि की उपलब्धता तथा सम्बन्धित राजकीय प्राधिकरणों से आवश्यक अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त किया जाना, अतः कम्पनी को, सामान्य वित्तीय विवेक के अनुसार, मोबिलाइजेशन अग्रिम तभी प्रदान करना था जबकि यह आश्वासन हो जाए कि सम्बन्धित मुद्रदे हल हो गये हैं तथा मोबिलाइजेशन अग्रिम प्रदान किये जाने के बाद तत्काल या निकट भविष्य में कार्य प्रारम्भ हो सकता है।

उप-ठेकेदारों को मोबिलाइजेशन अग्रिम प्रदान किये जाने, कार्यस्थल के समाशोधन की तिथि/स्थायी निकायों का अनुमोदन और कार्य के प्रारम्भ की वास्तविक तिथि का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है।

| k; k | ; k 3-1

(dk; l; k; k; k; k; k; k; k; k)

Qe ; k	dk; l dk ulk	mi &Bdnkj dk ulk	mi &Bdnkj l svucl/k dk frffk	mi &Bdnkj dk , e, ⁶ tkjh djus dk frffk	mi &Bdnkj dk tkjh dh x; l , e, ⁶ dh /kujlk k	Lfkuh; fudk; lk l s dk; Lfky dh Lohdfr@vupknu dk frffk /oyfc ekg ek	dk; l i k; k dh frffk	dk; l i k; k gkus , a, e, ⁶ tkjh djus dk chp dh vof/k
1.	कान्दीवली, मुम्बई में 300 विस्तरों का अस्पताल	केसीपी प्रोजेक्ट्स, हैदराबाद	मार्च 2009	मार्च 2009	13.00	फरवरी 2010 (11 माह)	फरवरी 2010	11 माह
2.	अच्छेरी, मुम्बई में कर्मचारी आवास	केसीपी प्रोजेक्ट्स, हैदराबाद	मार्च 2010	अप्रैल 2010	11.20	अभी तक प्राप्त नहीं (दिसम्बर 2013 तक 45 माह)	प्रारम्भ नहीं हुआ	प्रारम्भ नहीं हुआ
3.	बसईधारापुर, दिल्ली में कर्मचारी आवास सहित ईएसआई मेडिकल कालेज	एनकेजी इन्फास्ट्रक्चर लिमिटेड, गाजियाबाद	जनवरी 2010	फरवरी 2010 से जनवरी 2011	58.87	दिसम्बर 2011 (23 माह)	मार्च 2012	14 से 25 माह
4.	संत नगर, हैदराबाद में ईएसआई मेडिकल कालेज	विजय निमार्ण कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद	दिसम्बर 2009	फरवरी 2010 से सितम्बर 2010	38.94	दिसम्बर 2010 (12 माह)	दिसम्बर 2010	3 से 10 माह
5.	नाचरम, हैदराबाद में ईएसआई डेन्टल कालेज	कनकधारा वैन्चर्स प्राइवेट लिमिटेड,	अक्टूबर 2009	फरवरी 2010 से जून 2010	16.00	दिसम्बर 2010 (14 माह)	दिसम्बर 2010	6 से 10 माह
				; kx	138.01			

⁴ वृहत्तर मुम्बई नगर निगम/महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम और वृहत्तर हैदराबाद नगर निगम।

⁵ ईएसआईसी द्वारा।

⁶ एमए-मोबिलाइजेशन अग्रिम।

उपरोक्त से साबित होता है कि विद्यमान इमारत के विधंस एवं प्राधिकरणों से आवश्यक अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त करने में 11 से 23 महीने की पर्याप्त देरी हुई थी। एक मामले⁷ में, उप-ठेकेदारों के साथ किये गये अनुबन्ध की तिथि से 45 महीने के बीत जाने के बाद भी अभी तक (दिसम्बर 2013) यह अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जा सका।

कम्पनी इस तथ्य से अवगत थी कि इन कार्यों को तत्काल प्रारम्भ नहीं किया जा सकता था, फिर भी, उसने ईएसआईसी एवं उप-ठेकेदारों के साथ अनुबन्ध निष्पादित करने के बाद ईएसआईसी से सम्पूर्ण मोबिलाइजेशन अग्रिम (₹ 150.85 करोड़) प्राप्त कर उप-ठेकेदारों को प्रदान (₹ 138.01 करोड़) किया। आवश्यक अनुमति/स्वीकृति प्राप्त किये बिना प्रारम्भ में ही मोबिलाइजेशन अग्रिम प्रदान करना, अनुचित था, क्योंकि एलओआई के अनुसार, कार्य केवल आवश्यक अनुमति/स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त आरम्भ करने थे। अतः मोबिलाइजेशन अग्रिम के मुख्य उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई क्योंकि मोबिलाइजेशन अग्रिम प्रदान किये जाने तथा कार्य प्रारम्भ करने के बीच अत्यधिक विलम्ब था। परिणामतः उप-ठेकेदारों को शीघ्र उपलब्ध धनराशि के रूप में उक्त सीमा तक अनुचित लाभ हुआ।

प्रबन्धन ने बताया (जून 2013 और नवम्बर 2013) कि:

- मुम्बई में 300 बिस्तरों वाले अस्पताल का कार्य विद्यमान इमारत के अहाते में उपलब्ध खुले स्थानों पर फरवरी 2009 में प्रारम्भ किया गया था। उप-ठेकेदारों से एक प्रतिज्ञा-पत्र लिया गया है कि मोबिलाइजेशन अग्रिम को बैंक में नहीं रखा गया था और इसे कार्य-स्थल का कब्जा प्राप्त करने के एक माह के अन्दर संयन्त्र और मशीनों, मजदूर एवं सामग्री के मोबिलाइजेशन पर उपयोग किया गया था।
- उप-ठेकेदार को मुम्बई में कर्मचारी आवास के निर्माण के लिए ₹ 11.20 करोड़ का मोबिलाइजेशन अग्रिम जारी करने के सापेक्ष उसने कार्य स्थल पर मजदूरों और सामग्री, संयन्त्र और मशीनों के परिनियोजन पर ₹ 16.84 करोड़ व्यय किया था लेकिन उसी समय स्थानीय निकायों द्वारा कार्य रोक दिया गया था क्योंकि नए नियमों और कानूनों के लागू होने के कारण ईएसआईसी के वास्तुविद् द्वारा प्रस्तुत इमारत का प्लान, आलेख एवं संरचना का अनुमोदन नहीं किया गया।
- नई दिल्ली में ईएसआई मेडिकल कॉलेज के साथ-साथ कर्मचारी आवास की इमारत के निर्माण की योजना, ईएसआईसी के वास्तुविद्/परामर्शदाता द्वारा दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया था और अनुमोदन के पूर्वानुमान में, उप-ठेकेदार को कार्य प्रारम्भ करने के लिए निर्देशित किया था। तदनुसार, उप-ठेकेदार ने फरवरी 2010 में कार्य स्थल पर संयन्त्र और मशीनरी, मजदूरों और सामग्री के परिनियोजन द्वारा कार्य प्रारम्भ कर दिया। एमसीडी ने मार्च 2010 में कार्य रोक दिया जो एमसीडी के अनुमोदन के उपरान्त दिसम्बर 2011 में पुनः प्रारम्भ हो सका।
- ईएसआईसी के परामर्शदाताओं द्वारा ईएसआई मेडिकल कॉलेज और ईएसआई डेन्टल कॉलेज, हैदराबाद के आलेख वृहत्तर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) को जमा किया गया था और उप-ठेकेदारों ने कार्य स्थल पर अपने संयन्त्र और मशीनरी, मजदूरों और सामग्री के परिनियोजन कर आलेख के अनुमोदन के पूर्वानुमान में फरवरी 2010 में निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया था।

प्रबन्धन के उत्तर से यह पुष्टि हुई है कि आवश्यक अनुमति/स्वीकृति प्राप्त किये बिना उप-ठेकेदारों को मोबिलाइजेशन अग्रिम प्रदान करना अनुचित था, क्योंकि एलओआई के अनुसार कार्यों को केवल आवश्यक अनुमतियाँ/स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रारम्भ करना चाहिए था। इसके अलावा, मोबिलाइजेशन अग्रिम के मुख्य उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई थी क्योंकि कार्य प्रारम्भ होने तथा मोबिलाइजेशन अग्रिम प्रदान करने के मध्य तीन से 25 महीने की दीर्घ अवधि का विलम्ब हुआ था। कर्मचारी आवास, मुम्बई के कार्य में अग्रिम

⁷ कर्मचारी आवास, अन्धेरी, मुम्बई।

की समस्त धनराशि ₹ 11.20 करोड़ अभी तक अवरुद्ध है। इसके अलावा, चूँकि प्रबन्धन ने लेखा परीक्षा द्वारा माँगे जाने के बावजूद मोबिलाइजेशन अग्रिम के उपभोग के सन्दर्भ में अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये, अतः प्रबन्धन का दावा कि उप-ठेकेदार द्वारा मोबिलाइजेशन अग्रिम वास्तव में उपभोग हो गया है की पुष्टि नहीं हो सकी।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (मई 2013, अगस्त 2013 तथा नवम्बर 2013); उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2013)।

3.3 *vlf/kD; feVWh ds fuLrkj.k e i zkyhxr dfe; k*

dei uh }kjk [kpkbz dk; l i kjeHk djus I s i wZ feVWh dh fcdh@mBokus dh 0; oLFkk djus ds ctk; vlf/kD; feVWh ds fuLrkj.k i j ₹ 91.70 yk[k dk i fjk; l 0; ; fd; k x; kA

राज्य सरकार (चिकित्सा शिक्षा विभाग) द्वारा छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय (सीएसजे एमएमयू) में शिक्षण ब्लॉक और शताब्दी अस्पताल (फेज-2) के निर्माण का कार्य क्रमशः ₹ 33.27 करोड़ और ₹ 139.35 करोड़ की स्वीकृत लागत पर उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड (कम्पनी) को प्रदान (मार्च 2008 एवं मई 2009) किया गया। कम्पनी द्वारा उक्त कार्यों को क्रमशः मैसर्स सेवा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ एवं मैसर्स आईवीआरसीएल इनफ्रास्ट्रक्चर्स और प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, हैदराबाद को बैंक-टू-बैंक निष्पादन⁸ के लिए, प्रदान (अगस्त 2008 और जून 2009) किया गया। उक्त निर्माण कार्यों के निष्पादन में, नींव के लिए गड्ढे बनाने के लिए और पाइप, केबल आदि बिछाने के लिए, भूमि की खुदाई की जानी थी। नींव के निर्माण और पाइप केबल आदि बिछाने के कार्य के समाप्ति के बाद, मिट्टी की कुछ मात्रा की पुनः भरे जाने हेतु आवश्यकता थी और शेष आधिक्य मिट्टी का निस्तारण किया जाना था।

मिट्टी विक्रय योग्य वस्तु है क्योंकि यह अक्सर स्थलों को भरने के लिए कार्यकारी संस्थाओं द्वारा क्रय की जाती है। इसके अतिरिक्त मिट्टी की दर जिलाधिकारी की सर्कल दर सूची में भी नियत होती है। यद्यपि कम्पनी प्रारम्भ से ही इस तथ्य से अवगत थी कि कार्य निष्पादन के दौरान मिट्टी के निस्तारण की आवश्यकता होगी, यह कार्य स्थल पर आधिक्य मिट्टी की बिक्री के प्रयास में असफल रही। कम्पनी ने अनुमानित मात्रा 62,368.35 घन मीटर⁹ मिट्टी के विरुद्ध 62,942.62 घन मीटर¹⁰ मिट्टी का निस्तारण किया, तथा उक्त कार्य के निष्पादन में ₹ 91.70 लाख¹¹ का व्यय किया। आधिक्य मिट्टी एक विक्रय योग्य वस्तु होने के कारण रायल्टी जमा होने के बाद कार्य-स्थल पर ही विक्रय की जानी चाहिए थी। कार्य-स्थल पर आधिक्य मिट्टी के विक्रय से दोहरे उद्देश्य की प्राप्ति होती अर्थात् इसके निस्तारण लागतों की आवश्यकता समाप्त हो जाती और राजस्व¹² लाभ प्राप्त होता। इस प्रकार, इस प्रणालीगत कमी के कारण, कम्पनी द्वारा आधिक्य मिट्टी के निस्तारण पर ₹ 91.70 लाख का परिहार्य व्यय किया गया।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2013) कि खोदी गयी मिट्टी को कार्य-स्थल पर जमा नहीं किया जा सकता था क्योंकि यह परिसर में रोगियों और स्थानीय यातायात के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करती। इसके अतिरिक्त, अन्य भवन निर्माण सामग्री के लिए भी स्थान की आवश्यकता होती है। अतः मिट्टी का तत्काल अनिस्तारण निर्माण कार्य में रुकावट का कारण बन जाता है। इन व्यवहारिक समस्याओं के दृष्टिगत आधिक्य मिट्टी का निस्तारण किया गया था।

⁸ बैंक-टू-बैंक निष्पादन समस्त कार्य उप-ठेकेदार को दिये जाने से सन्दर्भित है।

⁹ शिक्षण ब्लॉक-14,963.76 घन मीटर और शताब्दी अस्पताल (फेज-2)-47,404.59 घन मीटर।

¹⁰ शिक्षण ब्लॉक-15,541.97 घन मीटर और शताब्दी अस्पताल (फेज-2)-47,400.65 घन मीटर।

¹¹ शिक्षण ब्लॉक- ₹ 17.94 लाख (15541.97 घन मीटर x ₹ 115.42) और शताब्दी अस्पताल (फेज-2)- ₹ 73.76 लाख (47,400.65 घन मीटर x ₹ 155.61)।

¹² जिलाधिकारी द्वारा वर्ष 2010-11 के लिए जारी सर्किल दर सूची में निर्धारित मिट्टी की बिक्री/खरीद की दर के आधार पर 62,942.62 घन मीटर की मिट्टी का ₹ 45.00 प्रति घन मीटर की दर पर निस्तारण से राजस्व ₹ 28.32 लाख।

उत्तर बाद का विचार प्रतीत होता है क्योंकि कम्पनी प्रारम्भ से इस तथ्य से अवगत थी कि समय के साथ आधिक्य मिट्टी के निस्तारण की आवश्यता होगी फिर भी खुदाई कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व मिट्टी की बिक्री/मुफ्त उठान् की समय रहते कोई व्यवस्था नहीं की गयी। इसके अतिरिक्त, लेखा परीक्षा द्वारा इंगित करने के उपरान्त ही मिट्टी की खुदाई पर ₹ 5.66 लाख की रायल्टी का भुगतान किया।

प्रकरण शासन को जून 2013 में प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2013)।

3.4 i fjjgk; l vfrfjDr 0; ;

dEi uh }kj k foRrh; vksjpoR; ds fl) kwrk dk vuqkyu u djus ds dkj .k Vklj Qkejk
ds Ø; ij ₹ 54-42 yk[k ,oa 33@11 dph ds mi dñnz lkou ds fuek lk ij ₹ 35-00
yk[k dk vfrfjDr 0; ; fd;k x;kA

उत्तर प्रदेश सरकार (चिकित्सा शिक्षा विभाग) ने डॉ राम मनोहर लोहिया इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्सेज, लखनऊ में 33/11 केवी उपकेन्द्र के निर्माण का कार्य उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड (कम्पनी) को प्रदान (सितम्बर 2009) किया। कम्पनी द्वारा, बदले में, दो ठेकेदारों को कार्य उपबन्धित किया गया जिसका विवरण निम्न है:

I kj.kh I q;k 3-2

(yk[k ₹ e8)

Øe I q;k	Bdkj dk uke	dk; l dk uke	/kujkf k
1.	अनुपम पॉवर प्रोडक्ट्स, लखनऊ (vki firdk)	ट्रान्सफार्मर व अन्य उपकरणों की आपूर्ति	318.72 ¹³
2.	ईगल इन्टर प्राइजेज, लखनऊ (Bdkj)	उप-केन्द्र का निर्माण	194.30
		; kx	513-02

हमने इन अनुबन्धों में दरें स्वीकृत करने में निम्नलिखित कमियाँ देखीं (नवम्बर 2012):

अ उपकरणों की आपूर्ति

आपूर्तिकर्ता को 33/11 केवी, 10 एमवीए ट्रान्सफार्मरों¹⁴ के दो सेट, प्रत्येक ₹ 95.45 लाख¹⁵ (वैट सहित) की पहुँच लागत (एफओआर) जो आपूर्ति के कुल मूल्य का 53 प्रतिशत होता है, की आपूर्ति हेतु आपूर्ति आदेश दिया गया। हमने आपूर्तिकर्ता को प्रदान की गयी दरों का मिलान आपूर्तिकर्ता द्वारा उसकी खरीद दरों (निर्माता अरेवा टीएण्डडी इण्डिया लिमिटेड से) एवं उत्तर प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल), जो इस कार्य में विशेषज्ञता रखते हैं, की उसी समान विशिष्टीकरण के ट्रान्सफार्मर लागत¹⁶ से तुलना की। हमने अरेवा टीएण्डडी इण्डिया लिमिटेड के बीजक की प्रति और यूपीपीसीएल की निर्गत दरों के परीक्षण पर पाया कि :

- आपूर्तिकर्ता को प्रत्येक ट्रान्सफार्मर की पहुँच लागत ₹ 59.34 लाख¹⁷ (वैट सहित) थी।
- यूपीपीसीएल द्वारा क्रय किये गये प्रत्येक ट्रान्सफार्मर की लागत ₹ 56.68 लाख थी।

आपूर्तिकर्ता को ट्रान्सफार्मर के समतुल्य सेट की क्रय लागत अर्थात् ₹ 59.34 लाख के साथ कम्पनी की लागत अर्थात् ₹ 95.45 लाख की तुलना की गयी। हमने देखा कि

¹³ वैट रहित।

¹⁴ आईएस: 2026 के अनुसार।

¹⁵ ₹ 84.10 लाख वैट रहित।

¹⁶ यूपीपीसीएल द्वारा नियत 10 एमवीए की निर्गम दर।

¹⁷ अरेवा टीएण्डडी इण्डिया लिमिटेड की बीजक दर— ₹ 58.84 लाख प्लस ₹ 0.50 लाख भाड़ा।

आपूर्तिकर्ता ने उद्धृत दरों पर प्रत्येक ट्रान्सफार्मर के लिए ₹ 36.11 लाख का लाभ प्राप्त किया जो 61 प्रतिशत था।

यह स्पष्ट है कि कम्पनी ने कुल आपूर्ति आदेश के मुख्य अवयव (आईटम) के लिए, आपूर्ति आदेश देने से पूर्व आपूर्तिकर्ता द्वारा उद्धृत दरों के तर्कसंगत परीक्षण के सम्बन्ध में कोई उचित कार्यवाही का पालन नहीं किया जैसे बाजार सर्वेक्षण या यूपीपीसीएल जो ट्रान्सफार्मर का एक नियमित क्रेता है एवं इस क्षेत्र में विशेषज्ञ है, से परामर्श। इसके परिणामस्वरूप ₹ 54.42 लाख¹⁸ का परिहार्य व्यय हुआ।

प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 2013) कि:

- आपूर्तिकर्ताओं को प्रतिष्ठित फर्मों से निविदायें आमन्त्रित करने के बाद निम्नतम प्राप्त दरों के आधार पर कार्य प्रदान किये गये थे।
- ट्रान्सफार्मर की दरें पूरी तरह से सम्पूर्ण घटक के रूप में प्राप्त की गयी थी न की एक पृथक मद के रूप में जिसके परिणामस्वरूप कुछ मदों के लिए निम्न दर और अन्य के लिए उच्च दर थीं।

हमें उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कम्पनी द्वारा यूपीपीसीएल, जो एक नियमित क्रेता है, से समान प्रकार के ट्रान्सफार्मर की खरीद दरें प्राप्त करके आपूर्तिकर्ता द्वारा उद्धृत दरों की तर्कसंगतता सुनिश्चित नहीं की गयी।

क. उप-केन्द्र का सिविल कार्य

यूपीपीसीएल ने अपनी लागत अनुसूची¹⁹ में 33/11 केवी उप-केन्द्र भवन के निर्माण के लिए ₹ 33.06 लाख की मानक लागत निर्धारित की है। जबकि यह देखा गया कि कम्पनी द्वारा ठेकेदार को, यूपीपीसीएल के मानक संरचनाओं के अनुसार, ₹ 70.00 लाख की लागत पर 33 केवी, 11 केवी/एलटी पैनल इत्यादि की हाऊजिंग के लिए 33/11 केवी उप-केन्द्र भवन के निर्माण के लिए कार्यदेश दिया था। उक्त कार्य के लिए व्यय वित्त समिति (ईएफसी) द्वारा स्वीकृत धनराशि ₹ 35.00 लाख थी। इस प्रकार, उप-केन्द्र भवन के निर्माण का कार्य स्वीकृत एवं मानक लागत के दुगुने पर प्रदान किया गया। यद्यपि निर्माण यूपीपीसीएल के मानक संरचनाओं के अनुसार किया जाना था, कम्पनी द्वारा उन्हें कार्य प्रदान करने का आदेश देने से पहले ठेकेदार द्वारा उद्धृत दरों की विश्वसनीयता को जानने के लिए यूपीपीसीएल से समान कार्यों के सम्बन्ध में प्रचलित लागत प्राप्त नहीं की गयी। इसके परिणामतः ₹ 35.00 लाख का परिहार्य व्यय हुआ।

प्रबन्धन ने बताया (जून 2013) कि :

- प्रतिष्ठित फर्मों से निविदायें आमन्त्रित करने के उपरान्त प्राप्त निम्नतम दरों के आधार पर कार्य प्रदान किये गये थे।
- उप-केन्द्र भवन के निर्माण के लिए ₹ 70.00 लाख की दर को अन्तिम रूप दिया गया था क्योंकि कार्य-स्थल पर अत्यधिक मात्रा में मिट्टी भराई की आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त एक पहुँच मार्ग का भी निर्माण किया जाना था।
- ईएफसी द्वारा वर्ष 2008 में उप-केन्द्र भवन के निर्माण के लिए दर अनुमोदित की गयी थी जबकि निविदायें वर्ष 2010 में आमन्त्रित की गयी थी, अतः मूल्य में विचलन अपेक्षित था।

हमें उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि:

- कम्पनी ने अतिरिक्त कार्य अर्थात् पहुँच मार्ग का निर्माण और मिट्टी भराई की आवश्यकता के तथ्य को आपूर्ति आदेश में दर्ज नहीं किया और उसके लिए अतिरिक्त लागत की गणना नहीं की गयी।

¹⁸ $2X[\text{₹ } 5.45 \text{ लाख} - \text{₹ } 59.34 \text{ लाख} + \text{दिल्ली दर सूची के अनुसार ठेकेदार का 15 \text{ प्रतिशत लाभ}]} = \text{₹ } 54.42 \text{ लाख}$

¹⁹ लागत अनुसूची (1 अप्रैल 2010 से प्रभावी) वह दर अनुसूची है जो योजनाओं/परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए वर्तमान दरों के आधार पर ग्रामीण विद्युतीकरण और द्वितीय प्रणाली नियोजन संगठन (स्सपो) द्वारा तैयार की गई है।

- कम्पनी ने उप—केन्द्र भवन के निर्माण की बढ़ी लागत (₹ 70.00 लाख) के लिए ईएफसी का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया।
- लागत वृद्धि का मुद्दा वैध नहीं है क्योंकि ईएफसी द्वारा जनवरी 2009 में स्वीकृत ₹ 35.00 लाख की दर यूपीपीसीएल की अप्रैल 2010 की ₹ 33.06 लाख की दर से पहले ही अधिक थी।

इस प्रकार कम्पनी द्वारा वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का पालन नहीं किया गया और ट्रान्सफार्मर के क्रय एवं उप—केन्द्र भवन के निर्माण में बढ़ी दरों की अनुमति दी गयी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 89.42 लाख का परिहार्य व्यय हुआ।

प्रकरण शासन को जून 2013 में प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2013)।

3.5 okLrfon-'॥५॥ i j vfrfjDr ०; ;

dei uh }jik jkt dh; i kytV Duda ds i yk kofrd vky[k ,oa I j puk dk; k dks djus ds fy, mPp njk i j okLrfonk dks '॥५॥ dk Hkxru fd; k x; k] i f. kker% ₹ 50-20 yk[k dk vfrfjDr ०; ; givA

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड (कम्पनी) निक्षेप आधार पर अर्थात् वास्तविक लागत प्लस उस पर निर्धारित दर पर सेन्टेज, उत्तर प्रदेश शासन (जीओयूपी) के विभिन्न विभागों में कार्यों का निष्पादन करती है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत (फरवरी 1997) आदेशों के अनुसार 12.5 प्रतिशत की दर से सेन्टेज प्रावधानित है जिसमें वास्तुविद् के लिए 1.5 प्रतिशत फीस भी सम्मिलित है। यद्यपि कम्पनी का अपना वास्तुविद् प्रभाग है, कुछ मामलों में कम्पनी द्वारा वाह्य वास्तुविद् को भी नियुक्त किया गया।

हमने देखा कि कम्पनी द्वारा वाह्य वास्तुविदों की नियुक्ति के सम्बन्ध में कोई नीति तैयार नहीं की और प्रबन्ध निदेशक (एमडी) के अनुमोदनोपरान्त कम्पनी की आन्तरिक उच्चस्तरीय समिति (एचएलसी) के द्वारा मामले दर मामले आधार पर वाह्य वास्तुविदों की नियुक्ति की गई। ऐसे ही एक मामले²⁰ में उच्च स्तरीय समिति और प्रबन्ध निदेशक ने निर्देश (फरवरी 2005) दिया कि पुनरावृत्तिक कार्यों के मामले में, परियोजना लागत के 0.25 प्रतिशत की दर से वास्तुविद् शुल्क का भुगतान किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, सलाहकार की नियुक्ति के सम्बन्ध में केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की मार्गदर्शिका²¹ यह प्रावधानित करती है कि वास्तुविद् को पुनरावृत्तिक प्रकार के कार्य के लिये समान मानक शुल्क का भुगतान नहीं किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग की अध्यक्षता में निजी वास्तुविदों की सेवाओं को प्राप्त करने के लिये एक नीति को तैयार करने के लिये जून 2010 में एक मीटिंग आयोजित की गयी, इसमें प्रस्तावित था कि यदि मानकीकृत आलेख कई स्थानों पर प्रयोग हो रही है, तो कुल शुल्क²² के 20 प्रतिशत की दर पर शुल्क का भुगतान किया जायेगा।

इस प्रकार, ऐसे मामले में जहाँ आलेख, संरचनाओं और प्रावकलनों के मानकीकृत सेट एक कार्य के लिये तैयार हुये हैं और शेष सभी कार्यों के लिये समान सेट प्रयोग किया गया है, केवल एक कार्य के लिये वाह्य वास्तुविद् को पूर्ण दर पर भुगतान किया जायेगा और शेष सभी कार्यों के लिये, वास्तुविद् द्वारा दी गयी सेवाओं के कम स्कोप को ध्यान में रखते हुये, घटी दर पर शुल्क का भुगतान किया जाना चाहिए।

तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आठ²³ राजकीय पॉलीटेक्निकों के निर्माण का कार्य स्वीकृत लागत प्रत्येक ₹ 6.45 करोड़ (सेन्टेज सहित) पर, कम्पनी को प्रदान (फरवरी/मार्च 2010) किया गया। कम्पनी द्वारा (अप्रैल 2010) वास्तुविद् कार्यों, संरचनात्मक अभियांत्रिक कार्यों तथा प्रावकलन तैयार करने के सम्बन्ध में परामर्श सेवाएँ

²⁰ केदारपुरम्, देहरादून में उत्तराखण्ड सचिवालय के कर्मचारियों हेतु आवासों का निर्माण।

²¹ कार्यालय ज्ञाप संख्या आएफएफ 1 सीटीई 1 दिनांक 25 नवम्बर, 2002।

²² जो कि 0.3 प्रतिशत (1.5x20 प्रतिशत) होता है।

²³ वाराणसी, चन्दौली, भद्रोही, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, सोनभद्र और मिर्जापुर।

प्रदान करने के लिये, एक वास्तुविद्²⁴ प्रत्येक परियोजना की लागत (वास्तुविद् शुल्क की गणना के लिये परियोजना लागत में से सेन्टेज छोड़कर) के 1.5 प्रतिशत के शुल्क पर नियुक्त किया गया।

इस सम्बन्ध में हमने देखा:

- वास्तुविद् का चयन मनमाना एवं अपारदर्शी था क्योंकि किसी बोली (बिडिंग) प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया था जैसा कि सीवीसी मार्गदर्शिका प्रावधानित करती है कि वास्तुविदों का चयन प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से पारदर्शी ढंग से किया जाना चाहिए।
- चूंकि सभी पॉलीटेक्निकों के वास्तुविद् कार्य एक समान तथा पुनरावृत्तिक प्रकृति के थे, पॉलीटेक्निकों की मानकीकृत आलेख एवं संरचनाओं को ध्यान में रखते हुये, एक पॉलीटेक्निक के लिए 1.5 प्रतिशत की दर और शेष सात पॉलीटेक्निकों के लिए 0.25 प्रतिशत की दर पर वास्तुविद् को शुल्क का भुगतान किया जाना था।

प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2013) कि पॉलीटेक्निकों का निर्माण विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के कार्य-स्थलों एवं मृदा की स्थितियों में हुआ था, अतः नींव की संरचनाओं के स्तम्भ तथा अधोस्तम्भ भिन्न थे। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक स्थल के लिये जल निकासी प्रणाली की संरचना, जलापूर्ति और स्वच्छता प्रणाली, कार्य स्थल विकास, वाह्य विद्युतीकरण व्यवस्था, मार्ग प्रकाश इत्यादि भी भिन्न थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि:

- यह देखा गया था कि सभी पॉलीटेक्निकों के आलेख एवं संरचनाएँ समान थीं।
- अन्य पीएसयू²⁵ द्वारा इसी वास्तुविद् को समान कार्य अर्थात् राज्य के अन्य स्थानों पर पॉलीटेक्निकों के निर्माण कार्य, पर एक पॉलीटेक्निक के लिए पूर्ण शुल्क तथा शेष पॉलीटेक्निकों के लिए घटी दर पर भुगतान किया गया।

इसके अलावा, कम्पनी द्वारा स्वयं अन्य मामलों²⁶ में पुनरावृत्तिक कार्यों के लिए घटी दर पर शुल्क का भुगतान किया गया।

इस प्रकार, वास्तुविद् को अनियमित भुगतान शर्तों पर नियुक्ति के कारण, कम्पनी को ₹ 50.20 लाख²⁷ का अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ा।

प्रकरण शासन को मई 2013 में प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2013)।

3.6 चृत्ति फूखें एफोयैडि डिक्यू.कॉर्ट द्वि ग्राफ्यू

3.6 चृत्ति फूखें एफोयैडि डिक्यू.कॉर्ट द्वि ग्राफ्यू

I h, u l hbl fofu; e] 2009 e fofofknV i ko/kukl ds vu| kj fg. Mkydkls dks 0; Lr vof/k
½ hd | e; ½ ds nkjku Åtkl vki firz ds fy; s chtd fuxklu e njh ds dkj.k dEi uh
dks ₹ 11-30 djkm+ds c; kt dhi gkfu gipA

उत्तर प्रदेश में कैप्टिव विद्युत उत्पादन संयन्त्रों द्वारा विद्युत वितरण लाइसेन्सधारियों (डिस्कॉम्स) को विद्युत विक्रय, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी) द्वारा निर्गत सीएनसीई²⁸ विनियम, 2005²⁹ और 2009³⁰ के द्वारा नियन्त्रित है। बैंकिंग ऑफ पावर

²⁴ राजीव कुमार एण्ड एसोसिएट्स।

²⁵ उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद।

²⁶ केदारपुरम, देहरादून में उत्तराखण्ड सचिवालय के कर्मचारियों हेतु आवास तथा उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में 100 बिस्तरों वाला मैटरनिटी विंग।

²⁷ (एक पॉलीटेक्निक की सेन्टेज सहित लागत ₹ 573.71 लाख x 8 x 1.5 प्रतिशत)–[(₹ 573.71 लाख x 1.5 प्रतिशत)
+ (₹ 573.71 लाख x 7 x 0.25 प्रतिशत)] = ₹ 68.85 लाख– ₹ 18.65 लाख = ₹ 50.20 लाख।

²⁸ कैप्टिव एवं गैर पारम्परिक ऊर्जा उत्पादन संयन्त्र।

वह प्रक्रिया है जिसके अधीन एक उत्पादन संयन्त्र, ग्रिड को विद्युत की आपूर्ति तीसरे पक्ष या लाइसेन्सधारी को विक्रय करने के अभिप्राय से नहीं बल्कि ग्रिड से इस विद्युत को पुनः वापस प्राप्त करने के अभिप्राय से करता है।

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (कम्पनी) की ओर से उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) द्वारा हिण्डाल्को इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (हिण्डाल्को) के साथ एक अनुबन्ध (1 अप्रैल 2009 से प्रभावी) किया जो पाँच वर्षों की अवधि के लिये हिण्डाल्को पावर सिस्टम से विद्युत ऊर्जा के क्रय तथा साथ ही साथ हिण्डाल्को को विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति के लिए था। कैप्टिव विद्युत संयन्त्रों (सीपीपी) से ऊर्जा क्रय के लिए समझौते की दरें, नियम एवं शर्तें उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा स्वीकृत नई नीति (सीएनसीई विनियम 2009) द्वारा नियन्त्रित थीं। अनुबन्ध के दूसरे महत्वपूर्ण प्रावधान इस प्रकार थे:-

- उपबन्ध 22 के अनुसार, हिण्डाल्को यूपीपीसीएल को, 60,000 केडब्ल्यू तक विद्युत की आपूर्ति हिण्डाल्को पावर सिस्टम से करेगा। कुल आपूर्ति ऊर्जा में से हिण्डाल्को द्वारा, 75 प्रतिशत ऊर्जा बैंकिंग ऊर्जा के रूप में मानी जायेगी और शेष 25 प्रतिशत ऊर्जा हिण्डाल्को द्वारा विक्रय की गयी ऊर्जा मानी जायेगी।
- उपबन्ध 10 के अनुसार, हिण्डाल्को इस अनुबन्ध के अधीन बैंकिंग ऊर्जा के समायोजन के पश्चात यूपीपीसीएल से हिण्डाल्को को विद्युत ऊर्जा आपूर्ति के लिए यूपीपीसीएल को भुगतान करेगा।

हमने देखा³¹ (दिसम्बर 2012) कि कम्पनी के द्वारा हिण्डाल्को को की गयी बिलिंग में निम्नलिखित कमियाँ थीं।

- हिण्डाल्को द्वारा व्यस्त अवधि (पीक समय) (17.00 बजे से 22.00 बजे) के दौरान आहरित ऊर्जा कम्पनी के द्वारा निर्धारित नहीं की गयी थी यद्यपि इस ऊर्जा की खपत को दर्ज करने के लिए 'टाइम ऑफ डे' (टीओडी) मीटर संस्थापित किया गया था।
- कम्पनी द्वारा अप्रैल 2009 से मार्च 2013 के मध्य 36,16,41,502 केवीएएच ऊर्जा की आपूर्ति हिण्डाल्को को की गयी, जो बैंकिंग ऊर्जा के विरुद्ध सम्पूर्ण समायोजित की गयी थी।
- उक्त में से, व्यस्त अवधि (पीक समय) में हिण्डाल्को को 7,53,41,980³² केवीएएच ऊर्जा आपूर्ति की गयी थी। सीएनसीई विनियम, 2009 के उपबन्ध 39(बी) के अनुसार, व्यस्त अवधि (पीक समय) के दौरान आपूर्ति की गयी ऊर्जा को बैंकिंग ऊर्जा से समायोजित नहीं किया जा सकता और इसे कम्पनी द्वारा हिण्डाल्को को ऊर्जा विक्रय के रूप में माना जाना था। उक्त प्रावधान के विरोधाभास में कम्पनी द्वारा कोई बीजक निर्गत नहीं किया गया तथा व्यस्त अवधि (पीक समय) में हिण्डाल्को द्वारा उपभोग की गयी ऊर्जा को बैंकिंग ऊर्जा से समायोजन की अनुमति त्रुटिपूर्ण थी। बिलिंग न हुई ऐसी ऊर्जा का मूल्य ₹ 32.69 करोड़ है जिसका विवरण $\text{ifj}^{\prime} \text{k}^{\prime} \text{V\&14}$ में दिया गया है।

सीएनसीई विनियम, 2009 के प्रावधानों का अनुपालन न करने के कारण, कम्पनी द्वारा अप्रैल 2009 से मार्च 2013 की अवधि के दौरान हिण्डाल्को को व्यस्त अवधि (पीक समय) में विद्युत आपूर्ति के लिये ₹ 32.69 करोड़ के बीजक निर्गत नहीं किये गये, परिणामतः

²⁹ 28 जुलाई 2005 से प्रभावी उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी) (विद्युत आपूर्ति और कैप्टिव उत्पादन संयन्त्र सह उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और विद्युत वितरण लाइसेन्सधारी को विद्युत आधारित गैर पारम्परिक स्रोत से विद्युत विक्रय के टैरिफ का निर्धारण हेतु नियम एवं शर्तें) विनियम, 2005।

³⁰ 1 अक्टूबर 2009 से प्रभावी यूपीईआरसी (कैप्टिव एवं गैर पारम्परिक ऊर्जा उत्पादन संयन्त्र) विनियम, 2009।

³¹ विद्युत वितरण खण्ड, पिपरी की लेखा परीक्षा के दौरान।

³² व्यस्त अवधि (पीक समय) की रीडिंग के अभाव में, $\text{ifj}^{\prime} \text{k}^{\prime} \text{V\&14}$ के स्तम्भ पाँच में व्यस्त अवधि (पीक समय) आपूर्ति को व्यस्त अवधि घंटों के अनुपात के आधार पर गणना की गयी अर्थात् कुल घंटे (24) में से पाँच घंटे। वर्षवार व्यस्त अवधि (पीक समय) आपूर्ति 2,39,60,313 केवीएएच (2009–10); 1,69,61,597 केवीएएच (2010–11); 1,56,14,306 केवीएएच (2011–12) और 1,88,05,764 केवीएएच (2012–13)।

कम्पनी को, अगस्त 2013 तक, ₹ 11.30 करोड़³³ के ब्याज की हानि वहन की गयी $\frac{1}{4} f' k' V & 14\%$ । हमारे द्वारा इंगित (मई 2013) करने के बाद, कम्पनी ने हिण्डलाल्को को व्यस्त अवधि (पीक समय) प्रभारों हेतु बीजक निर्गमित (सितम्बर 2013) किये। जबकि वसूली अभी तक (दिसम्बर 2013) होनी है।

इस प्रकार, व्यस्त अवधि (पीक समय) के दौरान विद्युत आपूर्ति के लिये बिलों का विलम्ब से निर्गमन होने के कारण, कम्पनी को ₹ 11.30 करोड़ के ब्याज की हानि वहन करनी पड़ी।

हम संस्तुति करते हैं कि प्रबन्धन अप्रैल 2005 से मार्च 2009 के मध्य व्यस्त अवधि (पीक समय) के दौरान आपूर्ति की गयी विद्युत के बीजकों की समीक्षा करे क्योंकि सीएनसीई विनियम, 2005 में भी समान प्रावधान थे।

प्रकरण शासन को मई 2013 में प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2013)।

3.7 ekx i Hkkjk dh =Vi wl fcfyk ds dkj.k C; kt dh gkfu

**ekx i Hkkjk dh =Vi wl fcfyk ds dkj.k dEi uh dks ₹ 9-05 djkm+ds C; kt dh gkfu
gpa**

उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) ने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (कम्पनी) की ओर से, मण्डल रेलवे प्रबन्धक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद (उपभोक्ता) के साथ मुगलसराय–कानपुर खण्ड के मध्य विद्युत कर्षण हेतु रेलवे को विद्युत आपूर्ति के लिए एक अनुबन्ध (मार्च 2007) किया।

अनुबन्ध के प्रस्तर 8 के अनुसार, यदि कुल अधिकतम माँग³⁴, सभी आपूर्ति बिन्दुओं पर, अनुबन्धित भार से अधिक आती है तो यूपीईआरसी द्वारा निर्गत टैरिफ आदेश में प्रावधानित और समय–समय पर संशोधित के अनुसार, दण्ड प्रभार लगाया जायेगा।

रेलवे कर्षण (ट्रैक्शन) हेतु संयोजन एचवी–3³⁵ श्रेणी उपभोक्ताओं के अन्तर्गत आता है और माँग प्रभार, समय–समय पर लागू दरों³⁶ के अनुसार प्रभारित किया जाता है। हमने अप्रैल 2007 से जनवरी 2011 (46 माह) के दौरान उपभोक्ता को निर्गत बीजकों का परीक्षण किया और निम्नलिखित कमियाँ पायीं:

- **Chtdh; ekx Ifcyey fMek.M% % दर अनुसूची³⁷** के प्रावधानों के अनुसार, माह के दौरान माँग हेतु बीजक, टीवीएम/टीओडी³⁸ मीटर के द्वारा दर्शित वास्तविक अधिकतम माँग या अनुबन्धित भार का 75 प्रतिशत, जो भी अधिकतम हो, के आधार पर जारी किये जायेंगे। उपरोक्त प्रावधान के विरोधाभास में, कम्पनी द्वारा दोनों प्रकार के आपूर्ति विभव अर्थात् 25 केवी और 132 केवी के लिए टीवीएम/टीओडी मीटर के अनुसार दर्शायी गयी वास्तविक अधिकतम माँग को ध्यान में रखे बिना अप्रैल 2007 से मई 2010 की अवधि के दौरान अनुबन्धित भार पर एवं जून 2010 से जनवरी 2011 की अवधि के दौरान अनुबन्धित भार के 75 प्रतिशत पर मासिक बीजकों को निर्गत किया गया। इन 46 महीनों के लिये हुई

³³ 1.25 प्रतिशत प्रति माह की दर पर गणना की गई क्योंकि कम्पनी द्वारा उपभोक्ताओं के बीजकों के विलम्बित भुगतान पर इसी दर पर विलम्बित भुगतान प्रभार लिया जा रहा है।

³⁴ अनुबन्ध के प्रस्तर 11 के अनुसार, 25 केवी आपूर्ति बिन्दुओं एवं 132 केवी आपूर्ति बिन्दुओं पर एक साथ अधिकतम माँग की बिलिंग के उद्देश्य से गणना हेतु, माह (बिलिंग चक्र) के दौरान किसी समय बिन्दु पर मापन हेतु 25 केवी आपूर्ति बिन्दुओं एवं 132 केवी आपूर्ति बिन्दुओं को अलग–अलग जोड़ा जायेगा।

³⁵ दर अनुसूची में परिभाषित एचवी–3 श्रेणी, जो मात्र रेलवे कर्षण से सम्बन्धित है।

³⁶ माँग प्रभारों की दरें थीं:

(i) 132 केवी से नीचे की आपूर्ति हेतु: अप्रैल 2007 से अक्टूबर 2007 तक ₹ 170 प्रति केवीए, नवम्बर 2007 से मार्च 2008 तक ₹ 180 केवीए और तदोपरान्त ₹ 200 प्रति केवीए।

(ii) 132 केवी एवं उससे अधिक की आपूर्ति हेतु: अप्रैल 2007 से जुलाई 2007 तक ₹ 165 प्रति केवीए, अगस्त 2007 से अक्टूबर 2007 तक ₹ 160 प्रति केवीए, नवम्बर 2007 से मार्च 2008 तक ₹ 170 केवीए और तदोपरान्त ₹ 180 प्रति केवीए।

³⁷ वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 के लिये उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश।

³⁸ टीपीएम–ट्राई वेक्टर मीटर और टीओडी–टाइम ऑफ डे मीटर।

त्रुटिपूर्ण बिलिंग के परिणामतः दोनों प्रकार की आपूर्ति पर ₹ 8.36 करोड़ $\frac{1}{4} \text{ f} \text{f}^{\prime} \text{k}^{\prime} \text{V} & 15\frac{1}{2}$ की निवल कम बिलिंग हुई।

- $vucfU/kr \text{ Hk}j$ | $s v/f/kd$ $ds fy$, $i \text{Hk}j\%$ दर अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार, यदि टीवीएम/टीओडी मीटरों वाले उपभोक्ताओं की वास्तविक अधिकतम माँग किसी माह में अनुबन्धित भार से अधिक हो जाता है तो इस अधिक माँग पर अतिरिक्त प्रभार निम्न प्रकार से लिया जाएगा:

- यदि इस प्रकार की बढ़ी हुई माँग अनुबन्धित भार के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होती है तो सामान्य दरों पर;
- यदि इस प्रकार की बढ़ी हुई माँग अनुबन्धित भार के 10 प्रतिशत से अधिक होती है तो सामान्य दरों के दुगुने पर;

हमने आगे देखा कि यद्यपि 46 माह (अप्रैल 2007 से जनवरी 2011) में से 36 माह में वास्तविक माँग अनुबन्धित भार से 415 केवीए से 23,417 केवीए तक अधिक थी, कम्पनी द्वारा केवल एक माह अर्थात् अप्रैल 2007, में अतिरिक्त माँग प्रभारों के लिए बीजक निर्गत किया। प्रभारण योग्य, अधिक माँग 3,13,058 केवीए थी, जिसके परिणामस्वरूप ‘अतिरिक्त माँग प्रभारों’ हेतु ₹ 7.90 करोड़ $\frac{1}{4} \text{ f} \text{f}^{\prime} \text{k}^{\prime} \text{V} & 16\frac{1}{2}$ की अल्प बिलिंग हुई।

दर अनुसूची के प्रावधानों के अनुपालन न होने के कारण, कम्पनी ने उपभोक्ता को माँग प्रभारों हेतु अप्रैल 2007 से जनवरी 2011 की अवधि के दौरान ₹ 16.26 करोड़ की कम बिलिंग की गयी और परिणामतः ₹ 9.05 करोड़³⁹ की ब्याज हानि (अगस्त 2013 तक) को वहन किया। हमारे द्वारा इंगित (मई 2013) किये जाने के बाद, कम्पनी द्वारा अप्रैल 2007 से जनवरी 2011 की अवधि के ‘अतिरिक्त माँग प्रभारों’ के लिए बीजक निर्गत (सितम्बर 2013 और अक्टूबर 2013) किये। वसूली, अभी तक प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2013)।

इस प्रकार, माँग प्रभारों के त्रुटिपूर्ण बिलिंग के कारण, कम्पनी को ₹ 9.05 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

प्रकरण शासन को मई 2013 में प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2013)।

mRrj i ns k jkT; fo | r mRi knu fufe fyfeVM

3.8 gkb&Øke ykbul l ds Ø; ij i fjk; l0; ;

dF i uh }jk k mPp njk i j gkb&Øke ykbul l ds Ø; ds dkj .k ₹ 2-05 dj KM+ dk i fjk; l0; ; fd;k x; kA

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (कम्पनी) के अनपरा (बी) थर्मल पावर स्टेशन (बीटीपीएस) ने वांछित प्रशासनिक अनुमोदन के बाद अपनी 16 बॉल मिलों⁴⁰ के लिए 15 सेट हाई-क्रोम लाइनर्स⁴¹ के क्रय की निविदायें इस शर्त के साथ आमन्त्रित (फरवरी 2009) की कि निविदाकर्ता हाई-क्रोम लाइनर्स का मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) होना चाहिए एवं उसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) / राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) / राज्य विद्युत क्षेत्र उपक्रमों को आपूर्ति का अनुभव होना चाहिए।

उक्त निविदा के संदर्भ में, मैसर्स एआईए इंजीनियरिंग लिमिटेड, अहमदाबाद और मैसर्स बालाजी इण्डस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, जयपुर की दरें प्राप्त (अप्रैल 2009) हुई तथा ₹ 51.74 लाख प्रति सेट (कर सहित) की दर पर मैसर्स बालाजी इण्डस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, जयपुर की दरें सबसे कम पायी गयीं। मैसर्स बालाजी इण्डस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, जयपुर की दरें मुख्य महाप्रबन्धक, बीपीटीएस द्वारा अनुमोदित कर कारपोरेट निविदा समिति (सीटीसी)

³⁹ 1.25 प्रतिशत प्रति माह की दर पर गणना की गई क्योंकि कम्पनी द्वारा उपभोक्ताओं के बीजकों के विलम्बित भुगतान पर इसी दर पर विलम्बित भुगतान प्रभार लिया जा रहा है।

⁴⁰ बॉल मिलों कोयला पीसने का कार्य करती हैं।

⁴¹ हाई-क्रोम लाइनर्स बॉल मिलों का पुर्जा होता है।

के अनुमोदन के लिए मुख्यालय भेजी (जून 2009) गयीं थीं। सीटीसी ने इस आधार पर प्रस्ताव अस्वीकार (जुलाई 2009) कर दिया कि हाई-क्रोम लाइनर्स की प्रस्तावित खरीद बीटीपीएस की प्रस्तावित नवीनीकरण और आधुनिकीकरण (आरएण्डएम) योजना में सम्मिलित थी तथा राज्य सरकार की ऊर्जा टास्क फोर्स के निर्णय के अनुसार उक्त नवीकरण एकल निविदा के आधार पर बीएचईएल द्वारा किया जाना था।

इनर्जी टास्क फोर्स (ईटीएफ) ने निर्णय (जून 2009) किया था कि ब्यायलर और उसकी ऑक्जीलियरीज तथा बैलेन्स ऑफ प्लान्ट का आरएण्डएम एकल निविदा के आधार पर बीएचईएल द्वारा किया जाएगा एवं टरबाइन एवं जनरेटर तथा उसकी ऑक्जीलियरीज का आरएण्डएम, वित्तीय नियमों के अनुसार दूसरों द्वारा किया जा सकता था। उक्त निर्णय के आलोक में बीटीपीएस द्वारा कार्यों के विभिन्न खण्डों के लिए बीएचईएल से अलग प्रस्ताव आमंत्रित (जुलाई 2009) किये और सम्पर्ण कार्यों के लिए एकल आदेश देने के बजाय बीएचईएल के दायरे के अधीन कार्यों के विभिन्न खण्डों के लिए अलग-अलग आदेश दिये गये।

बीटीपीएस द्वारा बीएचईएल से बॉल मिल्स (एकटीविटी संख्या 2.2.2) के नवीनीकरण के लिए भी प्रस्ताव आमंत्रित (जुलाई 2009) किये गये थे जिसमें निम्न तीन कार्य सम्मिलित थे:

- बॉल मिल लाइनर्स का नवीकरण;
- हाई-क्रोम ग्राइन्डिंग मीडिया बाल्स की आपूर्ति; और
- बॉल मिल लाइनर्स की स्थापना

उक्त प्रस्ताव के विपरीत, बीएचईएल द्वारा बॉल मिलों के पूर्ण नवीनीकरण के लिए प्रस्ताव देने के बजाय हाई-क्रोम लाइनर्स की आपूर्ति के लिए ही प्रस्ताव (अक्टूबर 2009) दिया गया था। अतः अन्य दो कार्य अन्य फर्म⁴² के द्वारा किये गये थे।

बीएचईएल द्वारा हाई-क्रोम लाइनर्स के लिए उद्धृत प्रारम्भिक दर ₹ 1.25 करोड़ प्रति सेट थी, जो अन्ततः बातचीत (नवम्बर 2009) के बाद ₹ 65.37 लाख (कर सहित) प्रति सेट निर्धारित हुई थी। परियोजना निविदा समिति के अनुमोदन (जनवरी 2010) के बाद, बीएचईएल को ₹ 65.37 लाख (कर सहित) प्रति सेट की दर पर 15 सेट हाई-क्रोम लाइनर्स के लिए एक अलग आपूर्ति आदेश दिया (जनवरी 2010) गया। इस सम्बन्ध में हमने निम्न देखा:

- यद्यपि बीएचईएल बॉल मिलों के पूर्ण नवीकरण करने के लिए सहमत नहीं था तथा हाई-क्रोम लाइनर्स की आपूर्ति के लिए उसकी दरें (₹ 65.37 लाख प्रति सेट) मैसर्स बालाजी इन्डस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, जयपुर (फर्म) द्वारा प्रस्तावित दरें (₹ 51.74 लाख प्रति सेट) की अपेक्षा काफी अधिक थी, कम्पनी ने, इस तथ्य के बावजूद फर्म से सीधे हाई-क्रोम लाइनर्स क्रय करने का विचार नहीं किया जबकि समान मामलों⁴³ में, कम्पनी ने बीएचईएल को प्राथमिक रूप से प्रस्तावित कुछ आरएण्डएम कार्यों को बीएचईएल की उच्च दर के कारण मूल उपकरण निर्माता से कराने का निर्णय लिया था।
- रोचक तथ्य यह है कि बीएचईएल ने, बदले में ₹ 50.07 लाख प्रति सेट की दर पर मैसर्स बालाजी इन्डस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, जयपुर को हाई-क्रोम लाइनर्स की आपूर्ति के लिए आर्डर दिया था एवं जिसे फर्म ने सीधे बीटीपीएस को भेजा था।

⁴² मैसर्स ब्लू स्टार मैलिएविल प्राइवेट लिमिटेड, जमशेदपुर, मैसर्स ओम इण्टर प्राइजेज, अनपरा और मैसर्स आलोक कान्स्ट्रक्शन, अनपरा।

⁴³ (i) एकटीविटी संख्या-1.1.2 सीपीपी संयन्त्र के मिक्स बेड ऑपरेटर के एनियन रेजिन के कासन का नवीनीकरण। बीएचईएल को 21 जुलाई 2009 को प्रस्ताव दिया गया। मैसर्स विरमानी ब्रास डीलर को अन्तिम कार्य आदेश दिया गया। (ii) एकटीविटी संख्या-2.1.2 ब्यालर सर्कुलेशन पम्प एवं उसकी एसेसरीज का नवीनीकरण। बीएचईएल को 21 जुलाई 2009 को प्रस्ताव दिया गया। मैसर्स आईएसएस मशीनरी (फुजी इलेक्ट्रिक जापान के लिए) को अन्तिम कार्य आदेश दिया गया।

इस प्रकार, इस तथ्य से अवगत होते हुए कि बीएचईएल द्वारा उद्धृत दरें फर्म द्वारा उद्धृत दरों की अपेक्षा अधिक थी, कम्पनी द्वारा बीएचईएल से हाई-क्रोम लाइनर्स क्रय करने का अविवेकपूर्ण निर्णय लेने के कारण ₹ 2.05 करोड़⁴⁴ का अतिरिक्त व्यय वहन किया।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2013) कि ईटीएफ के निर्णय के अनुपालन में, ब्वायलर तथा उसकी ऑक्जीलियरीज एवं बैलेन्स ऑफ प्लान्ट के आरएण्डएम का कार्य एकल निविदा के आधार पर बीएचईएल द्वारा निष्पादित किया जाना था। प्रबन्धन ने आगे बताया गया कि बॉल मिलों का आरएण्डएम बीएचईएल के कार्यक्षेत्र में था इसलिए, बॉल मिलों के आरएण्डएम में प्रयुक्त होने वाले हाई-क्रोम लाइनर्स का बीएचईएल से ही क्रय किया जाना लाभप्रद था, क्योंकि बीएचईएल द्वारा आरएण्डएम कार्य पूरा होने के बाद बॉल मिलों के समग्र रूप से व्यवधान मुक्त संचालन की गारन्टी देनी थी।

हम इस तथ्य के आलोक में उत्तर से सहमत नहीं है कि बॉल मिलों (एकिटविटी संख्या 2.2.2) के आरएण्डएम का सम्पूर्ण कार्य बीएचईएल को प्रदान नहीं किया गया था। बॉल मिलों के नवीनीकरण में तीन कार्य सम्मिलित थे एवं केवल एक कार्य अर्थात् हाई-क्रोम लाइनर्स की आपूर्ति का कार्य बीएचईएल को प्रदान किया गया था तथा अन्य कार्य से सम्बन्धित एकिटविटीज अन्य फर्मों को प्रदान की गयी थी। इसलिए, बीएचईएल बॉल मिलों के व्यवधान मुक्त संचालन की गारन्टी नहीं दे सकता था।

प्रकरण शासन को जुलाई 2013 में प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2013)।

e/; kpy fo | r forj .k fuxe fyfeVM

3.9 mi HKDrk dks ykM QDVj fjcV dk vfu; fer ykk

dEi uh us nj vuf iph ,oa ; ihbvkj I h ds Li 'Vhdj .k dk mYyku dj ₹ 3487 yk[k
ds ykM QDVj NIV dk vufpr ykk i nku fd; kA

75 किलोवॉट से ऊपर के अनुबन्धित भार वाले वृहद एवं भारी विद्युत उपभोक्ताओं के लिए लागू दर अनुसूची एचवी-2 के पैरा 5 के अनुसार, ऊर्जा प्रभारों पर, जो प्रति केवीए पर परिभाषित केवीएएच से ज्यादा उपभोग के लिए प्रत्येक माह 7.5 प्रतिशत से लेकर 20 प्रतिशत तक, लोड फैक्टर छूट प्रदान की जायेगी। लेकिन बकाया वाले उपभोक्ता उक्त छूट के लिए अर्ह नहीं हैं।

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी) ने आगे यह स्पष्ट (अक्टूबर 2008) किया कि उपभोक्ता द्वारा अतिरिक्त प्रतिभूति⁴⁵ का जमा न करना बकाया की श्रणी में परिभाषित होता है तथा तदनुसार, ऐसे उपभोक्ताओं को भी लोड फैक्टर छूट अनुमन्य नहीं हो सकती।

हमने देखा (मार्च 2013) कि मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (कम्पनी) के विद्युत वितरण खण्ड-II, हरदोई ने क्रमशः वर्ष 2010–11 और 2011–12 के लिए उपभोक्ता⁴⁶ से 'अतिरिक्त प्रतिभूति' के रूप में प्रारम्भिक राशि ₹ 62.05 लाख और कुल राशि ₹ 70.83 लाख⁴⁷ की माँग (जून 2011 और मई 2012) की थी। यद्यपि उपभोक्ता ने कम्पनी द्वारा माँगी गयी 'अतिरिक्त प्रतिभूति' की राशि जमा (फरवरी 2013 तक) नहीं की थी, कम्पनी ने, विद्युत प्रदाय संहिता, 2005 के प्रावधानों के अनुसार उपभोक्ता के विरुद्ध कार्यवाही⁴⁸ करने

⁴⁴ 15 X (₹ 65.37 लाख – ₹ 51.74 लाख) = ₹ 2.05 करोड़।

⁴⁵ किसी वर्ष के लिए अतिरिक्त प्रतिभूति का आशय पूर्व वित्तीय वर्ष की दो माह की औसत बीजक धनराशि में से पूर्व जमा प्रतिभूति घटाने के बाद आयी धनराशि से है।

⁴⁶ मैसर्स सेफ यीस्ट कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, सण्डीला, हरदोई।

⁴⁷ जून 2011 में माँगी गई ₹ 62.05 लाख संहिता।

⁴⁸ विद्युत प्रदाय संहिता, 2005 के उपबन्ध 4.36 से 4.38 तक में निहित कार्यप्रणाली के अनुसार ऐसे मामलों में स्थाई या अस्थाई रूप से आपूर्ति विच्छेदित की जा सकती है।

के बजाय, जून 2011 से फरवरी 2013 की अवधि के बीजकों में उपभोक्ता को ₹ 34.87 लाख तक की धनराशि का लोड फैक्टर छूट का लाभ प्रदान किया।

प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2013) कि उपभोक्ता ने अतिरिक्त प्रतिभूति की धनराशि जमा (अगस्त 2013) कर दी है। इसलिए, उपभोक्ता को अनुमन्य लोड फैक्टर छूट नियमित हो जाती है।

हमें उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बकाया वाले उपभोक्ता लोड फैक्टर छूट प्राप्त करने के योग्य नहीं हैं। अतिरिक्त प्रतिभूति की धनराशि अगस्त 2013 में जमा की गयी थी अतः उपभोक्ता, लोड फैक्टर छूट प्राप्त करने के लिए सितम्बर 2013 से अर्ह था न कि पूर्वव्यापी प्रभाव से।

इस प्रकार, दर अनुसूची के प्रावधानों एवं यूपीईआरसी के स्पष्टीकरण के उल्लंघन में, कम्पनी द्वारा उपभोक्ता को जून 2011 से फरवरी 2013 की अवधि के दौरान ₹ 34.87 लाख की लोड फैक्टर छूट का अनुचित लाभ दिया गया।

प्रकरण शासन को जुलाई 2013 में प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2013)।

fo | ḍ forj .k dEi fu; k ॥MLdk॥ ॥⁴⁹

3.10 mi ॥KDrkvka dkv vufpr ykk

flMLdk॥ }kjk ogn vksj Hkkjh fo | ḍ mi ॥KDrkvka dkj muds }kjk fodYi u fn; s tkus ij Hkh] vufpr fo | ḍ dVfsh ॥f KM; ॥M jkLVfj ॥k ds nkjku I j {KKRed Hkkj ॥f ॥FDVo ykM ॥ dh I fo/kk i nku djds vufpr ykk i nku fd; k x; k] i fj .kkr%₹ 52-02 dj KM+ ds jktLo dh gkfu gba

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित, दर अनुसूची एचवी-2 के पैरा 10 के अनुसार (15 अप्रैल 2010 से प्रभावी), ऐसे उपभोक्ता जो स्वतन्त्र फीडर पर 11 केवी या उससे ऊपर के बोल्टेज पर आपूर्ति प्राप्त कर रहे हैं, आपातकालीन रोस्टरिंग⁵⁰ को छोड़कर, लाइसेन्सधारी द्वारा लगाये गये निर्धारित रोस्टरिंग⁵¹ की अवधि के दौरान, संरक्षात्मक भार की सुविधा का विकल्प दे कर विद्युत आपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए, प्रतिमाह के लिए नियत मूल माँग प्रभार⁵² के 100 प्रतिशत की दर से अनुबन्धित संरक्षात्मक भार पर, अतिरिक्त प्रभार प्रतिमाह प्रभारित किया जायेगा। ऐसे उपभोक्ता जो संरक्षात्मक भार की सुविधा का लाभ उठा रहे हैं, राज्य सरकार या लाइसेन्सधारी द्वारा समय-समय पर निर्धारित विद्युत कटौती के अधीन नहीं आयेंगे।

विद्युत प्रदाय संहिता, 2005 के पैरा 4.27 के अनुसार, संरक्षात्मक भार की सुविधा का लाभ उठाने के इच्छुक उपभोक्ता को इसके लिए लाइसेन्सी से अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन करना पड़ेगा। आवेदन प्राप्त होने पर लाइसेन्सधारी द्वारा उपभोक्ता को संरक्षात्मक भार की सुविधा का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जा सकती है। लाइसेन्सधारी से इस सुविधा का लाभ उठाने की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात उपभोक्ता और लाइसेन्सधारी के मध्य उचित नियमों एवं शर्तों के अधीन एक अनुबन्ध किया जाता है।

हमने देखा कि डिस्कॉम्स द्वारा अप्रैल 2011 से मार्च 2013 की अवधि में 33 केवी / 132 केवी के स्वतन्त्र फीडरों के माध्यम से आपूर्ति प्राप्त कर रहे ऐसे 22 उपभोक्ताओं

⁴⁹ पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पूविविनिल), मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (मविविनिल), दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (दविविनिल), पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पविविनिल) एवं कानपुर इलेक्ट्रोसिटी सप्लाई कम्पनी लिमिटेड (केस्को)।

⁵⁰ कर्मचारी तथा उपकरणों की सुरक्षा के लिए संक्षिप्त नोटिस पर असंयोजन करके किया गया भार अवरोध।

⁵¹ लाइसेन्सधारी या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित निर्धारित विद्युत आपूर्ति के घंटों के कार्यक्रम में किया गया भार अवरोध।

⁵² बिलिंग अवधि के लिये माँग प्रभार से आशय अधिकतम माँग या संविदात्मक भार का 75 प्रतिशत, दोनों में जो भी अधिक हो, पर आधारित उपभोक्ता पर उदगृहीत प्रभार से है। आधार दर (एचवी-2 टैरिफ के सन्दर्भ में पढ़ने पर) से आशय मूल माँग एवं ऊर्जा प्रभार से है जिन पर टाइम ऑफ डे (टीओडी) दरें प्रभावी होती हैं।

(अनुबन्धित भार 100 केवीए से 40,500 केवीए) को इस तथ्य के बावजूद कि उन्होंने न तो संरक्षात्मक भार सुविधा के लिए आवेदन किया है और न ही उन्हे स्थीकृत प्रदान किया गया था, निर्बाध विद्युत आपूर्ति (निर्धारित रोस्टरिंग के बिना) की गयी। इन उपभोक्ताओं को दर अनुसूची एचवी-2⁵³ के दरों के अनुसार बिल भेजे गये थे और निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए डिस्कॉम्स द्वारा कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया गया था। इससे डिस्कॉम्स को ₹ 52.02 करोड़ के राजस्व की हानि हुई जिसका विवरण *ifjf k'V&17* में तथा संक्षिप्तीकरण निम्न है:

| kj .kh | q; k 3-3

०e q; k	fMLdkh dk uke	mi HkDrkvkh dh q; k	vufu/kr Hkj dh hek vds	jktLo gfu ½djm+₹ el
1.	दविविनिलि	03	1500 से 7000	5.45
2.	केस्को	04	2500 से 40500	18.18
3.	पूविविनिलि	03	1100 से 15000	4.86
4.	पविविनिलि	05	3100 से 30000	13.44
5.	मविविनिलि	07	2000 से 10000	10.09
		22		52.02

इस प्रकार, उपभोक्ताओं द्वारा संरक्षात्मक भार की सुविधा के लिए विकल्प दिए बिना उनको अनुचित रूप से अनुसूचित विद्युत कटौती के दौरान निर्बाध विद्युत आपूर्ति कर लाभान्वित किया गया।

मविविनिलि और पूविविनिलि के प्रबन्धन द्वारा बताया (अक्टूबर 2013) गया कि:

- मविविनिलि ने बताया कि सीएलडीएस⁵⁴, लखनऊ और एसएलडीएस⁵⁵, पनकी के निर्देशों के अनुसार और रोस्टरिंग के अधीन विद्युत आपूर्ति दी जा रही है, इसलिए संरक्षात्मक भार शुल्क नहीं लगाया गया है।

हम प्रबन्धन के उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि सीएलडीएस और एसएलडीएस केवल निर्धारित रोस्टरिंग के लिए निर्देश जारी करते हैं। इन उपभोक्ताओं को रोस्टरिंग के अन्तर्गत नहीं रखा गया तथा इस तथ्य के बावजूद कि उन्होंने संरक्षात्मक भार की सुविधा का विकल्प नहीं दिया था, उनको निर्बाध विद्युत आपूर्ति की गयी।

- पूविविनिलि ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) द्वारा 1,100 केवीए से 40,500 केवीए के अनुबन्धित भार वाले और 33 केवी एवं 132 केवी के स्वतन्त्र फीडरों से विद्युत आपूर्ति प्राप्त करने वाले वृहद और भारी विद्युत उपभोक्ताओं की आपूर्ति को बाधित (रोस्टर) नहीं किया गया था। सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं की आपूर्ति की कटौती पर किसी भी डिस्कॉम का नियन्त्रण नहीं है।

हम प्रबन्धन के उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि ये सभी उपभोक्ता स्वतन्त्र फीडरों के माध्यम से आपूर्ति प्राप्त कर रहे थे और पूविविनिलि का उनके निर्धारित रोस्टरिंग पर नियन्त्रण है।

इसके अलावा, दर अनुसूची के प्रावधान उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के द्वारा अनुमोदित है तथा यूपीपीसीएल और सभी डिस्कॉम पर अनिवार्य रूप से लागू है। अतः इन उपभोक्ताओं को जिन्होंने संरक्षात्मक भार सुविधा का विकल्प नहीं दिया था, को बिना

⁵³ वृहद एवं भारी विद्युत उपभोक्ताओं जिनका अनुबन्धित भार 75 केडल्यू (100 बीएचपी) औद्योगिक तथा/या प्रक्रियात्मक उद्देश्य जैसे कि आर्क/इण्डक्शन फर्नेस, रोलिंग/रीरोलिंग मिल्स, मिनी स्टील प्लान्ट, फलोरी कल्चर एवं फारमिंग इकाईयाँ और कोई अन्य उच्च विभव उपभोक्ता जो किसी अन्य दर अनुसूची के अन्तर्गत नहीं आते हैं, पर दर अनुसूची एचवी-2 लागू होती है।

⁵⁴ सेन्ट्रल लोड डिस्पैच स्टेशन।

⁵⁵ एरिया लोड डिस्पैच स्टेशन।

रोस्टरिंग के विद्युत आपूर्ति अनियमित थी। राज्य में विद्युत की कमी⁵⁶ को देखते हुए भी यह एक अविवेक प्रबन्धकीय कार्य है।

हम संस्तुति करते हैं कि डिस्कॉम/यूपीपीसीएल द्वारा केवल ऐसे उपभोक्ताओं के लिए जिन्होंने संरक्षात्मक भार सुविधा का विकल्प दिया है एवं जिनको इस सम्बन्ध में स्वीकृत प्राप्त है, को निर्बाध विद्युत आपूर्ति की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए एक आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली विकसित करने पर विचार किया जाय।

प्रकरण प्रबन्धन एवं शासन को अगस्त 2013 में प्रतिवेदित किया गया; दविविनिलि, केस्को, पविविनिलि एवं शासन के उत्तर प्राप्त नहीं हुए (दिसम्बर 2013)।

fo | T forj .k dEi fu; k 1/MLakII 1/

3.11 jkT; I jdkj }jk foyEc I s i fri frl ds dkj .k gkfU

jkT; I jdkj }jk fuf/k; k dh foyfEc r ifri frl ij C; kt dk nkok u djus ds dkj .k
₹ 3.57 djkM+dh gkfU

राज्यों के ग्रामीण विद्युत के बुनियादी ढाँचे और घरेलू विद्युतीकरण के लिये भारत सरकार (जीओआई) द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (योजना) की स्वीकृति दी गयी। भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार, योजना के क्रियान्वयन के लिये ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) नोडल एजेन्सी बनायी गयी थी। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार परियोजना लागत का 90 प्रतिशत उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) को पूँजीगत सब्सिडी के रूप में जारी किया जाना था और 10 प्रतिशत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वस्त्रोतों/वित्तीय संस्थानों से ऋण के माध्यम से व्यवस्था की जानी थी।

जीओयूपी, आरईसी और डिस्कॉम्स के मध्य निष्पादित (जनवरी 2005 से जुलाई 2005) त्रिपक्षीय अनुबन्धों के अनुसार, परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिये सम्पूर्ण निधि (सब्सिडी और ऋण अंश दोनों) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) द्वारा सीधे डिस्कॉम्स को जारी होनी थी। जारी निधि के ऋण के अंशों को अर्जित ब्याज सहित तथा अन्य प्रभारों के साथ आरईसी को पुनर्भुगतान का दायित्व जीओयूपी का था।

तदनुसार, आरईसी ने 2004–05 से 2011–12 की अवधि के दौरान डिस्कॉम्स को निधि प्रदान की। डिस्कॉम्स द्वारा आरईसी को ऋण के अंश और उस पर ब्याज का भुगतान अपने संसाधनों से किया गया और इसकी प्रतिपूर्ति जीओयूपी द्वारा डिस्कॉम्स को उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) के माध्यम से की गयी।

हमने देखा कि मार्च 2005 से मार्च 2013 की अवधि के दौरान, डिस्कॉम्स द्वारा आरईसी को ₹ 200.35 करोड़⁵⁸ के ऋण एवं ब्याज का पुनर्भुगतान किया गया। यद्यपि डिस्कॉम्स द्वारा नियमित रूप से जीओयूपी से ब्याज और ऋण की प्रतिपूर्ति का दावा (यूपीपीसीएल के माध्यम से) किया गया, लेकिन प्रतिपूर्ति दो से 406 दिनों⁵⁹ के विलम्ब से मार्च 2005 और मार्च 2013 के मध्य की गयी। इस प्रकार, दावे के विलम्बित भुगतान के परिणाम स्वरूप डिस्कॉम्स को ₹ 3.57 करोड़⁶⁰ की हानि हुई जिसकी गणना आरईसी द्वारा डिस्कॉम्स को ऋण पर प्रभारित ब्याज की औसत दर, 9.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष के आधार पर की गई। डिस्कॉम्स द्वारा उक्त हानि का दावा राज्य सरकार से नहीं किया गया।

⁵⁶ 2012–13 के दौरान 28,075.22 मिलियन यूनिट।

⁵⁷ पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पविविनिलि), मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (मविविनिलि), दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (दविविनिलि), पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पविविनिलि)।

⁵⁸ पूविविनिलि: ₹ 78.00 करोड़, मविविनिलि: ₹ 83.59 करोड़, दविविनिलि: ₹ 28.36 करोड़ और पविविनिलि: ₹ 10.40 करोड़।

⁵⁹ 30 दिनों की प्रारम्भिक अवधि के बाद गणना की गई।

⁶⁰ पूविविनिलि: ₹ 1.68 करोड़, मविविनिलि: ₹ 0.95 करोड़, दविविनिलि: ₹ 0.66 करोड़ और पविविनिलि: ₹ 0.28 करोड़।

डिस्कॉम्स ने बताया (सितम्बर 2013) कि जीओयूपी से ऋण और ब्याज की प्रतिपूर्ति में विलम्ब प्रक्रियात्मक देरी थी और उनके नियन्त्रण से बाहर थी।

हानि की गणना 30 दिनों की प्रक्रियात्मक विलम्ब की अवधि के बाद की गई है। इसके अतिरिक्त, डिस्कॉम्स द्वारा ब्याज की हानि का दावा नहीं किया गया यद्यपि डिस्कॉम्स भारी घाटे में थी और दिन-प्रतिदिन के कार्य उधार की निधियों से किया जा रहा था।

इस प्रकार, राज्य सरकार द्वारा निधियों के विलम्ब से प्रतिपूर्ति पर ब्याज का दावा न करने के कारण डिस्कॉम्स को ₹ 3.57 करोड़ की हानि हुई।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (मई 2013); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2013)।

3.12 mRrj i ns k i kbj dkj i kjsku fyfeVM dk fo | r forj.k dEi fu; k ds fy,
dksk i clu/kd dh Hkfedk , oai i kby fo | r forj.k fuxe fyfeVM e dk sk
i clu/ku

i Lrkouk

3-12-1 उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1999 की धारा 23 के अन्तर्गत राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) को चार विद्युत वितरण कम्पनियों⁶¹ (डिस्कॉम्स) को अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनियों के रूप में निगमित करने हेतु निर्देश (20 सितम्बर 2002) दिया। यूपीपीसीएल से विद्युत वितरण के कार्य को हस्तगत करने हेतु कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अन्तर्गत यूपीपीसीएल ने चार डिस्कॉम्स का निगमन किया। एक अन्य डिस्कॉम यथा केस्को⁶² का निगमन हुआ था एवं उसने 14 जनवरी 2000 से कार्य प्रारम्भ कर दिया था। यूपीपीसीएल के वितरण कार्यों को डिस्कॉम्स द्वारा 12 अगस्त 2003 से ले लिया गया था।

उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) ने डिस्कॉम्स के कार्य कलापों में यूपीपीसीएल की निम्नलिखित भूमिका निर्दिष्ट (सितम्बर 2002) की:

- यूपीपीसीएल के अध्यक्ष—सह—प्रबन्ध निदेशक (सीएमडी), डिस्कॉम्स के अध्यक्ष होंगे।
- यूपीपीसीएल डिस्कॉम्स को थोक आपूर्ति हेतु विद्युत उत्पादन कम्पनियों से विद्युत क्रय करेगा। विद्युत क्रय के वाणिज्यिक दायित्वों के निर्वहन हेतु, यूपीपीसीएल एस्को समझौते के अन्तर्गत डिस्कॉम्स की समस्त राजस्व प्राप्त करेगा एवं डिस्कॉम्स को उनकी आवश्यकता के अनुसार कोष आवंटित करेगा। यूपीपीसीएल को देय धनराशि के भुगतान में कमी की दशा में, डिस्कॉम्स बाजार से ऋण की व्यवस्था करेंगे या देयों के स्थगन हेतु यूपीपीसीएल के साथ एक व्यावसायिक समझौता करेगा।
- यूपीपीसीएल कारपोरेट वित्त, कॉरपोरेट नियोजन, इक्वेटर,⁶³ सामग्री प्रबन्धन, मानव संसाधन विकास, सेवा आयोग एवं जॉच आयोग की सेवायें प्रदान करेगा।

निदेशक (वित्त), यूपीपीसीएल, वित्त शाखा के प्रमुख हैं एवं यूपीपीसीएल के दिन—प्रतिदिन के वित्तीय कार्यों में महाप्रबन्धक (वित्त तथा लेखा) तथा महाप्रबन्धक (प्रशासन एवं लेखा परीक्षा) द्वारा उनकी सहायता की जाती है। निदेशक (वित्त) यूपीपीसीएल के वित्तीय कार्यों को नियन्त्रित करता है तथा यूपीपीसीएल एवं डिस्कॉम्स को विभिन्न वित्तीय मुद्दों पर निर्देश जारी करता है। वह डिस्कॉम्स द्वारा राजस्व के जनन, संग्रहण एवं अन्तरण की समीक्षा तथा डिस्कॉम्स को कोष निर्गमन एवं यूपीपीसीएल द्वारा विद्युत क्रय के लिए भुगतान का नियन्त्रण करता है।

कोष प्रबन्धन, कोष अर्त्तप्रवाह/बाह्य प्रवाह के अनुमान एवं वित्तीय आवश्यकताओं के साथ—साथ नकद एवं उधार नियन्त्रण को प्रभावी पद्धति स्थापित करना एवं संग्रहित

⁶¹ पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पुविविनिलि), पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पुविविनिलि), मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (मविविनिलि) एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (दविविनिलि)।

⁶² कानपुर इलेक्ट्रीसिटी सप्लाई कम्पनी लिमिटेड।

⁶³ इक्वेटर संयन्त्रों के प्रेषण पूर्व के गुणवत्ता निरीक्षण का कार्य कराता है।

राजस्व का सुदृढ़ स्थानान्तरण करने को, समिलित करता है ताकि अतिरिक्त उधारियों, कार्यशील पूँजी आवश्यकताओं को समिलित करते हुए, की आवश्यकता को या आधिक्य कोषों के निवेश पर अधिकतम लाभ को सुनिश्चित किया जा सके। डिस्कॉम्स के कोष अन्तर्प्रवाह का मुख्य स्रोत विद्युत विक्रय से राजस्व, सर्विस कनेक्शन प्रभार, राज्य / केन्द्र सरकार से अनुदान, अंशपूँजी एवं राज्य सरकार/बैंक/वित्तीय संस्थाओं (एफआईएस) से उधारियाँ इत्यादि हैं। कोष वाह्य प्रवाह मुख्यतः स्थापना व्यय, पूँजीगत कार्यों, स्टोर एवं स्टॉक, ऋण के पुनर्भुगतान एवं ब्याज के भुगतान तथा ऊर्जा क्रय पर किये गये व्ययों को समिलित करता है। डिस्कॉम्स द्वारा ऊर्जा के विक्रय से प्राप्त राजस्व को यूपीपीसीएल द्वारा रखा जाता है क्योंकि यूपीपीसीएल द्वारा विद्युत क्रय के देयताओं के विरुद्ध समायोजन हेतु डिस्कॉम्स के विद्युत वितरण खण्डों (ईडीडी) द्वारा संग्रहीत समस्त राजस्व आय को सीधे यूपीपीसीएल को भेजा जाता है।

हमारे द्वारा पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पूविविनिलि) के कोष प्रबन्धन की लेखा परीक्षा वर्ष 2008–09 से 2012–13 की अवधि हेतु की गयी। इस हेतु पूविविनिलि के कारपोरेट कार्यालय एवं इसकी 13 ईडीडी⁶⁴ पर अभिलेख देखे गये। चूँकि यूपीपीसीएल सभी डिस्कॉम्स का कोष प्रबन्धक है, इसलिए यूपीपीसीएल के कोष प्रबन्धन कार्यों की लेखा परीक्षा भी वर्ष 2008–09 से 2012–13 की अवधि हेतु सम्पादित की गयी ताकि डिस्कॉम्स, पूविविनिलि को शामिल करते हुये, के सम्बन्ध में कोष प्रबन्धक के निर्णयों के प्रभावों का आंकलन किया जा सके। यूपीपीसीएल की भूमिका की चर्चा पहले की गयी है क्योंकि यह पूविविनिलि के स्तर पर कोष प्रबन्धन कार्यों को सीमित करता है।

dk;k i dU/kd ds : i e@ ; hi hl h, y

; hi hl h, y dks
j kT; l jdkj }kjk
fMLdMIII ds dks
i dU/kd dk dk; l
l k k x; k gA

3-12-2 यूपीपीसीएल, डिस्कॉम की तरफ से, वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) को तैयार करने तथा उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी) में दाखिल करने, राज्य सरकार के पास अनुदान हेतु दावों को प्रस्तुत करने एवं राज्य सरकार के विभागों⁶⁵ से केन्द्रीयकृत रूप में विद्युत देयों के भुगतान को प्राप्त करने तथा वर्क मेमो क्रेडिट रसीद⁶⁶ (डब्ल्यूएमसीआर) जारी करके डिस्कॉम्स के साथ उसका समायोजन करने के कार्यों को सम्पादित करता है। यूपीपीसीएल की सलाह पर विद्युत क्रय देयताओं के भुगतान हेतु डिस्कॉम्स ग्रामीण विद्युतीकरण कम्पनी (आरईसी), पावर फाइनेन्स कॉरपोरेशन (पीएफसी) एवं अन्य वित्तीय संस्थानों (एफआई) से ऋण लेते हैं। अभिलेखों की हमारी जाँच से प्रकट होता है कि यूपीपीसीएल का कारपोरेट वित्त का कार्य अप्रभावी था क्योंकि एआरआर की देरी से दाखिल होने के कारण राजस्व जनन प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई, डिस्कॉम्स द्वारा प्राप्त किये जाने वाले मुआवजे की सीमा तक ग्रामीण टैरिफ डिजाइन नहीं किया गया तथा कोष की लागत को कम करने हेतु कम दरों पर ऋण न लेने की विफलता इत्यादि रही, जिसकी चर्चा नीचे की गयी है:

वार्षिक राजस्व आव कता के दाखिल करने में देरी

3-12-3 यूपीपीसीएल सभी डिस्कॉम्स की तरफ से यूपीईआरसी के पास वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) दाखिल करता है। यूपीईआरसी निमित प्रक्रिया के पश्चात एआरआर पर आधारित टैरिफ संरचना को मंजूरी प्रदान करता है।

हमने देखा कि यूपीपीसीएल ने डिस्कॉम्स के एआरआर को देरी से दाखिल किया जिसके परिणामस्वरूप टैरिफ आदेश जारी करने में देरी रही। नीचे दी गई सारणी, एआरआर दाखिल करने की नियत तिथि, यूपीपीसीएल द्वारा एआरआर दाखिल करने की वास्तविक तिथि, संशोधित टैरिफ की प्रभावी तिथि, टैरिफ में औसत वृद्धि एवं एआरआर देरी से दाखिल करने के कारण राजस्व की हानि को दर्शाती है:

⁶⁴ ईडीडी-I आजमगढ़, ईडीडी-II आजमगढ़, ईडीडी-I जौनपुर, ईडीडी-II जौनपुर, ईडीडी-I मऊ, ईडीडी-II मऊ, ईडीडी-चन्दौली, ईडीडी-I गाजीपुर, ईडीडी-सैदपुर, ईडीडी-I बलिया, ईडीडी-I गोरखपुर, ईडीडी-झुमरियागंज एवं ईयूडीडी-I वाराणसी।

⁶⁵ सिंचाई विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं शहरी विकास विभाग।

⁶⁶ डिस्कॉम्स द्वारा राज्य सरकार के विभागों को विक्रय की गयी विद्युत से प्राप्त राजस्व को यूपीपीसीएल द्वारा केन्द्रीयकृत रूप से प्राप्त किया जाता है एवं यूपीपीसीएल द्वारा प्रत्येक डिस्कॉम को राजस्व प्राप्तियों का क्रेडिट उनको डब्ल्यूएमसीआर जारी करके किया जाता है।

I kJ . क्ष | इ; क 3-4

o'k	, vkJ vkJ nkf[ky djus dñ fu; r frffk	; ihi h h, y }kjk , vkJ vkJ nkf[ky djus dñ okLrfd frffk	, vkJ vkJ nkf[ky djus eñ foyEc fnukel	VfjQ vknsk dñ frffk	VfjQ vknsk dñ i kñot glos dñ frffk	VfjQ eñ vñd r of) kfr kr eñ	fo र Ø; Is i kñr jktLo yñ[kñi jkfkr yfññ dñ vuñ kjñ	VdjkM+र eñ foyEc'ds dkj.k jktLo gkfú
2008-09								
2009-10								
2010-11	30-11-2009	25-03-2011	480	19-10-2012	01-10-2012	17.81	15,784.99 ⁶⁸	2,811.31
2011-12	30-11-2010	25-03-2011	115	19-10-2012	01-10-2012	17.81	17,343.05 ⁶⁹	3,088.80
2012-13	30-11-2011	21-02-2012	83	19-10-2012	01-10-2012	17.81	उपलब्ध नहीं	
;	lx							5,900.11

स्रोत: रेगुलेटरी अफेयर्स इकाई, यूपीपीसीएल द्वारा उपलब्ध कराये गये अंकड़े।

, vkJ vkJ 83 , 0a
480 fnukdse/;
dh njh I s nkf[ky
fd; s x; s FKA

उपभोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि यूपीपीसीएल द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान एआरआर दाखिल करने में 83 से 480 दिनों की देरी रही जिससे टैरिफ आदेश 01 अक्टूबर 2012 से प्रभावी हुआ। एआरआर दाखिल करने में देरी का मुख्य कारण, जैसा कि यूपीपीसीएल द्वारा यूपीईआरसी को बताया गया, वार्षिक लेखों के तैयार होने में देरी तथा टैरिफ एवं सम्बन्धित मामलों (अनुदान) इत्यादि के सम्बन्ध में राज्य सरकार से निर्देशों का देरी से/न प्राप्त होना था।

हमने देखा कि विद्युत अधिनियम, 2003 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जिसके तहत एआरआर दाखिल करने हेतु राज्य सरकार के निर्देशों की आवश्यकता⁷⁰ थी। यद्यपि यूपीपीसीएल/डिस्कॉम्स ने यूपीईआरसी के पास टैरिफ याचिका दाखिल करने हेतु समय विस्तार की माँग करते समय, अक्सर यह उल्लेख किया कि राज्य सरकार के निर्देश प्रतीक्षित थे। इस प्रकार, यूपीपीसीएल/डिस्कॉम्स के स्तर पर वर्ष 2010–11 से 2012–13 के लिए एआरआर दाखिल करने में देरी के कारण टैरिफ आदेश के जारी होने में देरी रही जिसके परिणामस्वरूप 2010–11 एवं 2011–12 के दौरान ₹ 5,900.11 करोड़ की राजस्व हानि हुई। वर्ष 2006–07 एवं 2009–10 के मध्य एआरआर के देरी से दाखिल करने को 31 मार्च 2011 को समाप्त होने वाले भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन⁷¹ में शामिल किये जाने के बावजूद कोई सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की गई।

हमने देखा कि एआरआर दाखिल करने में देरी के कारण नियन्त्रण योग्य थे लेकिन यूपीपीसीएल एवं डिस्कॉम्स ने वर्ष 2010–11 एवं वर्ष 2011–12 के वार्षिक लेखे नियत तिथि से 8 से 36 महीनों की देरी से तैयार किये। वार्षिक लेखों को तैयार करने में देरी आन्तरिक नियन्त्रण में कमी को भी दर्शाता है।

यूपीपीसीएल के प्रबन्धन ने स्वीकार (सितम्बर 2013) किया कि एआरआर दाखिल करने में देरी मुख्यतः वार्षिक लेखों को तैयार करने में देरी के कारण रही।

हम संस्तुति करते हैं कि समयानुसार एआरआर दाखिल करना सुनिश्चित करने हेतु यूपीपीसीएल एवं डिस्कॉम्स के वार्षिक लेखे समय पर तैयार किये जाने चाहिए।

de njk ij Åtk dñ vki frfz grfekots dk u i kñr gkuk

3-12-4 विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धारा-65 बताता है कि अधिनियम की धारा-62 के अन्तर्गत राज्य आयोग⁷² द्वारा निर्धारित किये गये टैरिफ में यदि राज्य सरकार किसी उपभोक्ता या उपभोक्ताओं के वर्ग के लिए कोई अनुदान प्रदान करना चाहती है तो

⁶⁷ टैरिफ आदेश के प्रभावी होने में हुए विलम्ब के आधार पर गणना की गई, एक वर्ष से अधिक विषयान्तर्गत।

⁶⁸ पूर्वविनिलि (₹ 3,199.50 करोड़), मध्यविनिलि (₹ 2,870.29 करोड़), पश्चिमविनिलि (₹ 5,729.90 करोड़), दविविनिलि (₹ 3,092 करोड़) एवं केस्को (₹ 893.30 करोड़).

⁶⁹ पूर्वविनिलि (₹ 3,422.01 करोड़), मध्यविनिलि (₹ 3,062.78 करोड़), पश्चिमविनिलि (₹ 6,407.42 करोड़), दविविनिलि (₹ 3,434.08 करोड़) एवं केस्को (₹ 1,016.76 करोड़).

⁷⁰ विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 108 के अनुसार राज्य सरकार, केवल यूपीईआरसी को अपने कार्यों के निर्वहन हेतु दिशानिर्देश जारी करने हेतु अधिकृत है लेकिन विद्युत अधिनियम, 2003 राज्य सरकार को सीधे लाइसेन्सी को किसी भी दिशानिर्देश को जारी करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है।

⁷¹ टैरिफ निर्धारण का प्रस्तर संख्या 2.68।

⁷² उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग।

राज्य सरकार अग्रिम में अनुदान की राशि लाइसेंसी को उस प्रकार से जैसा राज्य आयोग निर्देशित करें, क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान करेगा। यह पुनः बताता है कि यदि इस धारा में निहित प्रावधानों के अनुक्रम में भुगतान नहीं किया जाता है तो राज्य सरकार का कोई भी आदेश लागू नहीं होगा एवं राज्य आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा दिये गये आदेशों के जारी होने की तिथि से लागू होगा।

यूपीपीसीएल, सभी डिस्कॉम्स की तरफ से, प्रत्येक वर्ष कम दरों पर ग्रामीण अनुसूची को ऊर्जा आपूर्ति के कारण होने वाली अनुमानित हानि के लिये राज्य सरकार के पास दावा दर्ज करता है। नीचे दी गयी तालिका, ग्रामीण क्षेत्रों में कम दरों पर विद्युत की आपूर्ति के कारण हानि के लिये राज्य सरकार के पास दाखिल दावों का विवरण, राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान तथा इस मद पर होने वाली हानि को दर्शाती है:

Lkkj.kh | ॥; k 3-5

YdjkM+R eL

वर्ष	तिथि के दिन वार्षिक अनुमानित हानि का दावा दर (रुपये)	तिथि के दिन वार्षिक अनुमानित हानि का दावा दर (रुपये)	तिथि के दिन वार्षिक अनुमानित हानि का दावा दर (रुपये)	तिथि के दिन वार्षिक अनुमानित हानि का दावा दर (रुपये)
2008-09	3,369.94	1,531.80	1,838.14	अनुमान के आधार पर
2009-10	4,974.01	1,831.80	3,142.21	वास्तविक आधार पर
2010-11	4,741.10	2,040.00	2,701.10	वास्तविक आधार पर
2011-12	8,242.06	3,640.08	4,601.98	वास्तविक आधार पर
2012-13	7,860.03	4,690.00	3,170.03	वास्तविक आधार पर
;	29,187.14	13,733.68	15,453.46	

हमने देखा कि :

- यूपीपीसीएल ने वर्ष 2008-09 के लिए अनुमानित आधार पर ₹ 3,369.94 करोड़ के अपेक्षित हानि का दावा दर्ज कराया।
- मुख्य सचिव के निर्देशों (14 जनवरी 2009) को ध्यान में रखते हुए, जिसमें बताया गया था कि यदि यूपीपीसीएल सभी ग्रामीण फीडरों पर मीटर स्थापित करने के पश्चात् तथा उनकी मीटर रीडिंग के आधार पर आपूर्ति की गई ऊर्जा का विवरण प्रस्तुत करेगा तो उस वास्तविक क्षतिपूर्ति प्रदान की जायेगी, वर्ष 2009-10 और उसके बाद यूपीपीसीएल ने अपेक्षित हानि का दावा वास्तविक आधार पर दर्ज कराया।
- राज्य सरकार ने यूपीपीसीएल को कम दर पर ग्रामीण अनुसूची हेतु टैरिफ संरचना करने हेतु कोई विशेष निर्देश नहीं दिया, लेकिन वर्ष 2008-09 से 2012-13 के पाँच वर्षों के दौरान ₹ 29,187.14 करोड़ के दावों के विरुद्ध ग्रामीण अनुदान के रूप में ₹ 13,733.68 करोड़ प्रदान किया। इस प्रकार, अधिनियम की धारा-65 का अनुपालन नहीं हुआ, क्योंकि राज्य सरकार ने ग्रामीण अनुदान न तो अग्रिम रूप में न ही अन्तिम दावे के पश्चात् प्रदान किया जैसाकि अधिनियम की धारा-65 के अन्तर्गत आवश्यक था। आंशिक अनुदान प्रदान करने का कोई कारण अभिलेखों पर नहीं था।

प्रबन्धन ने तथ्यों को स्वीकार (सितम्बर 2013) किया और बताया कि राज्य सरकार कम टैरिफ के कारण होने वाली हानियों की पूर्ति के लिये पर्याप्त अनुदान करने में सक्षम नहीं है। उन्होंने पुनः बताया कि यूपीपीसीएल एवं डिस्कॉम्स राज्य सरकार के नियन्त्रण के अन्तर्गत है इसलिए कम टैरिफ के कारण हानियों को अन्ततः राज्य सरकार द्वारा ही वहन किया जाता है।

तथ्य यह है कि यूपीपीसीएल/डिस्कॉम्स का गठन वाणिज्यिक सिद्धान्त पर कार्य करने के लिए किया गया था इसलिए प्रबन्धन का कथन कि यूपीपीसीएल/डिस्कॉम्स की हानियाँ अन्ततः राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी, स्वीकार्य नहीं है और वाणिज्यिक सिद्धान्तों के विरुद्ध है।

इण्डियन इनर्जी एक्सचेंज (आईईएक्स) से विद्युत खरीद के लिए क्रेडिट सुविधा प्राप्त न करने के कारण हानि

3-12-5 ग्रामीण विद्युतीकरण कम्पनी (आईईसी) ने मौजूदा कर्जदारों के लिये इण्डियन इनर्जी एक्सचेंज (आईईएक्स) से विद्युत क्रय के वित्तपोषण हेतु एक योजना शुरू (जनवरी 2010) की। इस योजना के अन्तर्गत, प्रत्येक डिस्कॉम को आईईएक्स के माध्यम से विद्युत

क्रय करने पर ₹ 50 करोड़ की क्रेडिट सुविधा 8.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष के ब्याज दर पर 90 दिनों की अवधि हेतु प्रदान की जाती है।

हमने देखा कि जून 2011 एवं मार्च 2013 के मध्य यूपीपीसीएल ने पाँच डिस्कॉम्स (पूर्विविनिलि, पविविनिलि, मविविनिलि, दविविनिलि एवं केस्को) के लिए आईईएक्स से ₹ 710.50 करोड़ का विद्युत क्रय किया। यूपीपीसीएल/डिस्कॉम्स ने विद्युत क्रय बीजकों के दायित्वों का निर्वहन एफआई/बैंकों से जून 2011 एवं मार्च 2013 के मध्य 12 प्रतिशत से 14 प्रतिशत के बीच के ब्याज दर पर ऋण लेकर किया।

हमने देखा कि यूपीपीसीएल ने, सभी डिस्कॉम्स के कोष प्रबन्धक की हैसियत से, आईईएक्स के द्वारा विद्युत क्रय के भुगतान हेतु आरईसी द्वारा कम ब्याज दर पर दी जाने वाली ₹ 250 करोड़ (प्रत्येक डिस्कॉम के लिए ₹ 50 करोड़) की क्रेडिट सुविधा प्राप्त नहीं की और इसलिए ₹ 6.13 करोड़⁷³ की सीमा तक के ब्याज दायित्वों को कम करने में विफल रहा। इस प्रकार यूपीपीसीएल/डिस्कॉम्स ने आईईएक्स से विद्युत क्रय करने के लिए आरईसी द्वारा दी जाने वाली क्रेडिट सुविधा प्राप्त न करने के कारण ₹ 6.13 करोड़ की हानि वहन की।

प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2013) कि आरईसी ने आईईएक्स के द्वारा विद्युत क्रय करने हेतु कोई योजना कभी भी परिचालित नहीं की।

उत्तर इस तथ्य की पुष्टि करता है कि यूपीपीसीएल ने उन स्रोतों को सुनिश्चित नहीं किया जहाँ कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध था। इसके अतिरिक्त उपरोक्त योजना से सम्बन्धित सूचनाएँ (यूपीपीसीएल की तरह मौजूदा कर्जदारों के लिए) आरईसी की वेबसाइट पर उपलब्ध थीं।

इस प्रकार, यूपीपीसीएल/डिस्कॉम्स ने आरईसी द्वारा आईईएक्स से विद्युत क्रय हेतु प्रदान की जाने वाली क्रेडिट सुविधा के उपभोग न करने के कारण ₹ 6.13 करोड़ के अधिक ब्याज का भुगतान किया।

विद्युत क्रय के बिलों के निर्वहन में कोष की परिहार्य लागत

3-12-6 ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) पावर सेक्टर कम्पनियों को ऋण प्रदान करता है। आरईसी ने उधारकर्ताओं को तीन श्रेणियों अर्थात् ए, बी तथा सी में वर्गीकृत किया है और वर्गीकरण के अनुसार ही ब्याज (श्रेणी ए के उधारकर्ताओं के लिए सबसे कम) प्रभारित करता है। जून 2009 एवं फरवरी 2013 के मध्य यूपीपीसीएल श्रेणी बी उधारकर्ता में वर्गीकृत था जबकि पूर्विविनिलि, मविविनिलि और दविविनिलि क्रमशः जून 2009 से अगस्त 2011, अगस्त 2011 से फरवरी 2013 एवं अगस्त 2011 से फरवरी 2013 की अवधि के दौरान श्रेणी सी के उधारकर्ताओं में वर्गीकृत थे। श्रेणी सी के उधारकर्ताओं की तुलना में श्रेणी बी के उधारकर्ताओं के लिए कम अवधि के ऋणों पर ब्याज की दर 0.25 प्रतिशत कम थी।

हमने देखा कि तीन डिस्कॉम्स⁷⁴ ने सितम्बर 2009 से फरवरी 2013 की अवधि के दौरान विद्युत क्रय बिलों के भुगतान हेतु आरईसी से ₹ 775 करोड़ के कम अवधि के नौ ऋण लिये ताकि यूपीपीसीएल के विद्युत क्रय दायित्वों का निर्वहन किया जा सके। इन डिस्कॉम्स ने इन ऋणों पर 11 प्रतिशत से 13.50 प्रतिशत की दर से ₹ 121.16 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया। हमने देखा कि चूंकि यूपीपीसीएल की उधार सीमा⁷⁵ भी पूरी तरह से प्रयोग नहीं हुई थी, इसलिए यूपीपीसीएल द्वारा ऋण लेने की दशा में, इन डिस्कॉम्स द्वारा 11 प्रतिशत से 13.50 प्रतिशत की दर से भुगतान किये गये ₹ 121.16 करोड़ के ब्याज के बोझ की तुलना में, 10.75 प्रतिशत से 13.25 प्रतिशत की दर से केवल ₹ 118.47 करोड़ के ब्याज का ही बोझ वहन करना होता। इसलिए यूपीपीसीएल का कोष प्रबन्धन इस सीमा तक ठीक नहीं था और परिणामस्वरूप इन डिस्कॉम्स के ब्याज के बोझ को ₹ 2.69 करोड़ से बढ़ा दिया।

⁷³ आरईसी द्वारा दी जाने वाली क्रेडिट सुविधा पर लागू 8.50 प्रतिशत तथा उस अवधि के दौरान लागू सबसे कम दर 12 प्रतिशत के अन्तर दर 3.50 प्रतिशत के आधार पर गणना की गयी।

⁷⁴ पूर्विविनिलि, मविविनिलि और दविविनिलि।

⁷⁵ सितम्बर 2009 से फरवरी 2013 के बीच, यूपीपीसीएल ने अपनी ऋण सीमा ₹ 60,000 करोड़ के विरुद्ध ₹ 11,666.23 करोड़ से लेकर ₹ 24,508.96 करोड़ तक के ऋण लिए थे।

m/kfj ; k ds
vfoodi wkl
i cl/ku us
c; kt ds cks
dks ₹ 8-82
djkM+1 s
c<k; ka

प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2013) कि 20 सितम्बर 2002 के पत्र⁷⁶ के उपवाक्य 7 के अनुसार, डिस्कॉम्स को दी गई थोक विद्युत आपूर्ति का भुगतान यूपीपीसीएल करेगा। कुछ दशाओं में यूपीपीसीएल द्वारा डिस्कॉम्स को दी गई थोक आपूर्ति की तुलना में डिस्कॉम्स द्वारा की गई राजस्व वसूली कम हो सकती है। इस कमी की क्षतिपूर्ति के लिये डिस्कॉम्स को बाजार से ऋण लेने का प्रबन्ध करना होगा। चूंकि डिस्कॉम्स को की गई विद्युत आपूर्ति की तुलना में डिस्कॉम्स द्वारा वसूल की गई राजस्व वसूली काफी कम थी इसलिए डिस्कॉम्स ने बाजार से उस समय प्रचलित दरों पर कोष उधार लिया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उपरोक्त पत्र⁷⁷ का उपवाक्य के 7 डिस्कॉम्स के ब्याज के बोझ को कम करने हेतु, यूपीपीसीएल (कोष प्रबन्धक) को सस्ती दरों पर उधारियों को लेने से प्रतिबन्धित नहीं करता है। वास्तव में, उपवाक्य 7 यह बताता है कि विद्युत क्रय के देयों में किसी भी कमी की दशा में यूपीपीसीएल डिस्कॉम्स के साथ वाणिज्यिक समझौता कर सकता है तथा कोष प्रबन्धक की हैसियत से यूपीपीसीएल का कर्तव्य था कि उधारी को न्यूनतम दरों पर सुनिश्चित करें।

रिस्ट्रक्चर्ड एपीडीआरपी का कोष प्रबन्धन

3-12-7 ऊर्जा क्षेत्र में सुधारों को आगे बढ़ाने हेतु भारत सरकार (जीओआई) द्वारा रिस्ट्रक्चर्ड एपीडीआरपी⁷⁸ (आर-एपीडीआरपी) प्रारम्भ (जुलाई 2008) की गई। आर-एपीडीआरपी योजना में भाग 'ए' एवं भाग 'बी' शामिल था। भाग 'ए' सभी शहरों में स्कार्ड⁷⁹ / वितरण प्रबन्ध प्रणाली की स्थापना के अलावा विश्वसनीय और निरपक्षणीय आधारभूत डाटा प्रणाली प्राप्त करने हेतु सक्षम सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणाली स्थापित करने से सम्बन्धित था जबकि योजना का भाग 'बी' नियमित उप-पारेषण तथा वितरण प्रणाली की मजबूती एवं परियोजनाओं के उन्नयन से सम्बन्धित था।

आवश्यकता के बिना ऋणों का आहरण

3-12-8 तीन डिस्कॉम्स⁸⁰ के सम्बन्ध में आर-एपीडीआरपी भाग 'ए' (स्कार्ड शहरों को शामिल करते हुये) के अन्तर्गत स्वीकृत ऋणों (11.50 प्रतिशत की ब्याज दर पर), आहरित कोष, प्रयुक्त कोष, अप्रयुक्त कोष, अप्रयुक्त कोषों का प्रतिशत तथा अप्रयुक्त कोषों पर ब्याज के दायित्व का विवरण नीचे दिया गया है:

Lkj. kh | ; k 3-6

मॉडल	०८	लोनर क्रमांक	विक्री दर	प्रति दर	विप्रदर्शक	विप्रदर्शक दर विप्रदर्शक	विप्रदर्शक दर
1	2	3	4	5	6	7	8
iinfofy	2009–10	108.97 (जून 2009)	32.69 (सितम्बर 2009)	0.05	32.64	100	2.12
	2010–11	0	0	13.45	19.19	59	3.00
	2011–12	74.11 (नवम्बर 2011)	0	7.02	12.17	37	1.13
	2012–13	0	22.23 (सितम्बर 2012)	12.49	21.91	99	1.48
mi ; lk	183-08	54-92	33-01	21-91			7-73

⁷⁶ डिस्कॉम के कार्यों हेतु दिशानिर्देशों को दर्शाती 20 सितम्बर 2002 को उत्तर प्रदेश सरकार का पत्र संख्या: 1777 पी-2/2002-61(एम) ई 800

⁷⁷ विद्युत क्रय के वाणिज्यिक दायित्वों के निर्वहन के अनुक्रम में यूपीपीसीएल डिस्कॉम्स के समस्त राजस्व एस्क्रो समझौते के अन्तर्गत प्राप्त करेगा और डिस्कॉम्स को उनकी आवश्यकता के अनुसार कोष प्रदान करेगा। यूपीपीसीएल की देयताओं के भुगतान में कमी की दशा में डिस्कॉम्स बाजार से ऋण की व्यवस्था करेगा अन्यथा देयों के आस्थागत हेतु यूपीपीसीएल के साथ एक व्यावसायिक समझौता करेगा।

⁷⁸ एक्सीलिरेटेड पावर डेवलपमेंट एवं रिफॉर्म्स प्रोग्राम।

⁷⁹ सुपरवाइजरी कन्ट्रोल एण्ड डाटा एकीजीशन— यह सामान्यतः औद्योगिक नियन्त्रण प्रणाली को सन्दर्भित करता है: कम्प्यूटर प्रणाली जो औद्योगिक, अवसंरचना या सुविधाओं पर आधारित प्रक्रियाओं का अनुश्रवण एवं नियन्त्रण करता है।

⁸⁰ पविविनिल का आर-एपीडीआरपी भाग 'ए' के कोष प्रबन्धन को 31 मार्च 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) के प्रस्तर 2.31 में पहले ही शामिल किया जा चुका है। केस्को में आर-एपीडीआरपी क्रियान्वित ही किया गया।

⁸¹ 11.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर आगणित।

1	2	3	4	5	6	7	8
efofofufy	2009–10	230.86 (फरवरी एवं जून 2009)	69.26 (अक्टूबर 2009)	0	69.26	100	3.32
	2010–11	0	0	62.96	6.30	9	5.72
	2011–12	14.15 (नवम्बर 2011)	60.33 (सितम्बर एवं दिसम्बर 2011)	34.83	31.80	53	1.75
	2012–13	0	14.19 (सितम्बर 2012)	32.85	13.14	93	1.32
mi ; lk	245.01	143.78	130.64	13.14			12.11
nfofofufy	2009–10	122.66 (जून 2009)	27.37 (अक्टूबर 2009)	0	27.37	100	1.31
	2010–11	0	0	12.94	14.43	53	2.24
	2011–12	0	0	12.76	1.67	6	1.07
	2012–13	0	13.91 (सितम्बर 2012)	3.87	11.71	84	1.08
mi ; lk	122.66	41.28	29.57	11.71			5.70
; lk	550.75	239.98	193.22	46.76			25.54

स्रोत: डिस्कॉम्स द्वारा जपलब्ध सूचना।

हमने देखा कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) ने 2009–13 के दौरान ₹ 550.75 करोड़ के ऋणों को स्वीकृत किया जिसके विरुद्ध तीन डिस्कॉम्स ने ₹ 239.98 करोड़ आहरित किया लेकिन केवल ₹ 193.22 करोड़ का ही उपभोग किया। अप्रयुक्त कोष छ: प्रतिशत एवं 100 प्रतिशत के मध्य रहे जो दर्शाते हैं कि कोषों को बिना आवश्यकता के आहरित किया गया।

हमने पुनः देखा कि :

- कोषों के विलम्बित उपयोग का मुख्य कारण कार्य को प्रदान (फरवरी 2010) करने से पहले ऋण (सितम्बर/अक्टूबर 2009 में) का आहरण और कार्य की धीमी प्रगति रहा।
- इन अप्रयुक्त कोषों पर, डिस्कॉम्स द्वारा पीएफसी को ₹ 25.54 करोड़ के ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा और डिस्कॉम्स द्वारा इस अप्रयुक्त कोष पर ₹ 7.60 करोड़⁸² का ब्याज अर्जित किया गया। इसलिए, समरूपी आवश्यकता के बिना कोषों के आहरण ने डिस्कॉम्स पर ₹ 17.94 करोड़⁸³ के ब्याज के रूप में अतिरिक्त भार रख दिया है।

प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2013) कि योजना हेतु फील्ड स्तर पर अत्यधिक कार्य किया जाना था, जिसके लिए बहुत समय की आवश्यकता थी। इन कार्यों को शुरू करने हेतु कोषों की आवश्यकता थी और जिसे 2009–10 के दौरान प्राप्त किया गया जिसका उपयोग कार्य की आवश्यकता के अनुसार धीरे-धीरे 2012–13 तक किया गया।

तथ्य यह है कि डिस्कॉम्स ने कोषों के आहरण से पूर्व वास्तविक आवश्यकता का आकलन नहीं किया जिससे बहुत अधिक कोष अप्रयुक्त रहे जिससे अनावश्यक ब्याज भारित हुआ।

ऋण कोष का विपर्यन (बाइर्वर्जन)

3-12-9 तीन डिस्कॉम्स⁸⁴ के सम्बन्ध में आर-एपीडीआरपी भाग 'बी' (स्काडा शहरों को शामिल करते हुये) के अन्तर्गत स्वीकृत ऋणों (11.50 प्रतिशत की ब्याज दर पर), आहरित कोष, प्रयुक्त कोष, अप्रयुक्त कोष, अप्रयुक्त कोषों का प्रतिशत तथा अप्रयुक्त कोषों पर ब्याज के दायित्व का विवरण नीचे दिया गया है:

⁸² पूरिविनिलि : ₹ 4.09 करोड़, मविविनिलि : ₹ 3.05 करोड़ और दविविनिलि : ₹ 0.46 करोड़।

⁸³ पीएफसी को भुगतान योग्य ब्याज : ₹ 25.54 करोड़ घटाया अर्जित ब्याज ₹ 7.60 करोड़।

⁸⁴ पविविनिलि का आर-एपीडीआरपी के कोष प्रबन्धन को 31 मार्च 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) के प्रस्तर 2.31 में पहले ही शामिल किया जा चुका है। केस्को में आर-एपीडीआरपी क्रियान्वित नहीं किया गया।

Lkkj .kh | १८; k 3-7

VdjkM+₹ eL

fMLdk	o"k	LohNr VnukdL	vkgfjr dksk fnukd	i ; Pr dkSk	vi ; Pr dkSk	vi ; Pr dkSk dk i fr'kr	vi ; Pr dkSk ij c; kt
i flofufy	2010–11	87.71	52.63	0	52.63	100	0.02
	2011–12	0	0	0	52.63	100	6.05
	2012–13	0	0	0	52.63	100	6.05
mi ; lk	87.71	52.63	0	52.63			12.12
efofufy	2010–11	117.73	70.64	0	70.64	100	0
	2011–12	148.75	0	0	70.64	100	8.12
	2012–13	79.90	89.25	36.42	123.47	77	11.37
mi ; lk	346.38	159.89	36.42	123.47			19.49
nfofufy	2010–11	133.95	80.37	0	80.37	100	0.03
	2011–12	129.05	0	0	80.37	100	9.24
	2012–13	0	77.43	53.74	104.06	66	11.18
mi ; lk	263.00	157.80	53.74	104.06			20.45
; lk	697.09	370.32	90.16	280.16			52.06

स्रोत: डिस्कॉम्स द्वारा उपलब्ध मुद्रना।

fMLdkIII us dkSk dh
vko ; drk dSfcuk
₹ 370.32 djM+dk
_.k vkgfjr fd; k
vkj ; ihil h, y ds
fn kfunkka ij
₹ 203.64 djM+dk
foi Fku ; ihil h, y
dks dj fn; kA

फीएफसी ने डिस्कॉम्स को आर-एपीडीआरपी भाग 'बी' के अन्तर्गत ₹ 697.09 करोड़ के ऋणों को स्वीकृत किया जिसके विरुद्ध डिस्कॉम्स ने ₹ 370.32 करोड़ (नान स्काडा शहरों हेतु ₹ 203.64 करोड़ और स्काडा शहरों हेतु ₹ 166.68 करोड़ क्रमशः मार्च 2011 एवं सितम्बर 2012 में) बिना कोष की आवश्यकता के आहरित किया। निदेशक (वित्त), यूपीपीसीएल ने डिस्कॉम्स को निर्देश (मार्च 2011) दिया कि आर-एपीडीआरपी भाग 'बी' के अन्तर्गत मार्च 2011 में आहरित सम्पूर्ण धनराशि का विपथन (डाईवर्जन) यूपीपीसीएल को कर दिया जाये। उपरोक्त को ध्यान में रखकर डिस्कॉम्स ने नान-स्काडा शहरों से सम्बन्धित मार्च 2011 में आहरित ₹ 203.64 करोड़ की धनराशि उसी दिन यूपीपीसीएल को विपथित (डाईवर्टेड) कर दी।

हमने देखा कि यूपीपीसीएल, जो कि कोष प्रबन्धक था, धनराशि को नियमित उप-पारेषण तथा वितरण प्रणाली की मजबूती एवं परियोजनाओं के उन्नयन हेतु उपयोग नहीं किया एवं ऋण कोष का विपथन (डाईवर्जन) (मार्च 2011) अपने विद्युत बिलों में दायित्वों के निर्वहन हेतु किया। अतएव, ऋणों को आहरित करने का उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त, डिस्कॉम्स ने 2010–11 से 2012–13 की अवधि के दौरान ₹ 52.06 करोड़ के परिहार्य ब्याज सम्बन्धित व्यय के दायित्वों का वहन भी किया।

यूपीपीसीएल प्रबन्धन ने उपरोक्त तथ्यों को स्वीकार (सितम्बर 2013) किया और बताया कि योजना की निविदाओं के अन्तिमीकरण में देरी थी इसलिए योजना के कोषों का विपथन (डाईवर्जन) किया गया।

तथ्य यह है कि आर-एपीडीआरपी के भाग-ब योजना के नियत ऋण कोषों जो कि नियमित उप-पारेषण तथा वितरण प्रणाली की मजबूती एवं परियोजनाओं के उन्नयन के लिए थे, का विपथन (डाईवर्जन) किया और अन्य उद्देश्यों में प्रयोग किया।

Ikkj yil dks Ätkl dh vki frz

3-12-10 राज्य सरकार ने डिस्कॉम्स को निर्देशित (जून 2006) किया कि पावर लूम उपभोक्ताओं को नए कनेक्शन प्रदान करते समय मीटर की संस्थापना, मीटर रीडिंग के आधार पर राजस्व अनुदान का अन्तिम दावा सुनिश्चित करने हेतु की जानी चाहिए, लेकिन उपभोक्ताओं से मीटर लागत की वसूली नहीं की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, डिस्कॉम्स को वार्षिक आधार पर कुल अनुदान आवश्यकता (उपभोक्ताओं को जारी बिल की धनराशि तथा वसूल की गयी धनराशि का अन्तर) सम्बन्धित विवरण प्रस्तुत करने हेतु भी निर्देशित किया गया। यूपीईआरसी ने राज्य सरकार द्वारा निर्गत (जून 2006) निर्देशों की समीक्षा की और राज्य सरकार को नये पावर लूम उपभोक्ताओं के परिसर पर संस्थापित मीटरों की लागत के लिए पूँजीगत अनुदान तथा टैरिफ आदेश के अनुसार बिल की गयी धनराशि और उपभोक्ताओं द्वारा किये गये भुगतान के अन्तर हेतु राजस्व अनुदान प्रदान करने का निर्देश (जुलाई 2006) दिया। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित बिन्दु प्रकाश में आये:

Åtkl dh vki firz ds fy, vupku dh de i fil

I jdkj us₹ 662.15
djMds nkos ds
fo#) dpy ₹ 355
djMds vupku
i nku fd; kA

3-12-11 डिस्कॉम्स ने पावर लूम उपभोक्ताओं को रियायती दर पर ऊर्जा की आपूर्ति की तथा यूपीपीसीएल के माध्यम से राज्य सरकार को 2008–09 से 2012–13 की अवधि हेतु ₹ 662.15 करोड़⁸⁵ के अनुदान का दावा प्रस्तुत किया जिसके विरुद्ध राज्य सरकार ने केवल ₹ 355 करोड़⁸⁴ ही प्रदान किया। इस प्रकार, डिस्कॉम्स ने पावर लूम्स उपभोक्ताओं को ऊर्जा की आपूर्ति रियायती दर पर करने के लिए सरकार से कम अनुदान प्राप्त होने के कारण ₹ 307.15 करोड़ की राजस्व हानि वहन की। यूपीपीसीएल ने अनुदान की शेष राशि प्राप्त करने के लिये राज्य सरकार के साथ इस मुद्दे पर कोई प्रयास नहीं किया।

प्रबन्धन ने उपरोक्त तथ्यों को स्वीकार (सितम्बर 2013) किया और बताया कि यूपीपीसीएल ने शेष अनुदान हेतु माँग नियमित रूप से प्रस्तुत की है लेकिन राज्य सरकार द्वारा उसे प्रदान नहीं किया गया।

लेकिन हमने यह भी पाया कि यूपीपीसीएल द्वारा नवम्बर 2011 एवं अगस्त 2013 में जारी दो सामान्य पत्रों को छोड़कर कोई विशेष प्रयास नहीं किया गया।

पूँजीगत लागत का दावा करने में निझियता

3-12-12 पूर्विविनिलि ने 2008–09 से 2012–13 के दौरान पावर लूम उपभोक्ताओं को 27,182 नये कनेक्शन मीटर की स्थापना के साथ जारी किये लेकिन राज्य सरकार को ₹ तीन करोड़ (गणना 2008–2010 के दौरान जारी किये गये 8,719 कनेक्शन हेतु ₹ 1,000 प्रति मीटर की दर से तथा शेष अवधि के दौरान जारी किये गये 18,463 कनेक्शन हेतु ₹ 1,150 प्रति मीटर की दर से की गयी है) के पूँजी अनुदान का दावा प्रस्तुत नहीं किया।

पूर्विविनिलि के प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2013) कि मीटर की लागत का दावा प्रस्तुत करने हेतु यूपीपीसीएल/सरकार से कोई दिशानिर्देश प्राप्त नहीं हुए है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यूपीईआरसी के दिशानिर्देशों (जून 2006) में, जो कि पूर्विविनिलि के अभिलेखों में उपलब्ध थे, स्पष्ट तौर से राज्य सरकार को मीटर मूल्य प्रदान करने को निर्देशित किया था, जिसके लिए पूर्विविनिलि ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया।

i dkpy fo | r forj.k fuxe fyfeVM ea dksk i clku

3-12-13 पूर्वाचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पूर्विविनिलि) के पास पूर्वी उत्तर प्रदेश के 21 जिलों को आच्छादित करने वाले छ: मण्डल⁸⁶ हैं। छ: मण्डलों में कुल 60 विद्युत वितरण खण्ड (ईडीडी) ऊर्जा के वितरण, वितरण नेटवर्क के संचालन और रखरखाव एवं ऊर्जा प्रभारों की बिलिंग एवं वसूली का कार्य करते हैं।

पूर्विविनिलि अपने दिन-प्रतिदिन के नकद खर्चों की पूर्ति अंशपूँजी एवं ऋण द्वारा प्राप्त कोषों से और यूपीपीसीएल द्वारा प्रेषित कोषों से करता है क्योंकि ऊर्जा क्रय बिलों की तुलना में कुल जनित राजस्व काफी कम था। पूर्विविनिलि ने लगातार हानि अर्जित की है और 31 मार्च 2012⁸⁷ को इसकी संचित हानि ₹ 2,849.84 करोड़ की चुकता पूँजी के विरुद्ध ₹ 8,482.92 करोड़ तक पहुँच गई है तथा पूर्विविनिलि का निवल मूल्य, इस प्रकार, नकारात्मक हो गया है।

हमारी अभिलेखों की जाँच जो कि पूर्विविनिलि के 13 ईडीडी एवं पूर्विविनिलि के मुख्यालय के कोष प्रबन्धन से सम्बन्धित थी, से निम्नलिखित प्रकट होता है:

⁸⁵ दावा किया गया अनुदान (सरकार द्वारा प्रदान किया गया) 2008–09 में ₹ 57.96 करोड़ (₹ 50 करोड़), 2009–10 में ₹ 77.97 करोड़ (₹ 50 करोड़), 2010–11 में ₹ 112.56 करोड़ (₹ 85 करोड़), 2011–12 में ₹ 161.79 करोड़ (₹ 85 करोड़) तथा 2012–13 में ₹ 251.87 करोड़ (₹ 85 करोड़)।

⁸⁶ वाराणसी, इलाहाबाद, मिर्जापुर, आजमगढ़, गोरखपुर और बस्ती।

⁸⁷ 2012–13 के आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

अक्षर एवं संख्याएँ

3-12-14 पूर्विविनिलि कोषों को रखने हेतु मुख्यतः तीन चालू बैंक खातों अर्थात् (i) पूँजीगत प्राप्तियों हेतु चालू खाता (ii) व्यय हेतु चालू खाता और (iii) राजस्व प्राप्तियों हेतु चालू खाता, का रखरखाव करता है। हमने देखा कि पूर्विविनिलि ने कोष का अन्तर्गमन/बाह्यगमन बजट तैयार नहीं किया। पूर्विविनिलि का कोष विभिन्न स्तरों पर अवरुद्ध था और इसी अवधि में इसने कोष उधार लिये तथा इस पर ब्याज का भुगतान किया।

कोष प्रबन्धन में कमियों के कुछ मामलों की चर्चा नीचे की गई है:

पूर्विविनिलि मुख्यालय को पूँजीगत प्राप्तियों का प्रेषण न किया जाना

3-12-15 यूपीपीसीएल द्वारा अक्टूबर/नवम्बर, 2005 में जारी किये गये निर्देशों के अनुसार उपभोक्ताओं से सिस्टम लोडिंग चार्जर (एसएलसी)⁸⁸, सर्विस कनेक्शन चार्जर, प्रतिभूति इत्यादि के मद पर पूँजीगत प्राप्ति खातों में प्राप्त सभी धनराशि, एक माह में दो बार अर्थात् प्रत्येक माह की 5 और 20 तारीख को हस्तान्तरित की जानी चाहिए।

i fofofufy ds 12 [k. Mka
us i fofofufy el[; ky;
dks i jthxr i kflr; k dks
gLRkUrj.k dks funf klo dk
i kyu ugh fd; k vlg
dkskka dks pkyw [kkrse
j [kk ft] ds
i fj .kkeLo: i 2008&13
ds nkjku ₹ 1-39 dj kM+
ds C; kt dk i fj gk; Z
Hkkrku djuk i Mka

हमने देखा कि नमूना जाँच की गयी 13 ईडीडी में से 12 ईडीडी⁸⁹ ने न तो निर्देशों का पालन किया न ही नियत तिथि पर मुख्यालय को सम्पूर्ण कोषों को हस्तान्तरित करने हेतु बैंकों को कोई रक्षाई निर्देश जारी किया। जिसके परिणामस्वरूप 2008–09 से 2012–13 की अवधि के दौरान ₹ 0.44 करोड़ एवं ₹ 7.73 करोड़ के मध्य की सीमा तक का शेष चालू खातों में पड़ा रहा। पूर्विविनिलि ने, फिर भी ईडीडी से सम्पूर्ण कोषों का मुख्यालय के मुख्य खाते में हस्तान्तरण सुनिश्चित करने हेतु कोई तन्त्र विकसित नहीं किया और अपनी दिन-प्रतिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आरईसी/पीएफसी से कम अवधि के ऋणों को लेकर ब्याज का भुगतान किया। आरईसी/पीएफसी से ऋणों पर ₹ 1.39 करोड़⁹⁰ के ब्याज के भुगतान को केवल इन्हीं 12 ईडीडी द्वारा कोषों को समय पर हस्तान्तरित करके बचाया जा सकता था।

प्रबन्धन ने स्वीकार (सितम्बर 2013) किया और बताया कि कोषों का समय पर हस्तान्तरण सुनिश्चित करने हेतु निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

व्यय खाते हेतु फ्लैक्सी सुविधा प्राप्त न किया जाना

3-12-16 ईडीडी आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों को भुगतान, कर्मचारियों को वेतन इत्यादि हेतु मुख्यालय से हस्तान्तरित कोषों को चालू बैंक खातों में रखते हैं। बैंक चालू खातों के साथ फ्लैक्सी सुविधा प्रदान करते हैं जिसमे परस्पर सहमत धनराशि से अधिक राशि स्वचालित रूप से फिक्स्ड डिपॉजिट में बदल जाती है। यह ब्याज की आय को अधिकतम करने हेतु एक अवसर प्रदान करता है साथ-ही-साथ निकासी के सीमित न होने से कोषों की तरलता को यथावत् बनाये रखता है।

हमने देखा कि लेखा परीक्षा में जाँच की गयी 13 ईडीडी में से 12 ईडीडी⁹¹ ने ₹ 1.25 करोड़ एवं ₹ 5.27 करोड़ के मध्य सीमा तक के शेषों को चालू खातों में रखा लेकिन फ्लैक्सी सुविधा प्राप्त नहीं की। जिसके परिणामस्वरूप पूर्विविनिलि ने अकेले इन 12 ईडीडी में 2008–13 के दौरान ₹ 0.72 करोड़⁹² के ब्याज की हानि वहन की। विद्युत

⁸⁸ विद्युत वितरण व्यवस्था में सुधार हेतु प्रारम्भिक संयोजन अथवा भार में वृद्धि पर उपभोक्ता पर लगाया जाने वाला प्रभार।

⁸⁹ ईडीडी-I आजमगढ़, ईडीडी-II आजमगढ़, ईडीडी-I जौनपुर, ईडीडी-II जौनपुर, ईडीडी-I मऊ, ईडीडी-चन्दौली, ईडीडी-I गाजीपुर, ईडीडी-सैदपुर, ईडीडी-I बलिया, ईडीडी-I गोरखपुर, ईडीडी-दुमरियागंज एवं ईयूडीडी-I वाराणसी।

⁹⁰ वर्ष 2008–09, 2009–10, 2010–11, 2011–12 एवं 2012–13 के दौरान लिए गए अल्पकालीन ऋणों पर क्रमशः 11 प्रतिशत, नौ प्रतिशत, 11 प्रतिशत, 12.25 प्रतिशत एवं 12.25 प्रतिशत प्रतिवर्ष के न्यूनतम दरों पर आगणित।

⁹¹ ईडीडी-I आजमगढ़, ईडीडी-II आजमगढ़, ईडीडी-I जौनपुर, ईडीडी-II जौनपुर, ईडीडी-I मऊ, ईडीडी-II मऊ, ईडीडी-चन्दौली, ईडीडी-I गाजीपुर, ईडीडी-II सैदपुर, ईडीडी-I बलिया, ईडीडी-I गोरखपुर तथा ईडीडी-दुमरियागंज।

⁹² ₹ 2.00 लाख के ऊपर के शेष पर 4.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से गणना की गयी।

नगरीय वितरण खण्ड-I, वाराणसी ने इसी अवधि के व्यय खातों के बैंक विवरणों का रखरखाव नहीं किया।

प्रबन्धन ने लेखा परीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार (सितम्बर 2013) किया और बताया कि फलैक्सी जमा योजना का प्रबन्ध किया जायेगा और आने वाले माह में इसे लागू कर दिया जायेगा।

राजस्व खाते से प्रेषण में दरी

3-12-17 ईडीडी विद्युत के विक्रय से प्राप्त राजस्व को रखने एवं इसके यूपीपीसीएल को आगे हस्तान्तरित करने हेतु चालू बैंक खाते रखते हैं। प्रबन्ध निदेशक, यूपीपीसीएल ने डिस्कॉम्स को निर्देश (सितम्बर 2007 / जनवरी 2009) दिया कि संग्रह किये गये राजस्व को ईडीडी के स्तर पर रोका नहीं जाना चाहिए। सभी अधिकारी अभियन्ताओं को यह सुनिश्चित करने हेतु कि धनराशि को निकटतम हजार रुपये में दैनिक आधार पर यूपीपीसीएल को प्रेषित कर दिया गया है तथा कोई धनराशि अनावश्यक रूप से रोकी नहीं गयी है, निर्देश दिये गये।

हमने देखा कि जबकि ईडीडी-I, आजमगढ़ एवं ईडीडी-II, मऊ ने राजस्व खाते से सम्बन्धित बैंक विवरणों का रखरखाव नहीं किया था, 11 ईडीडी⁹³ ने बैंकों को कोई निर्देश नहीं दिये गये थे और यह सुनिश्चित करने हेतु कि बैंकों द्वारा राजस्व खाते में पड़ी समस्त धनराशि को दैनिक आधार पर व्यापार घंटों की समाप्ति पर यूपीपीसीएल को प्रेषित कर दिया गया है, कोई अनुश्रवण नहीं किया। व्यापार घंटों की समाप्ति पर सम्पूर्ण धनराशि के हस्तान्तरण न करने के परिणामस्वरूप, यूपीपीसीएल को उपलब्ध कोषों का प्रेषण नहीं हुआ। चूंकि यूपीपीसीएल द्वारा इन कोषों का उपयोग विद्युत क्रय लागत को पूरा करने हेतु किया जा रहा था, कोषों की अल्पप्राप्ति/प्रप्ति न होने से उदारियों की वृद्धि पर द्वुतामी (कैसकेडिंग) प्रभाव पड़ेगा। जिसके परिणामस्वरूप 2012-13 के दौरान ₹ 1.43 करोड़ के अधिकतम शेष को यूपीपीसीएल को प्रेषित नहीं किया गया। ईडीडी ने इस व्याज की माँग बैंकों से नहीं की।

प्रबन्धन ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार (सितम्बर 2013) और खण्डों को बैंकों के पास दावा दाखिल करने हेतु निर्देश जारी किया।

I pkyukRed i dj .k

3-12-18 कुशल कोष अन्तर्प्रवाह के लिए विद्युत विक्रय प्रभारों हेतु देयकों का सही एवं समय से जारी करना एवं उनके सापेक्ष शीघ्र संग्रहण जरूरी है। कोष अन्तर्प्रवाह को अधिकतम करने के लिए नये संयोजनों पर मीटर स्थापित करके, विद्युत की समुचित मीटरिंग तथा यदि मीटर खराब हो तो मीटर प्रतिस्थापित करके विक्रय की गयी वास्तविक मीटर रीडिंग के आधार पर विद्युत की बिलिंग सुनिश्चित करना चाहिए।

कोष अन्तर्प्रवाह के प्रबन्धन में कमी थी क्योंकि विद्युत प्रभारों हेतु देयक या तो जारी नहीं किये गये थे अथवा त्रुटिपूर्ण जारी किये गये जैसे की बिना मीटर रीडिंग के जारी किया जाना इत्यादि, बकाये देयों का अनुश्रवण दुर्बल था, बकाये देयों की वसूली हेतु समय से उपयुक्त कार्यवाही नहीं की गयी, वसूली प्रमाण-पत्र के निर्गमन के माध्यम से वसूली प्रभावी नहीं थी, जिसकी चर्चा आगामी प्रस्तरों में की गयी है।

VsjQ vknsl dk vdqky vuqj; kx

3-12-19 पूर्विविनिलि के पास यूपीईआरसी द्वारा अनुमोदित सम्बन्धित टैरिफ को लागू करने एवं तदनुसार राजस्व वसूली सुनिश्चित करने हेतु कोई प्रभावी नियन्त्रण तन्त्र नहीं था। परिणामतः पूर्विविनिलि ने राजस्व की कम वसूली/वसूली न होने के कारण हानि वहन किया। मामले जो संज्ञान में आये उनका विवरण निम्न सारणी में दिया गया है:-

⁹³ ईडीडी-II आजमगढ़, ईडीडी-I जौनपुर, ईडीडी-II जौनपुर, ईडीडी-I मऊ, ईडीडी-चन्दौली, ईडीडी-I गाजीपुर, ईडीडी-सैदपुर, ईडीडी-I बलिया, ईडीडी-I गोरखपुर, ईडीडी-डुमरियागंज एवं ईयूडीडी-I वाराणसी।

Lkkj.kh | १८; क 3-8

०१ १४; क	vfu; ferrk dñ i dfr	i to/ku	Xyr vuij; lx@vuij; lx dñ fij.kke
(i)		राज्य सरकार ने अधिसूचित किया (सितम्बर 2012) कि 13 सितम्बर 2012 से मीटर युक्त उपभोक्ताओं से प्रभार दर का 7.5 प्रतिशत इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी के रूप में चार्ज किया जायेगा।	नौ ईडीडी ^{९४} ने 137 एचवी-2, दो एचवी-4 एवं दो ललएमी-4 वाले उपभोक्ताओं पर ईडी की अधिसूचित दर को लागू नहीं किया और नौ पैसे प्रति यूनिट की पुगाने दर से ईडी चार्ज किया। परिणामस्वरूप, सितम्बर 2012 से जून 2013 के दौरान, ईडी की संशोधित दर से प्रभारण न करने के कारण 141 उपभोक्ताओं से ₹ 1.16 करोड़ कम चार्ज किया गया।
(ii)	इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी का कम प्रभारण / अप्रभारण	राज्य सरकार ने (जनवरी 1997 एवं सितम्बर 2012) अधिसूचित किया कि मीटर युक्त समायोजन वाले उपभोक्ताओं से 03 जनवरी 1997 से नौ पैसे प्रति यूनिट एवं 13 सितम्बर 2012 से 7.5 प्रतिशत की दर से इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी (ईडी) प्रभारित की जायेगी।	ईडीडी-1 बलिया ने एक एचवी-2 उपभोक्ता (पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड) से ईडी प्रभारित नहीं किया। परिणामस्वरूप, अप्रैल 2009 से जून 2013 के दौरान ₹ 10.95 लाख की ईडी का कम प्रभारित नहीं की गयी।
(iii)		राज्य सरकार ने अधिसूचित (जनवरी 1997 एवं सितम्बर 2012) किया कि प्रभार दर (स्थाई प्रभार) का 20 प्रतिशत की दर से बिना मीटर वाले उपभोक्ताओं से ईडी प्रभारित की जायेगी।	अप्रैल 2008 से मार्च 2013 के दौरान 8 ईडीडी ^{९५} ने बिना मीटर वाले एलएमी-8 ^{९६} उपभोक्ताओं पर ₹ 10.87 करोड़ एवं एलएमी-3 उपभोक्ताओं पर ₹ 13.03 लाख की ईडी का कम प्रभारण / अप्रभारण किया।
(iv)	डिमान्ड चार्ज का अप्रभारण	बिल की जाने वाली डिमान्डः 15 अप्रैल 2010 से प्रभावी रेट शिड्यूल के प्रावधानों के अनुसार किसी माह में बिल की जाने वाली डिमान्ड, टीवीएम / टीओडी मीटर में प्रदर्शित वास्तविक अधिकतम डिमान्ड अथवा अनुबन्धित भार का 75 प्रतिशत, दोनों में जो अधिक हो, होगी। अनुबन्धित भार से बढ़ने की दशा में प्रभारः उपर्युक्त रेट शिड्यूल के प्रावधानों के अनुसार, यदि टीवीएम / टीओडी मीटर संयोजन वाले उपभोक्ता की वास्तविक डिमान्ड किसी माह में अनुबन्धित भार से बढ़ जाती है तो इस अतिरिक्त मांग हेतु अलग से निम्नवत प्रभार लिया जायेगा। (i) यदि अतिरिक्त मांग, अनुबन्धित भार के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है तो सामान्य दर से। (ii) यदि अतिरिक्त मांग, अनुबन्धित भार के 10 प्रतिशत से अधिक है तो सामान्य दर के दो गुने दर से।	(i) ईडीडी-1 मऊ ने पाँच एचवी-2 उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में मीटर द्वारा प्रदर्शित अधिकतम मांग पर सामान्य दर से प्रभारित नहीं किया और अनुबन्धित भार तक ही डिमान्ड चार्ज को सीमित रखा। परिणामस्वरूप, पाँच उपभोक्ताओं से ₹ 1.92 लाख कम प्रभारित किये गये। (ii) ईडीडी-1 गाजीपुर ने नौ एचवी-2 उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में मीटर द्वारा प्रदर्शित 10 प्रतिशत तक अतिरिक्त मांग एवं 10 प्रतिशत से अधिक अतिरिक्त मांग हेतु चार्ज नहीं किया। परिणामस्वरूप, नौ उपभोक्ताओं से ₹ 3.17 लाख कम प्रभारित किये गये। (iii) ईडीडी सैदपुर ने मीटर द्वारा अनुबन्धित भार के 10 प्रतिशत से अधिक मांग हेतु सामान्य दर के दोगुने दर पर प्रभारित नहीं किया। परिणामस्वरूप, उपभोक्ता (अधिशासी अभियन्ता, सोन मेकेनिकल कन्सट्रक्शन डिवीजन, वाराणसी-देवकली पम्प कैनाल) से ₹ 17.14 लाख कम प्रभारित किया गया।
(v)	रेट शिड्यूल का अनुप्रयोग न किया जाना।	एलएमी-8 ^{९७} उपभोक्ताओं हेतु स्थाई प्रभार 15 अप्रैल 2010 से ₹ 1000 प्रति बीएचपी प्रतिमाह एवं 1 अक्टूबर 2012 से ₹ 1200 प्रति बीएचपी प्रतिमाह की दर से प्रभारित किया जाना था।	ईडीडी-1 गाजीपुर ने इन दरों का अनुप्रयोग नहीं किया और उपभोक्ता से ₹ 1.41 करोड़ कम प्रभारित किया। ईडीडी-1 मऊ ने अक्टूबर 2012 से मार्च 2013 के दौरान, बड़े हुए दर से स्थाई प्रभार का अनुप्रयोग नहीं किया और ₹ 13.01 लाख कम प्रभारित किया। इसके परिणामस्वरूप, पूर्वविनिलि को ₹ 1.54 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।
(vi)	बिलिंग चक्र के अनुसार बिलिंग न करना।	विद्युत प्रदाय संहिता-2005 की परिशिष्ट 3.1 प्रावधानित करना है कि एचवी-4 उपभोक्ताओं हेतु बिलिंग चक्र मासिक होगी।	ईडीडी बुमरियांगज ने जून 2012 से जुलाई 2013 के दौरान एक एचवी-4 उपभोक्ता अनुबन्धित भार 1200 केवीए का ₹ 0.84 करोड़ का विद्युत बिल निर्गत नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप, उपभोक्ता से प्रभारित न करने के कारण, पूर्वविनिलि को ₹ 0.84 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।
(vii)	असत्यापित बकायों को शामिल न करना।	विद्युत प्रदाय संहिता का प्रस्तर 6.15 (ब) प्रावधानित करना है कि किसी उपभोक्ता द्वारा देयों की वसूली उस तिथि के दो वर्ष बाद जब से पहली बार देय हुए हों, नहीं की जायेगी जब तक कि इन देयों को, आपूर्ति की गयी विद्युत के बकाया प्रभार के व्यय में लगातार न दर्शाया।	(i) 2008-13 के दौरान पाँच ईडीडी ^{९८} ने ईडी एवं कैपिस्टर सरचार्ज सहित ₹ 7.38 करोड़ का विद्युत बिल, अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड ^{९९} को निर्मित किया किन्तु ईडी एवं शंट कैप सिटर सरचार्ज की धनराशि उपभोक्ता द्वारा सत्यापित नहीं की गयी। (ii) ईडीडी सैदपुर ने अक्टूबर 2008 से फरवरी 2013 के दौरान देवकली पम्प कैनाल (उपभोक्ता) विद्युत बिल निर्गत किया जिसके विद्युत उपभोक्ता द्वारा ₹ 13.61 करोड़ का सत्यापन नहीं किया गया। ईडीडी ने आगामी बिलों में इस असत्यापित धनराशि को शामिल नहीं किया। जिसके परिणामस्वरूप, धनराशि की वसूली नहीं हुई।

प्रबन्धन ने हमारी आपत्तियों को स्वीकार (सितम्बर 2013) किया एवं कहा कि विद्युत बिल जारी किये जा रहे हैं। लेखा परीक्षा द्वारा इंगित ₹ 35.86 करोड़ राजस्व की कम वसूली/वसूली न होने में से केवल ₹ 0.76 लाख वसूला जा चुका है।

⁹⁴ ईडीडी-II जौनपुर, ईडीडी-I आजमगढ़, ईडीडी-II आजमगढ़, ईडीडी-II मऊ, ईडीडी-चन्दौली, ईडीडी-I गाजीपुर, ईडीडी-सैदपुर, ईडीडी-I बलिया तथा ईडीडी-I गोरखपुर।

⁹⁵ ईडीडी-I जौनपुर, ईडीडी-II जौनपुर, ईडीडी-I आजमगढ़, ईडीडी-II आजमगढ़, ईडीडी-I गाजीपुर, ईडीडी-I बलिया, ईडीडी-I चन्दौली एवं ईडीडी-I गोरखपुर।

⁹⁶ राजकीय नलकूप, वर्ल्ड बैंक नलकूप एवं लघु डाल नहर।

⁹⁷ ईडीडी-I जौनपुर, ईडीडी-II जौनपुर, ईडीडी-II मऊ, ईडीडी-I गाजीपुर एवं ईडीडी-चन्दौली।

⁹⁸ अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड, जौनपुर: अधिशासी अभियन्ता, लघु डाल नहर, जौनपुर: अधिशासी अभियन्ता, माइनर लिपट कैनाल खण्ड, गाजीपुर एवं अधिशासी अभियन्ता, राजकीय नलकूप खण्ड चन्दौली।

vnRr | jdkjh cdk; sij foyEc Hkrku vf/kk dk vi lkj .k

3-12-20 टैरिफ आदेश के अनुसार यदि कोई उपभोक्ता अपने विद्युत बिल का उसमें निर्दिष्ट नियत तारीख तक भुगतान करने में विफल रहता है तो विलम्ब भुगतान अधिभार प्रथम तीन माह तक प्रतिमाह 1.25 प्रतिशत की दर से एवं बाद में प्रतिमाह 1.5 प्रतिशत की दर से, प्रभारित किया जायेगा।

पूविविनिलि की ईडीडी ने सरकारी उपभोक्ताओं⁹⁹ को मासिक/त्रैमासिक आधार पर ऊर्जा आपूर्ति के लिए बिल निर्गत किया एवं यूपीपीसीएल ने इन बिलों के विरुद्ध केन्द्रीय स्तर पर भुगतान प्राप्त किया। भुगतान प्राप्त करने के बाद, यूपीपीसीएल द्वारा वर्क मेमो क्रेडिट रसीद (डब्ल्यूएमसीआर) सम्बन्धित ईडीडी को सम्बन्धित उपभोक्ताओं के बकायों के विरुद्ध समायोजन करने के लिये निर्गत किया। हमने देखा कि इन बकायों के विरुद्ध शासन से यूपीपीसीएल द्वारा प्राप्त भुगतान बहुत ही अनियमित था। यूपीपीसीएल ने इन बिलों के विरुद्ध विलम्ब से भुगतान प्राप्त किया परन्तु विलम्ब भुगतान अधिभार न तो ईडीडी और न ही यूपीपीसीएल, जिसने केन्द्रीय स्तर पर भुगतान प्राप्त किया, द्वारा प्रभारित किया गया। परिणामतः, इस तथ्य के बावजूद की यूपीईआरसी ने अपने टैरिफ आदेश में कोई भी छूट सरकारी उपभोक्ताओं को नहीं दी थी, विलम्ब से भुगतान के लिये बिल धनराशि पर ₹ 304.33 करोड़ ½ f j f k "V&18½ का विलम्ब भुगतान अधिभार 2003–04 से 2011–12 तक निर्गत किये गये बिलों एवं 2008–09 से 2012–13 के दौरान प्राप्त भुगतान के विरुद्ध न तो प्रभारित किया गया और न ही वसूल किया गया।

पूविविनिलि ने कहा (सितम्बर 2013) कि राज्य सरकार के पक्ष से भुगतान अवमुक्त करने में कोई विलम्ब नहीं था परन्तु यूपीपीसीएल के स्तर पर लेखांकन में विलम्ब हुआ। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि हमने उन्हीं प्रकरणों पर विचार किया जहाँ भुगतान में वास्तव में विलम्ब सरकार द्वारा हुआ एवं विलम्ब पाँच माह से 92 माह तक की सीमा में रहा।

fo | r ink; | fgrk 2005 dk nksik wl vuji lk

3-12-21 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 50 प्रावधानित करता है कि राज्य आयोग, विद्युत प्रभार की वसूली, विद्युत प्रभार के बिलिंग के लिए अन्तराल, उसका भुगतान न करने के कारण विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन, विद्युत आपूर्ति की बहाली, छेड़छाड़, विद्युत संयन्त्र, विद्युत लाइनों या मीटर में व्यवधान/क्षति वितरण, लाइसेन्सी अथवा उसकी तरफ से अन्य किसी व्यक्ति का आपूर्ति विच्छेदन के लिए एवं मीटर को हटाने के लिए प्रवेश, विद्युत लाइनों या विद्युत संयन्त्र या मीटर का प्रतिस्थापन, परिवर्तन या रखरखाव हेतु प्रवेश हेतु एक विद्युत प्रदाय संहिता निर्दिष्ट करेगा। तदनुसार, यूपीईआरसी ने, उपयुक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुये फरवरी 2005 में विद्युत प्रदाय संहिता, 2005 (प्रदाय संहिता) अधिसूचित की। राज्य के सभी लाइसेन्सी पर प्रदाय संहिता लागू है।

पूविविनिलि ने प्रदाय संहिता को प्रभावशाली रूप से लागू नहीं किया एवं राजस्व की क्षति को रोकने में विफल रहा जैसा कि निम्नवत् तालिका में वर्णित है:

Lkj.kh | f; k 3-9

Øe f;k	ink; fgrk dk i to/ku	vuj; lk u djusdk i fjk.k
(i)	प्रदाय संहिता को उपबन्ध 5.1 प्रावधानित करना है कि विद्युत आपूर्ति एवं नये संयोजन बिना मीटर के निर्गत नहीं किये जायेंगे।	2008–09 से 2012–13 के दौरान 12 ईडीडी ¹⁰⁰ ने प्रदाय संहिता के उपबन्ध 5.1 का उल्लंघन करते हुये एलएमवी–1 एवं एलएमवी–2 के 62,612 संयोजन बिना मीटर के निर्गत किये, जिसकी बिलिंग समरूप दर पर प्रति संयोजन प्रति माह हो रही थी। इस बिना मीटर की आपूर्ति ने पूविविनिलि को ₹ 178.67 करोड़ ¹⁰¹ की धनराशि से वंचित किया क्योंकि यह उपभोक्ताओं को वास्तविक ऊर्जा उपभोग का बिल जारी नहीं कर सका।

⁹⁹ जन प्रकाश (एलएमवी–3), जन जलकल (एलएमवी–7) एवं राजकीय नलकूप, पंचायती राज ट्यूबवेल एवं पम्प कैनाल (एलएमवी–8)।

¹⁰⁰ ईडीडी–I आजमगढ़, ईडीडी–II आजमगढ़, ईडीडी–I जौनपुर, ईडीडी–II जौनपुर, ईडीडी–I मऊ, ईडीडी–II मऊ, ईडीडी–चन्दौली, ईडीडी–I गाजीपुर, ईडीडी–सैदपुर, ईडीडी–I बलिया, ईडीडी–I गोरखपुर एवं ईडीडी–दुमरियागंज।

¹⁰¹ 2008–09 से 2012–13 के दौरान बिना मीटर के संयोजनों के प्रति इकाई केडब्ल्यू (बिना मीटरों के संयोजनों के विरुद्ध निर्धारित प्रति इकाई केडब्ल्यू) तथा मीटर लगे संयोजनों के प्रति इकाई केडब्ल्यू (मीटर में परिलक्षित इकाई) के अन्तर के आधार पर गणना की गयी।

०१ । ४; क	i nk; I fgrk dk i ko/kmu	vuj; lk u dju sk i fj. ke
(ii)	प्रदाय संहिता के प्रस्तर 4.20 (अ) के अनुसार सभी उपभोक्ताओं द्वारा दो माह के अनुमानित विद्युत उपभोग बिल के बराबर 'प्रतिभूति राशि' जमा की जायेगी।	पूर्विविनिलि ने क्रमशः 2010–11 तथा 2011–12 में ₹ 67.05 करोड़ और ₹ 105.05 करोड़ के अतिरिक्त प्रतिभूति के बिलों को ऋण, कोषों को उसी सीमा तक कम करने हेतु, जारी/वसूल नहीं किया। जिसके परिणामस्वरूप, पूर्विविनिलि ₹ 8.61 करोड़ के व्याज के बोझ का परिहार्य करने हेतु सरल कोषों के लाभों से न केवल वंचित रहा बल्कि इसने प्रदाय संहिता के अनुसार प्रतिभूति जमा की वसूली भी सुनिश्चित नहीं की।
(iii)	प्रदाय संहिता का उपबन्ध 5.1 बताता है कि लाइसेन्सी द्वारा बिना मीटर के नये संयोजन नहीं प्रदान किए जायेंगे तथा सभी बिना मीटर के संयोजनों पर मीटर स्थापित किया जायेगा। कम्पनी द्वारा उचित निर्धारण एवं उपभोक्ताओं से राजस्व वसूली सुनिश्चित करने हेतु खराब मीटरों को शीघ्रतापूर्वक बदल देना चाहिए।	हमने देखा कि 12 ईंडीडी ¹⁰² में एलएमवी–1, एलएमवी–2, एलएमवी–4, एलएमवी–5 तथा एलएमवी–6 के 0.21 से 13.37 प्रतिशत ¹⁰³ उपभोक्ताओं को बिल निर्गत नहीं किया गया और 5.82 एवं 83.21 प्रतिशत उपभोक्ताओं को एनए/एनआर/आईडीएफ/एडीएफ या आरडीएफ ¹⁰⁴ आधार पर बिल निर्गत किया जो यह दर्शाता है कि खराब मीटरों को शीघ्रतापूर्वक बदला नहीं गया। इसने उपभोक्ताओं से राजस्व वसूली तथा पूर्विविनिलि के अन्तर्गत मन कोष को विपरीत रूप से प्रभावित किया क्योंकि उपभोक्ता बिलों का भुगतान नहीं करते, यदि वे बिना मीटर रीडिंग के जारी किये गये हों और बिलों के सुधार हेतु ईंडीडी का अनुसरण करते हैं।

प्रबन्धन ने उपर्युक्त (ii) एवं (iii) पर हमारे प्रेक्षणों को स्वीकार (सितम्बर 2013) किया और बिन्दु (i) के सम्बन्ध में बताया कि टैरिफ के अनुसार बिलिंग की जा रही थी तथा राजस्व की कोई हानि नहीं हुई। हालांकि, मीटर स्थापित करने एवं मीटर की स्थापना पर ही संयोजन का निर्गमन सुनिश्चित करने हेतु निर्देश जारी कर दिये गये हैं। प्रबन्धन का यह मत की राजस्व की कोई हानि नहीं हुई, स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बिना मीटर वाले संयोजनों की बिलिंग समरूप दर (फ्लैट रेट) पर की जा रही थी और मीटर न स्थापित होने से, विद्युत उपभोग हेतु वास्तविक वसूली नहीं की जा रही थी जिससे कम्पनी को राजस्व की हानि हुई।

cdk; s ns lk dk npy vuψo.k

3-12-22 पूर्विविनिलि ने विद्युत प्रदाय के प्रावधानों के अनुसार विद्युत विक्रय के लिए उपभोक्ताओं को बिल निर्गत किया एवं निर्धारित तिथि पर अथवा इससे पूर्व अपने विद्युत बिल का उपभोक्ता द्वारा भुगतान अनिवार्य है। इसके अलावा चूँकि पूर्विविनिलि द्वारा निर्गत बिल, बिल के साथ–साथ विच्छेदन की नोटिस होती है, दोषी उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में भुगतान की देय तिथि के बाद विद्युत आपूर्ति विच्छेदित करना होता है। नीचे दी गयी तालिका में वर्ष 2008–09 से 2011–12¹⁰⁵ के चार वर्षों के दौरान पूर्विविनिलि द्वारा उपभोक्ताओं को विक्रय की गयी विद्युत के मद पर किये गये निर्धारण और देयों की वसूली को दर्शाया है।

Lkj . lk । ४; क 3-10

। क्षज्ञ क्षमता

०१ । ४; क	fooj . k	2008&09	2009&10	2010&11	2011&12	। lk
1.	वर्ष के आरम्भ में बकाया शेष	4,297.05	4,814.01	5,782.40	6,984.61	
2.	वर्ष के दौरान निर्धारित/बिल किया गया राजस्व	2,085.40	2,805.59	3,199.50	3,410.64	11,501.13
3.	वसूली हेतु नियत कुल धनराशि (1+2)	6,382.45	7,619.60	8,981.90	10,395.25	
4.	वर्ष के दौरान वसूल की गयी कुल धनराशि	1,568.44	1,837.20	1,997.29	2,197.24	7,600.17
5.	वर्तमान निर्धारण के विरुद्ध वसूल की गयी धनराशि	1,369.84	1,679.56	1,989.13	2,169.76	7,208.29
6.	वर्तमान निर्धारण के विरुद्ध वसूल की गयी धनराशि का प्रतिशत ($5/2 \times 100$)	65.69	59.86	62.17	63.61	
7.	वर्ष के अन्त में बकाया शेष (3–4)	4,814.01	5,782.40	6,984.61	8,198.01	
8.	कुल देयों के सापेक्ष वसूल की गयी धनराशि का प्रतिशत ($4/3 \times 100$)	24.57	24.11	22.24	21.14	
9.	निर्धारण माह की संख्या के सापेक्ष बकाया ($7/2 \times 12$ माह)	27.70	24.73	26.19	28.84	

स्रोत: लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों के आधार पर पूर्विविनिलि द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

¹⁰² ईंडीडी–I आजमगढ़, ईंडीडी–II आजमगढ़, ईंडीडी–I जौनपुर, ईंडीडी–II जौनपुर, ईंडीडी–I मऊ, ईंडीडी–II मऊ, ईंडीडी–चन्दौली, ईंडीडी–I गाजीपुर, ईंडीडी–सैदपुर, ईंडीडी–I बलिया, ईंडीडी–I गोरखपुर एवं ईंडीडी–I वाराणसी।

¹⁰³ ईंडीडी–I वाराणसी ने सभी बिलों को जारी किया।

¹⁰⁴ एनए–नो एक्सेस, एनआर–नो रीडिंग, आईडीएफ–इन्फार्म्ड डिफेक्टिव, एडीएफ–एपीयर्स डिफेक्टिव एवं आरडीएफ–रीडिंग डिफेक्टिव।

¹⁰⁵ वर्ष 2012–13 के लेख अभी निर्मित नहीं हैं।

उपरोक्त तालिका यह दर्शाती है कि कुल देयों के सापेक्ष देयों की वसूली 21 से 25 प्रतिशत की सीमा में थी जबकि वर्तमान निर्धारण के विरुद्ध वसूली 66 प्रतिशत से कम थी। इसलिये, बकाये प्रतिवर्ष बढ़ रहे थे। हमने देखा कि देयों में वृद्धि, देयों की वसूली हेतु निर्धारित प्रक्रिया जैसे आपूर्ति का विच्छेदन, वसूली नोटिसों को शीघ्रतापूर्वक जारी करना तथा देयों के भुगतान हेतु उपभोक्ताओं से नियमित अनुसरण को प्रभावी न करने के कारण थी। बकाया देयों के संचयन ने पूविविनिलि की कोष स्थिति को विपरीत रूप से प्रभावित किया एवं इसलिये यूपीपीसीएल के प्रति विद्युत क्रय दायित्वों का समय पर निस्तारण नहीं किया जा सका।

प्रबन्धन ने तथ्यों को स्वीकार (सितम्बर 2013) किया और बताया कि परिणामों में सुधार करने हेतु सुधारात्मक कदम उठाये जा रहे हैं।

oi yh i ek.k&i = dh fuEu oi yh

3-12-23 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 56 बताता है कि जहाँ कोई उपभोक्ता विद्युत देयों के भुगतान की उपेक्षा करता है, तो आपूर्ति के विच्छेदन से पहले, उसे 15 दिनों की सूचना दी जानी चाहिए। देयताओं की वसूली के लिए, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपक्रम (देयों की वसूली) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अन्तर्गत एक डिमाण्ड नोटिस भेजी जायेगी। यदि डिमाण्ड नोटिस निर्गत होने के बाद भी भुगतान प्राप्त नहीं होता है तो देयताओं की वसूली के लिये उपर्युक्त अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत देयों की भूराजस्व की तरह वसूली हेतु जिला अधिकारियों को वसूली प्रमाण-पत्र (आरसी) भेजा जायेगा।

हमने 11 ईडीडी¹⁰⁶ में देखा कि अप्रैल 2008 को ₹ 84.06 करोड़ की 22,399 आरसी लम्बित थी तथा 2008–09 से 2012–13 की अवधि के दौरान ₹ 43.37 करोड़ की 8,499 आरसी आगे भी जारी की गयी। उपरोक्त के विरुद्ध ₹ 5.10 करोड़ की 2,597 आरसी (वर्ष 2012–13 तक जारी की गयी आरसी की धनराशि का 4 प्रतिशत) की ही वसूली की गयी और ₹ 27.70 करोड़ (21.73 प्रतिशत) की 7,260 आरसी इस टिप्पणी के साथ कि उपभोक्ताओं को ढूँढ़ा नहीं जा सकता था, वापस कर दी गयी, इसलिये देयों की वसूली नहीं की गयी। इस प्रकार मार्च 2013 को ₹ 94.63 करोड़ की 21,041 आरसी की वसूली अभी भी लम्बित थी। पूविविनिलि, दोषी उपभोक्ताओं जिनके सम्बन्ध में आरसी वापस कर दी गयी, को खोजने में विफल रहा और जिला अधिकारियों के साथ शेष आरसी की वसूली हेतु प्रभावी प्रयास नहीं किया, जिसके कारण ₹ 94.63 करोड़ की वसूली शेष रही तथा ₹ 27.70 करोड़ इन 11 खण्डों में वसूली योग्य नहीं रहा। इस वसूल न की गई धनराशि ने पूविविनिलि की पहले से ही भारी राजस्व कमी¹⁰⁷ को बढ़ा दिया।

प्रबन्धन ने उपर्युक्त कथन को स्वीकार (सितम्बर 2013) किया और बताया कि सभी मण्डलों को, जिला प्राधिकरणों के साथ समन्वय द्वारा आरसी वसूली सुनिश्चित करने हेतु निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

detkj vklrfj d fu; l=.k

3-12-24 आन्तरिक नियन्त्रण एक प्रक्रिया है जो यह आश्वासन प्रदान करती है कि संचालन दक्षतापूर्ण हो रहा है, वित्तीय रिपोर्टिंग विश्वसनीय है एवं सम्बद्ध कानून एवं विधियों का पालन हो रहा है ताकि प्रबन्धकीय उद्देश्यों को एक कुशल एवं प्रभावी तरीके से प्राप्त किया जा सके। आन्तरिक नियन्त्रण के अन्तर्गत कार्य में पूर्णता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित करने हेतु कर्मचारियों के मध्य कार्य का वितरण, प्रबन्ध सूचना प्रणाली एवं आन्तरिक लेखा परीक्षा शामिल है।

¹⁰⁶ ईडीडी-I जौनपुर, ईडीडी-II जौनपुर, ईडीडी-I आजमगढ़, ईडीडी-I मऊ, ईडीडी-II मऊ, ईडीडी-चन्दौली, ईडीडी-सैदपुर, ईडीडी-I बलिया, ईडीडी-I गोरखपुर, ईडीडी-दुमरियांगंज एवं ईयूडीडी-I वाराणसी, ईडीडी-II गाजीपुर एवं ईडीडी-II आजमगढ़, मैं आरसी का कोई भी रिकॉर्ड का रखरखाव नहीं है।

¹⁰⁷ वर्ष 2008–09 से 2011–12 के दौरान ₹ 164.20 करोड़ एवं ₹ 1,480.93 करोड़ की सीमा तक।

प्रस्तर 3.12.15, 3.1.16, 3.12.17, 3.12.19, 3.12.20 एवं 3.12.21 में हमारे प्रेक्षण पूर्विविनिलि में वित्तीय आन्तरिक नियन्त्रण की कमी को दर्शाते हैं। इसके अतिरिक्त, हमने निम्नलिखित को देखा, जो पूर्विविनिलि में नियन्त्रण तन्त्र की कमी को भी दर्शाता है:

- मार्च 2013 को ईडीडी-II, आजमगढ़ में 22 कर्मचारियों के विरुद्ध 4 से 37 वर्षों से ₹ 54.19 लाख की धनराशि के विविध अग्रिम बकाया थे। उनकी वर्तमान सेवा की स्थिति तथा वसूली न होने के कारण से सम्बन्धित अभिलेख खण्ड में उपलब्ध नहीं थे।
- परीक्षण जाँच की गयी 13 में से 11 ईडीडी¹⁰⁸ ने नियमित रूप से कैश बुक के साथ बैंक खातों का मिलान नहीं किया। 31 मार्च 2013 को बैंक समाधान में 7 से 61 महीनों का विलम्ब था। 8 ईडीडी¹⁰⁹ में पूँजीगत प्राप्ति खाते का मिलान स्थापना के समय से नहीं किया गया था। ईडीडी, डुमरियांगंज ने स्थापना के समय से ही बैंक समाधान विवरणों को तैयार नहीं किया।
- परीक्षण जाँच की गयी 13 में से 10 ईडीडी¹¹⁰ ने अप्रैल 1992 से जनवरी 2012 के दौरान ₹ 1.31 करोड़ की धनराशि के चेकों को बैंक में जमा किया गया लेकिन बैंकों द्वारा पूर्विविनिलि के खातों में उनको क्रेडिट नहीं किया जो क्रेडिट न की गयी धनराशि को पता लगाने हेतु व्यवस्थागत नियन्त्रण की कमी को दर्शाता है।
- सभी 13 ईडीडी¹¹¹ में किसी विशेष दिन पर तिजोरी में नकद शेषों की सीमा ₹ 64.84 लाख एवं ₹ 5.15 करोड़ के मध्य थी जबकि वह धनराशि जिनके लिये तिजोरी बीमित थी, की सीमा ₹ 6.50 लाख एवं ₹ 52.00 लाख के मध्य थी। नकदी हेतु तिजोरी के कम/न किये गये बीमा, नकदी की चोरी की दशा में ईडीडी को असुरक्षित कर देता है क्योंकि इन स्थितियों में बीमा कम्पनी सम्पूर्ण दावों पर विचार नहीं करेगी।

प्रबन्धन ने उपरोक्त वर्णित तथ्यों को स्वीकार (सितम्बर 2013) किया एवं बताया कि कर्मचारियों से वसूली, बैंक समाधान विवरण बनने एवं चेकों के क्रेडिट कराने की कार्यवाही आरम्भ कर दी गयी है।

fu'd'॥

कुशल कोष प्रबन्धन, उपलब्ध संसाधनों के भरपूर उपयोग एवं उपयुक्त समय पर अनुकूल शर्तों पर ऋण लेने हेतु निर्णयन के सम्बन्ध में एक साधक का कार्य करता है। यूपीपीसीएल द्वारा डिस्कॉम्स के कोष प्रबन्धक के रूप में कार्य करने एवं ब्याज-भार में कमी करने हेतु कम दरों पर कोषों की व्यवस्था करने में कमियाँ थीं, आवश्यकता का निर्धारण किये बिना ही ऋण कोषों का आहरण किया गया तथा स्कीम हेतु नियत कोषों का विपथन किया गया जिसके कारण स्कीम से सम्बन्धित कार्य में विलम्ब हुआ। एआरआर को दाखिल करने में काफी विलम्ब हुआ जिसके कारण राजस्व की हानि हुई। पूर्विविनिलि में अर्जित राजस्व के स्थानान्तरण में विलम्ब हुआ और बिना ब्याज वाले खातों में कोष अवरुद्ध रखे गये। टैरिफ आदेशों का अकुशल अनुप्रयोग एवं बकायों की वसूली हेतु शीघ्र कार्यवाही के अभाव में पूर्विविनिलि के नकद अन्तर्प्रवाह को विपरीत रूप से प्रभावित किया।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2013); उनका उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2013)।

¹⁰⁸ ईडीडी-I आजमगढ़, ईडीडी-II आजमगढ़, ईडीडी-I जौनपुर, ईडीडी-II जौनपुर, ईडीडी-चन्दौली, ईडीडी-I गाजीपुर, ईडीडी-सैदपुर, ईडीडी-I बलिया, ईडीडी-I गोरखपुर, ईडीडी-डुमरियांगंज एवं ईयूडीडी-I वाराणसी।

¹⁰⁹ ईडीडी-I आजमगढ़, ईडीडी-I मऊ, ईडीडी-II मऊ, ईडीडी-चन्दौली, ईडीडी-I गाजीपुर, ईडीडी-I बलिया, ईडीडी-I गोरखपुर एवं ईयूडीडी-I वाराणसी।

¹¹⁰ ईडीडी-I जौनपुर, ईडीडी-II जौनपुर, ईडीडी-II आजमगढ़, ईडीडी-II मऊ, ईयूडीडी-I वाराणसी, ईडीडी-चन्दौली, ईडीडी-I गाजीपुर, ईडीडी-सैदपुर, ईडीडी-I बलिया एवं ईडीडी-I गोरखपुर।

¹¹¹ ईडीडी-डुमरियांगंज में नकद हेतु तिजोरी का कोई बीमा नहीं था।

मूल्यांकन का नियमित विवरण

3-13 Lor॥= fo | ॥ mRi kndk॥ ॥/kb॥ hi h॥ ds | kfk fo | ॥ Ø; vucl/k ॥ hi h, ॥

उपलब्धता

3-13-1 भारत सरकार ने, 2012 तक प्रति व्यक्ति विद्युत उपलब्धता 1000 यूनिट से अधिक बढ़ाने एवं 2012 तक सभी को विश्वसनीय और गुणवत्तायुक्त विद्युत आपूर्ति के दृष्टिकोण से फरवरी 2005 में राष्ट्रीय ऊर्जा नीति (एनईपी) बनायी। एनईपी में घोषित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने संशोधित ऊर्जा नीति 2009 में निर्गत की। नीति में, 2017 तक प्रति व्यक्ति विद्युत की उपलब्धता 1000 यूनिट से अधिक तक बढ़ाना तथा 2014 तक सभी को विश्वसनीय और गुणवत्तायुक्त विद्युत आपूर्ति उचित दरों पर उपलब्ध कराना परिलक्षित था। विद्युत उपलब्धता बढ़ाने के लिए, ऊर्जा नीति 2009 उत्तर प्रदेश सरकार के साथ स्वतन्त्र विद्युत उत्पादकों द्वारा 250 मेगावाट और उससे अधिक के विद्युत उत्पादन स्टेशनों की, समझौता ज्ञापन (एमओयू) के माध्यम से स्थापना और उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी) द्वारा तय किये गये मूल्य पर, ऐसे विद्युत स्टेशनों से 50 प्रतिशत तक विद्युत क्रय करने पर केन्द्रित थी।

माँग में वृद्धि एवं विद्युत की उपलब्धता

3-13-2 2008–09 से 2012–13 तक के पाँच वर्षों के दौरान विद्युत की माँग व उपलब्धता नीचे दी गई है:—

लक्षण . क्रमांक 3-11

क्रमांक	लक्षण . क्रमांक	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 वर्षांतेरी
1.	विद्युत की माँग (एमयू)	70189.50	76102.50	77854.50	82088.50	91651.50
2.	विद्युत की उपलब्धता (एमयू)					
2.1	राज्य इकाइयों द्वारा उत्पादन से उपलब्धता (उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड) (एमयू)	20680.62	21066.99	19496.20	19369.64	17295.88
2.2	नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी), स्वतन्त्र विद्युत उत्पादकों, सह-उत्पादकों और अनिवार्य विनियम (यूआई) से विद्युत क्रय की उपलब्धता (एमयू)	35671.12	39611.94	45879.22	55109.97	46280.40
2.3	कुल विद्युत उपलब्धता (एमयू)	56351.74	60678.93	65375.42	74479.61	63576.28
3.	कमी (एमयू) (माँग-विद्युत उपलब्धता) (1-2.3)	13837.76	15423.57	12479.08	7608.89	28075.22
4.	कमी (प्रतिशत में) (3/1 x 100)	20	20	16	9	31
5.	विद्युत क्रय का कुल विद्युत उपलब्धता के सापेक्ष प्रतिशत (2.2/2.3 x 100)	63	65	70	74	73

ज्ञात: उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के अभिलेखों से संग्रहीत सूचना।

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि माँग व विद्युत उपलब्धता के बीच अंतर रहा है जो 2008–09 में 20 प्रतिशत से 2011–12 में 9 प्रतिशत तक गिरा परन्तु 2012–13 में माँग में वृद्धि के साथ-साथ पिछले वर्ष की तुलना में विद्युत क्रय में तेज गिरावट के कारण 31 प्रतिशत तक बढ़ गया। यद्यपि विद्युत की कुल उपलब्धता को देखते हुए विद्युत क्रय 63 प्रतिशत (2008–09) से 73 प्रतिशत (2012) तक बढ़ा, परन्तु यह माँग में वृद्धि से सुमेलित नहीं हो सका।

LorU= fo | ꝑ mRi kndk ꝑ kbJ hi h/ ds | kFk fo | ꝑ Ø; vuclU/kk ꝑ hi h, h/ , oa | e>k
Kki uka ꝑ evks ꝑ ds vflurehdj.k dhi ifØ; k , oaf o | ꝑ Ø; eV; ¹¹² dk fu/kkj .k

3-13-3 कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत नवम्बर 1999 में गठित उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (कम्पनी) उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में कार्य करती है। राज्य एजेंसी होने के नाते कम्पनी, वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम्स) ¹¹³ को अग्रेतर बिक्री हेतु विद्युत क्रय के सम्बन्ध में स्वतन्त्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी) के साथ विद्युत क्रय अनुबन्ध (पीपीए) सम्पादित करती है।

3-13-4 माँग एवा विद्युत उपलब्धता के मध्य अन्तर को भरने हेतु, कम्पनी ने राज्य ऊर्जा नीति, 2009 (एसईपी) के अन्तर्गत, एमओयू के माध्यम से उत्पादन स्टेशनों की स्थापना हेतु आईपीपी से रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमन्त्रित की (नवम्बर 2009)। कम्पनी द्वारा परीक्षित ईओआई अन्तिम अनुमोदन के लिए इनर्जी टास्क फोर्स (ईटीएफ) ¹¹⁴ को भेजी गई। ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार ने आईपीपी के साथ 12 समझौता ज्ञापन (एमओयू) निष्पादित किये। इन एमओयू के सन्दर्भ में, कम्पनी ने (आईपीपी) के साथ 2008–09 से 2012–13 के दौरान 16 पीपीए/एसपीपीए (क्षमता 11990 मेगावॉट) एमओयू ¹¹⁵ रुट से एवं प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया ¹¹⁶ वाले 2 पीपीए (क्षमता 3300 मेगावॉट) सम्मिलित करते हुए 18 तापीय विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए 18 पीपीए/पूरक पीपीए (एसपीपीए) ¹¹⁷ निष्पादित किये। पीपीए, 2009 की संशोधित ऊर्जा नीति, यूपीईआरसी के (उत्पादन टैरिफ की नियम एवं शर्त) विनियम, 2004 एवं 2009 के संशोधित विनियमों से शासित थे। सभी परियोजनाओं के विवरण i fjf k'V&19 में दिए गये हैं।

एमओयू रुट से होने वाले 16 पीपीए/एसपीपीए में से, 2 पीपीए/एसपीपीए रोजा पावर सप्लाई कम्पनी लिमिटेड के साथ और 5 पीपीए बजाज इनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के साथ क्रमशः 2 और 5 तापीय विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए (i fjf k'V&19 में क्रमशः क्रम संख्या 2, 3 व 1 पर वर्णित) सम्पादित केवल ऐसे प्रोजेक्ट्स से सम्बन्धित थे, जिन्हे 2012–13 तक पूर्ण होना था और जो वस्तुतः निर्धारित 2012–13 तक वाणिज्यिक परिचालन ¹¹⁸ प्रारम्भ कर पाई थीं। अतः हमने अपनी लेखा परीक्षा जाँच के लिए इन्हीं पीपीए/एसपीपीए का चयन किया। निविदा द्वारा दो अन्तिमीकृत पीपीए का परीक्षण हमारे द्वारा 2011–12 में किया गया। एक पीपीए ¹¹⁹ पर हमारी टिप्पणियाँ 31 मार्च 2012 को अन्त होने वाले वर्ष के सीएजी के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) में सम्मिलित थी। दूसरे पीपीए पर टिप्पणियाँ सम्मिलित नहीं की गयी थीं क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रोजेक्ट्स के लिए भूमि अधिग्रहण पर स्थगनादेश था।

यूपीईआरसी (उत्पादन टैरिफ की नियम एवं शर्तें) विनियम, 2004 (टैरिफ विनियम, 2004) 7 जून 2005 से तीन वर्षों (2007–08 तक) के लिए प्रभाव में रहे। एक वर्ष के अन्तराल पर, यूपीईआरसी (उत्पादन टैरिफ की नियम व शर्तें) विनियम, 2009 (टैरिफ विनियम, 2009) 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2014 तक के लिए प्रभाव में आए। दोनों विनियमों का

¹¹² विद्युत क्रय मूल्य को टैरिफ रेगुलेशन के अन्तर्गत टैरिफ के रूप में सन्दर्भित किया गया है।

¹¹³ मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सलाई कम्पनी (केस्टो)।

¹¹⁴ ईटीएफ का गठन: अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त (अध्यक्ष), प्रमुख सचिव (वित्त), प्रमुख सचिव (ऊर्जा), प्रमुख सचिव (सिंचाई), प्रमुख सचिव (नियोजन), प्रमुख सचिव (पर्यावरण), प्रमुख सचिव (न्याय), अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादक निगम लिमिटेड, प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड।

¹¹⁵ एमओयू रुट वाले पावर प्रोजेक्ट्स के अन्तर्गत आईपीपी को देय टैरिफ का निर्धारण यूपीईआरसी द्वारा किया जाता है।

¹¹⁶ निविदा प्रक्रिया वाले पावर प्रोजेक्ट्स के अन्तर्गत आईपीपी को देय टैरिफ को प्रतिस्पर्धात्मक निविदा द्वारा अन्तिम रूप दिया जाता है।

¹¹⁷ पूरक पीपीए रोजा पावर प्रोजेक्ट स्टेज-II के सम्बन्ध में सम्पादित किया गया था। यह रोजा पावर प्रोजेक्ट स्टेज-I हेतु सम्पादित पीपीए का विस्तार था।

¹¹⁸ रोजा (स्टेज-I : 2x300 = 600 मेगावॉट एवं स्टेज-II : 2x300 = 600 मेगावॉट) एवं बजाज पावर प्रोजेक्ट्स (5x2 x45 मेगावॉट क्षमता)। अन्य नौ पीपीए (10,340 मेगावॉट क्षमता) के पूर्ण होने की अवधि 2014–15 से 2017–18 तक निर्धारित थी और इसीलिए, इन प्रोजेक्ट्स का चयन विस्तृत लेखा परीक्षा हेतु नहीं किया गया।

¹¹⁹ 1980 मेगावॉट क्षमता वाला बारा प्रोजेक्ट, 31 मार्च 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु सीएजी के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) के प्रस्तार 3.4.1।

विनियम संख्या 5 प्रावधानित करता है कि विद्युत क्रय मूल्य के निर्धारण के लिए, (2007–08 तक) तीन वर्षों की अवधि के लिए और (मार्च 2014 तक) पाँच वर्षों के लिए आईपीपी द्वारा आवेदन किया जायेगा, अतः यह एक बहु-वर्षीय टैरिफ (एमवाईटी) था।

यूपीईआरसी (उत्पादन टैरिफ की नियम एवं भर्ती) विनियम, 2009

3-13-5 टैरिफ विनियम 2009 का विनियम 15 के अन्तर्गत तापीय विद्युत उत्पादक कम्पनियों के लिए दो स्तरीय टैरिफ अर्थात् स्थिर व्यय एवं परिवर्तनशील व्यय का प्रावधान किया गया है:—

स्थिर व्ययों में पाँच तत्व शामिल हैं जैसे कि ऋण पूँजी पर ब्याज, समता (इविवटी) पर प्रतिलाभ (आरओई), हास (हास के सापेक्ष अग्रिम को सम्मिलित करते हुए), परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय (ओएण्डएम व्यय) और कार्यशील पूँजी पर ब्याज। प्रथम दो तत्व अर्थात् ऋण पर ब्याज और आरओई, परियोजना की यूपीईआरसी द्वारा स्वीकृत पूँजी लागत से प्रत्यक्षतः सम्बन्धित थे। पूँजी लागत में कोई कमी/वृद्धि टैरिफ में कमी/वृद्धि के रूप में परिणामित होगी और अन्ततोगत्वा कम्पनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करेगी। विद्युत उत्पादक कम्पनियों (पीजीसी) द्वारा इस प्रकार के स्थिर व्ययों का दावा, जैसा यूपीईआरसी अनुमोदित करें, करना अपेक्षित था।

परिवर्तनशील व्ययों में ईंधन लागत (कोयले एवं तेल की आगत—लागत) शामिल है, जिनका दावा पीजीसी द्वारा ईंधन की वास्तविक लागत के अनुसार किया जाना था।

y[kk i jh{kk i {k.k

एजा पावर सलाइ कम्पनी लिमिटेड (आरपीएससीएल) द्वारा विकसित पॉवर प्रोजेक्ट्स (स्टेज-I एवं II)

3-13-6 उत्तर प्रदेश सरकार ने, आरपीएससीएल, आदित्य बिड़ला पॉवर कम्पनी लिमिटेड की विशेष उद्देश्य साधन (एसपीवी) के साथ 567 मेगावॉट तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए एमओयू (नवम्बर 1993) किया। आरपीएससीएल रिलायन्स इनर्जी जेनरेशन लिमिटेड (पुर्ननामित रिलायन्स पावर लिमिटेड) द्वारा अधिग्रहीत (1 नवम्बर 2006) कर ली गई। उपर्युक्त एमओयू के अन्तर्गत कम्पनी ने, 25 वर्ष की अवधि के लिए आरपीएससीएल द्वारा उत्पादित की जाने वाली शत-प्रतिशत विद्युत के क्रय के लिए रोजा स्टेज-I (इकाई-I और II प्रत्येक 300 मेगावॉट की) के लिए आरपीएससीएल के साथ पीपीए सम्पादित (12 नवम्बर 2006) किया। आरपीएससीएल और कम्पनी के मध्य रोजा पॉवर प्रोजेक्ट्स स्टेज-II (तृतीय और चतुर्थ इकाई, प्रत्येक 300 मेगावॉट की) के लिए, पूरक पीपीए सम्पादित (सितम्बर 2009) किया गया।

पीपीए, भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 के प्रावधानों के अन्तर्गत एक कानूनी अनुबन्ध होने के नाते अनुबन्ध के पक्षधारों पर बाध्यकारी था। अनुबन्ध के नियम एवं शर्तों में कोई भी परिवर्तन पक्षकारों की पारस्परिक सहमति से ही अनुमन्य था। आरपीएससीएल के साथ सम्पादित पीपीए/एसपीपीए की जाँच पर, हमने निम्नलिखित कमियाँ पायीं:

पीपीए में कमियाँ

स्टेज-I

- एमओयू रूट के अन्तर्गत आईपीपी द्वारा स्थापित किये जाने वाले थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट्स के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अथवा यूपीईआरसी द्वारा कोई भी मॉडल पीपीए अनुमोदित नहीं किया गया था।
- प्रोजेक्ट की पूँजी लागत पर सीमांकन (ऊपरी सीमा) बैंचमार्क के निर्धारण के लिए अथवा इस प्रावधान के साथ कि पूँजी लागत पर नियन्त्रण स्थापित करने के लिए कि सहमत ऊपरी पूँजी लागत अथवा वास्तविक पूँजी लागत (दोनों में जो कम हो), टैरिफ निर्धारण के लिए विचार में लाई जायेगी, के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट प्रावधान उपलब्ध नहीं था।

- अन्तिम पूँजीगत व्यय को सीमांकित/बैंचमार्क पूँजी लागत के अन्तर्गत प्रतिबन्धित करने के उद्देश्य से, पारदर्शिता निर्धारित करने एवं लागत नियन्त्रण के मान्य तन्त्र के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु पूँजी लागत की किसी स्वतन्त्र एजेंसी द्वारा जाँच कराने का कोई प्रावधान नहीं था।
- सम्पूर्ण पीपीए पर यूपीईआरसी के टैरिफ विनियमों के लागू होने के सम्बन्ध में पीपीए में कोई अधिरोपी प्रावधान नहीं था। अग्रेतर, पीपीए एवं टैरिफ विनियमों के प्रावधानों के मध्य विरोधाभास की स्थिति में, किसका प्रावधान लागू होगा, इस बात का कोई वर्णन नहीं था।
- पीपीए में डीम्ड इनर्जी¹²⁰ के लिए एक प्रावधान शामिल किया गया जबकि सीईआरसी¹²¹ एवं यूपीईआरसी के विनियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। ऐसे प्रावधान को शामिल करना, कम्पनी पर परिहार्य दायित्व के रूप में परिणामित हुआ, जैसा कि आगामी प्रस्तर संख्या 3.13.13(अ) और 3.13.13(ब) में चर्चा की गई है।

स्टेज-II

स्टेज-II के लिए पीपीए, एक पूरक समझौता था, अतः स्टेज-I के पीपीए के प्रावधान (स्टेज-II के पीपीए में विशेष रूप में वर्णित के अतिरिक्त) इसमें भी लागू थे। पीपीए स्टेज-I में इंगित की गई कमियों के अतिरिक्त, स्टेज-II का पीपीए भी निम्नलिखित सीमा तक कमी वाला था:—

- स्टेज-I के पीपीए की तरह न होकर, स्टेज-II के पीपीए में पूँजी लागत पर कोई सीमांकन नहीं था। पूँजी लागत पर नियन्त्रण रखने हेतु भी कोई तन्त्र नहीं था। इस प्रकार, पूँजी लागत अन्तर्हीन थी जिसमें किसी वृद्धि के सापेक्ष कम्पनी द्वारा विरोध का कोई अनुबन्धिक आधार नहीं था।
- पीपीए में पूँजी लागत पर सीमांकन/पूँजी लागत पर नियन्त्रण का प्रावधान न होने के कारण, कम्पनी यूपीईआरसी द्वारा ₹ 550.02 करोड़ की अतिरिक्त पूँजी लागत के अनुमोदन (जून 2012) का विरोध नहीं कर सकी, जैसा कि आगामी प्रस्तर संख्या 3.13.9 में चर्चा की गयी है।

प्रोजेक्ट की पूँजी लागत और इसका विद्युत क्रय¹²² मूल्य पर प्रभाव

3.13.7 एमओयू रूट के अन्तर्गत प्रोजेक्ट पूँजी लागत पर आधारित होता है, जैसा कि खुली सुनवाई के पश्चात् यूपीईआरसी द्वारा अनुमोदित पीपीए में प्रावधानित होती है। टैरिफ विनियम 2009 के विनियम संख्या 20 के अनुसार, 70:30 के ऋण समता अनुपात में लगाई गई पूँजी लागत विद्युत क्रय मूल्य के निर्धारण के लिए विचार में लाई जाती है और जहाँ वास्तविक समता 30 प्रतिशत से कम है, वास्तविक ऋण एवं समता को टैरिफ निर्धारण के लिए विचार किया जाना चाहिए। यदि नियोजित समता 30 प्रतिशत से अधिक है, इसे 30 प्रतिशत तक प्रतिबन्धित किया जाता है और शेष आईपीपी द्वारा मानित ऋण (नॉरमेटिव लोन) जैसा माना जाता है। टैरिफ विनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार, स्थिर व्ययों एवं परिवर्तनशील व्ययों को सम्मिलित करते हुए विद्युत क्रय मूल्य का निर्धारण यूपीईआरसी द्वारा किया जाता है। स्थिर व्ययों का आंकलन पाँच तत्वों जैसे कि ऋण पर ब्याज, ह्रास, समता पर प्रतिलाभ (आरओई), परिचालन और अनुरक्षण (ओएण्डएम) व्यय और कार्यशील पूँजी पर ब्याज के आधार पर किया जाता है। जबकि ओएण्डएम व्यय टैरिफ विनियम 2009 में तापीय विद्युत प्रोजेक्ट्स (टीपीपी) की क्षमता के अनुसार प्रावधानित है, अन्य चार तत्व अर्थात् ऋण पर ब्याज, ह्रास, समता पर प्रतिलाभ (आरओई) और कार्यशील पूँजी पर

¹²⁰ पीपीए के अनुसार डीम्ड इनर्जी का तात्पर्य, तत्समय विद्यमान एवं दैनिक घोषित क्षमता के सापेक्ष वास्तविक उत्पादन स्तर के सन्दर्भ में, उन उत्पादित विद्युत इकाईयों से है, जो कि रोजा उत्पादन करने की स्थिति में था किन्तु (अ) यूपीपीसीएल से डिस्पैच निर्देश अथवा (ब) यूपीपीसीएल के स्तर पर ग्रिड व्यवधान के कारण यूपीपीसीएल द्वारा विद्युत की आपूर्ति लेने में विफलता अथवा (स) यूपीपीसीएल द्वारा भुगतान में त्रुटि के परिणाम स्वरूप, उत्पादन न किया हो।

¹²¹ सीईआरसी— केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग।

¹²² विद्युत क्रय मूल्य को टैरिफ विनियमों में टैरिफ के रूप में सन्दर्भित किया गया है।

ब्याज प्रोजेक्ट की वास्तविक पूँजी लागत पर आधारित होते हैं। अतः पूँजी लागत में कोई वृद्धि / कमी तदनुसार इन चार तत्वों की वृद्धि / कमी में फलित होती है जो प्रकारान्तर में, विद्युत क्रय मूल्य को और कम्पनी के वित्तीय हित को प्रभावित करती है।

अतिरिक्त पूँजी लागत की अनुमति देने के कारण अतिरिक्त वित्तीय भार

L&t & I

3.13.8 टैरिफ विनियम, 2004 का विनियम संख्या 17 प्रावधानित करता है कि जहाँ पीपीए के अन्तर्गत पूँजी लागत पर सीमांकन का प्रावधान है, वास्तविक पूँजी व्यय टैरिफ निर्धारण के लिए ऐसा सीमांकन से अधिक नहीं होगा और यदि वास्तविक पूँजी व्यय ऐसे सीमांकन से अधिक हो तो ऐसी वृद्धि आईपीपी द्वारा दाखिल किये गये आवेदन पर प्रकरणवार यूपीईआरसी द्वारा तय किया जायेगा।

रोजा पॉवर प्रोजेक्ट, स्टेज-I हेतु कम्पनी व आरपीएससीएल के मध्य सम्पादित पीपीए (नवम्बर 2006) टैरिफ विनियम, 2004 द्वारा शासित था। पीपीए के अन्तर्गत, यूपीईआरसी द्वारा रोजा पॉवर प्रोजेक्ट स्टेज-I के लिए पूर्व में अनुमोदित पूँजी लागत इस उल्लेख के साथ ₹ 2,641.63 करोड़ थी कि टैरिफ निर्धारण के उद्देश्य के लिए यह लागत पूँजी लागत की सीमांकित होगी। यूपीईआरसी ने आरपीएससीएल के ₹ 564.80 करोड़ के दावे के सापेक्ष ₹ 470.88 करोड़ की अतिरिक्त पूँजी लागत अनुमोदित की (अप्रैल 2009)। अतिरिक्त पूँजी लागत की अनुमति पीपीए के प्रावधानों तथा इस तथ्य के दृष्टिकोण से भी कि पीपीए टैरिफ विनियम 2004 द्वारा शासित था, के अनुसार नहीं थी।

; i hboVkj | h }jk
vuelkfnr vfrfjDr
i jth ykxr dk
fojk lk dju se
dEi uh dh vfØ; k
us ekpz 2013 rd
₹ 137.01 djM+dk
forrh; Hkj Myk
ftl dk c<uk "ksk
vupcfU/kr vof/k ds
nkjku tkjh jgskA

हमने देखा कि कम्पनी ने यही तय करने के लिए यूपीईआरसी द्वारा की गई जन सुनवाई (मार्च 2009) के दौरान सीईआरसी विनियम, 2009¹²³ के सन्दर्भ में अतिरिक्त पूँजी लागत की अनुमति का विरोध किया था। कम्पनी ने यूपीईआरसी से अनुरोध किया कि लागत की लेखा परीक्षा कम्पनी के नॉमिनी द्वारा की जाये। यूपीईआरसी यह कहकर कम्पनी के दृष्टिकोण से सहमत नहीं हुआ कि प्रोजेक्ट को पूर्ण करने की लागत इसके द्वारा विवेक सम्मत जाँच के अधीन होगी और जैसे ही ऐसी विवेक सम्मत जाँच के समय आवश्यकता होगी यह पूँजी लागत निर्धारण करने के लिए स्वतन्त्र लेखापरीक्षक और / अथवा तकनीकी विशेषज्ञ की नियुक्ति कर सकेगा, अतएव कम्पनी द्वारा अपने नॉमिनी द्वारा लेखा परीक्षा कराने पर दबाव नहीं डालना चाहिए। यह कार्य अभी तक नहीं किया गया है। अग्रेतर, कम्पनी ऐसे आदेश की प्राप्ति के 45 दिनों के अन्दर अपीलेट द्विव्यूनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी (अपटेल) के समक्ष अपील करने के लिए स्वतन्त्र थी।

हमने आगे देखा कि पूँजी लागत पर सीमांकन हेतु पीपीए का प्रावधान (उपबंध संख्या 1.1) दोनों पक्षकारों (आरपीएससीएल और कम्पनी) के लिए बाध्यकारी था जिसे सम्बन्धित पक्षकारों की सहमति के बिना परिवर्तित नहीं किया जा सकता था।

यद्यपि कम्पनी के पास अपटेल के समक्ष अपील करने के लिए पर्याप्त कानूनी आधार थे, तथा अतिरिक्त पूँजी लागत प्रदान करना कम्पनी के वित्तीय हित के विरुद्ध था, कम्पनी ने, अपील नहीं की। इस प्रकार अपील दाखिल करने और अनुसरण करने में कम्पनी की विफलता, कम्पनी पर मार्च 2013 तक की अवधि के दौरान ₹ 137.01 करोड़¹²⁴ के अतिरिक्त वित्तीय भार के रूप में फलित हुई। चूंकि पीपीए 25 वर्षों के लिए है, यह वित्तीय भार अनुबन्ध के शेष 22 वर्षों¹²⁵ के लिए ₹ 54.47 करोड़ प्रति वर्ष की दर से बढ़ेगा जैसा कि $(i/f)^{1/V\&20} \times 21$ में वर्णित किया गया है। प्रबन्धन ने कहा (अगस्त 2013) कि कम्पनी ने यूपीईआरसी के समक्ष प्रस्तुत किया कि जहाँ इसने पीपीए के अन्तर्गत पूँजी लागत पर सीमांकन का प्रावधान है, टैरिफ के निर्धारण हेतु ऐसे सीमांकन को हटाने नहीं देना चाहिए। कम्पनी ने आगे भी कहा कि पीपीए के अन्तर्गत, सीमांकन

¹²³ केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा 19 जनवरी 2009 को अधिसूचित सीईआरसी (टैरिफ की नियम एवं शर्तें) विनियम, 2009 के विनियम संख्या-7 के अन्तिम प्रस्तर में प्रावधानित है कि जहाँ विद्युत उत्पादक कम्पनी एवं लाभार्थियों के मध्य सम्पादित पीपीए के अन्तर्गत वास्तविक सीमांकन का प्रावधान हो, आयोग द्वारा अनुमोदित किये गये पूँजीगत व्यय में टैरिफ का निर्धारण करते समय, ऐसे सीमांकन पर विचार किया जायेगा।

¹²⁴ [₹ 56.88 करोड़ $(i/f)^{1/V\&20} \times 21$ + ₹ 80.13 करोड़ $(i/f)^{1/V\&21}$] = ₹ 137.01 करोड़।

¹²⁵ 2012–13 की आधार दर – ₹ 54.47 करोड़ (आरओई – ₹ 22.61 करोड़ + ऋण पर ब्याज – ₹ 31.86 करोड़) x 22 वर्ष = ₹ 1,198.34 करोड़।

लागत के रूप में पूर्व में तय की गयी लागत के सन्दर्भ में प्रोजेक्ट की लागत में संशोधन का विरोध किया था और कम्पनी के नामिती द्वारा वास्तिवक लागत की लेखा परीक्षा हेतु यूपीईआरसी से अनुरोध भी किया था। हालांकि, आयोग कम्पनी के विचारों से सहमत नहीं हुआ और उसने अपनी दूरदर्शिता के आधार पर निर्णय लिया था।

तथ्य कायम रहा कि कम्पनी अपटेल के समक्ष, अपील के माध्यम से अपने वित्तीय हितों की रक्षा करने में विफल रही।

Lvt & II

3-13-9 इसी प्रकार यूपीईआरसी ने बिना कोई सीमांकन निर्दिष्ट किए रोजा पॉवर प्रोजेक्ट स्टेज-II (2X300मेगावॉट) के लिए ₹ 3,098.60 करोड़ की पूँजी लागत अनुमोदित (जून 2009) की।

हमने देखा कि कम्पनी ने पूँजी लागत पर सीमांकन के लिए स्टेज-I प्रोजेक्ट की भाँति यूपीईआरसी का अनुमोदन लेने का प्रयास नहीं किया और न ही लागत नियन्त्रण की स्थापना के लिए पारस्परिक सहमति युक्त किसी तन्त्र को अन्तिमीकृत करने हेतु कोई प्रयास किया। यूपीईआरसी ने स्टेज-II हेतु ₹ 550.02 करोड़ (18 प्रतिशत) की अतिरिक्त लागत अनुमोदित (जून 2012) की। पीपीए, में पूँजी लागत में सीमांकन का प्रावधान न होने के कारण अतिरिक्त लागत के विरुद्ध कम्पनी के पास अपील करने का कोई अनुबन्धिक आधार नहीं था।

बहुवर्षीय टैरिफ में अधिक ओएण्डएम व्ययों पर विचार किया जाना—

3-13-10 रोजा पॉवर प्रोजेक्ट के लिए मई 2005 की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) जो कम्पनी के साथ उपलब्ध था, में आरपीएससीएल द्वारा 2009–10 वर्ष के लिए ₹ 12.17 लाख प्रति मेगावॉट के परिचालन एवं अनुरक्षण (ओएण्डएम) व्यय पर विचार किया गया था। टैरिफ विनियम, 2009 का विनियम संख्या 21(IV) में हालांकि, वर्ष 2009–10 के लिए ₹ 16 लाख प्रति मेगावॉट के ओएण्डएम व्यय का प्रावधान किया गया था जो आगामी वर्षों में 5.72 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बढ़ना था। हमने पाया कि यद्यपि कम्पनी को आरपीएससीएल द्वारा उनकी डीपीआर में विचारित कम ओएण्डएम व्ययों का संज्ञान था, इसने टैरिफ विनियम, 2009 के अन्तिमीकरण के लिए की गई जन सुनवाई (मार्च 2009) के दौरान यूपीईआरसी को इन तथ्यों से अवगत नहीं कराया। इसीलिए टैरिफ विनियम, 2009 के अनुसार तय ओएण्डएम व्यय 31.47 प्रतिशत से अधिक पाये गये।

इस प्रकार, आरपीएससीएल द्वारा उनकी डीपीआर में विचारित कम ओएण्डएम व्ययों के तथ्य से यूपीईआरसी को अवगत कराने में कम्पनी की विफलता, मार्च 2013 तक ₹ 105.16 करोड़ के परिणामी अतिरिक्त वित्तीय भार के साथ टैरिफ में वृद्धि का कारण बनी। चूँकि पीपीए 25 वर्षों के लिए है, यह वित्तीय भार अनुबन्ध¹²⁶ के शेष 22 वर्षों¹²⁷ (स्टेज-I) और 23 वर्ष 9 महीने¹²⁸ (स्टेज-II) में ₹ 54.36 करोड़ (स्टेज-I, ₹ 27.18 करोड़ + स्टेज-II, ₹ 27.18 करोड़) प्रतिवर्ष की दर से बढ़ेगा, जैसा कि **i f j f k'V&22** में वर्णित किया गया है।

प्रबन्धन ने कहा (अगस्त 2013) कि सलाहकारों द्वारा तैयार की गई डीपीआर में वर्णित ओएण्डएम व्यय संकेतक मात्र और प्रारम्भिक चरण की अवधारणात्मक नियोजन के आधार पर थे। डीपीआर में दिये गये आँकड़े प्रोजेक्ट के वास्तविक क्रियान्वयन के समय परिवर्तित हो सकते थे।

हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि डीपीआर, प्रोजेक्ट के वित्तीय और वित्तीय सम्भाव्यता निर्धारित करने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रलेख है। कम्पनी, इसलिए, टैरिफ विनियम, 2009 के अंतिमीकरण के दौरान इन तथ्यों को यूपीईआरसी के संज्ञान में लाने की अपनी जिम्मेदारी में विफल रही।

¹²⁶ स्टेज-I: ₹ 597.96 करोड़ + स्टेज-II: ₹ 645.52 करोड़ = ₹ 1,243.49 करोड़।

¹²⁷ 2012–13 की आधार दर—₹ 27.18 करोड़ x 22 वर्ष = ₹ 597.96 करोड़।

¹²⁸ 2012–13 की आधार दर—₹ 27.18 करोड़ x 23 वर्ष और 9 महीने = ₹ 645.52 करोड़।

समता पर प्रतिलाभ दर के लिए लागत-लाभ वि लेश्ण नहीं किया जाना

3-13-11 टैरिफ विनियम, 2004 में समता पर प्रतिलाभ (आरओई) 14 प्रतिशत एवं 80 प्रतिशत प्लान्ट लोड फैक्टर (पीएलएफ)¹²⁹ दिया गया है। टैरिफ विनियम, 2009, 1 अप्रैल 2009 को अथवा उसके बाद प्रारम्भ हुए प्रोजेक्ट्स के लिए 16 प्रतिशत की आरओई (0.5 प्रतिशत की प्रोत्साहन आरओई सम्मिलित करते हुए) तथा 85 प्रतिशत पीएलएफ प्रावधानित करता है। टैरिफ विनियम, 2009 का विनियम सं 2(5) प्रावधानित करता है कि ये विनियम पीपीए में अनुमोदित टैरिफ निर्धारण की नियम एवं शर्तों के अतिरिक्त हैं न कि उनके अतिक्रमण में।

पीपीए (नवम्बर 2006) सहयोजित पूरक पीपीए (सितम्बर 2009) में तदनुसार 80 प्रतिशत पीएलएफ एवं 14 प्रतिशत आरओई शामिल किया गया है। आरपीएससीएल ने बहुवर्षीय टैरिफ-एमवाईटी (2009–10 से 2013–14) से सम्बन्धित अपनी याचिका¹³⁰ में 16 प्रतिशत आरओई तथा 80 प्रतिशत पीएलएफ के लिए दावा किया। यूपीईआरसी ने मार्च 2011 में उपरोक्त बहुवर्षीय टैरिफ के लिए 16 प्रतिशत आरओई तथा 85 प्रतिशत पीएलएफ (अप्रैल 2011 से प्रभावी) पर अपनी अनुमति दी। हमने देखा कि कम्पनी ने 85 प्रतिशत पीएलएफ को स्वीकार किया लेकिन 14 प्रतिशत आरओई के लिए आग्रह किया न कि पीएलएफ से सुमेलित आरओई के लिए। यूपीईआरसी ने यह कहते हुए कि मापदण्ड या तो पीपीए से या विनियम से होने चाहिए न कि आंशिक रूप से दोनों से, कम्पनी के दावे को खारिज कर दिया। कम्पनी ने उत्तर प्रदेश के अपर महाधिवक्ता से राय माँगी जिन्होने अपनी राय व्यक्त (जनवरी 2011) की कि पक्षकारों द्वारा सम्पादित अनुबन्ध एवं तदनुसार निर्धारित आरओई, टैरिफ विनियम 2009 की उद्घोषणा मात्र से परिवर्तनीय अथवा संशोधनीय नहीं था। इसलिए पीपीए में प्रावधानित पीएलएफ से सुमेलित आरओई कानूनी रूप से तर्कसंगत आधार को निरूपित करता था।

हमने आगे भी यह देखा कि यूपीईआरसी के एमवाईटी आदेश (मार्च 2011) के प्रत्युत्तर में कम्पनी ने यूपीईआरसी के समक्ष एक पुनर्विचार याचिका दाखिल (अप्रैल 2011) की जिसमें पुनः 14 प्रतिशत प्रतिवर्ष आरओई तथा 85 प्रतिशत पीएलएफ पर विचार करने हेतु अनुरोध किया। यूपीआरईसी द्वारा अप्रैल 2012 में पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी गयी।

इस सम्बन्ध में हमने देखा कि पुनर्विचार याचिका, सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) आदेश 47 के नियम 1¹³¹ के अनुसार पोषणीय नहीं थी। इस दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति अपर महाधिवक्ता द्वारा की गयी (जून 2011) जिन्होने पुनर्विचार याचिका को वापस लेने तथा अपटेल में अपील करने हेतु कम्पनी को प्रभावपूर्ण संस्तुति की थी। यद्यपि कम्पनी ने अपर महाधिवक्ता की सलाह का अनुपालन नहीं किया और कम्पनी के अध्यक्ष—सह-प्रबन्ध निदेशक (सीएमडी) ने पुनर्विचार याचिका को जारी करने का फैसला किया।

अपील दायर करने का सीएमडी का निर्णय कम्पनी के हित में नहीं था और इसकी वजह से मार्च 2013 तक ₹ 40.98 करोड़¹³² तक कम्पनी पर अतिरिक्त परिणामी वित्तीय भार के साथ विद्युत क्रय मूल्य में वृद्धि हुई। चूंकि पीपीए 25 साल के लिए है, यह वित्तीय भार ₹ 25.40 करोड़ (स्टेज-I: ₹ 12.70 करोड़)+ (स्टेज-II: ₹ 12.70 करोड़) की दर से अनुबन्ध¹³³ के शेष 22 वर्षों¹³⁴ (स्टेज-I) और 23 साल और नौ माह¹³⁵ (स्टेज-II) में बढ़ेगा जैसा कि $\text{if } f \text{ } k'V & 23$ में वर्णित है।

¹²⁹ पीएलएफ से तात्पर्य स्थापित क्षमता के सापेक्ष प्रेषित कि गयी ऊर्जा से है।

¹³⁰ यूपीईआरसी (उत्पादन टैरिफ की नियम एवं शर्तों) विनियम, 2009 का विनियम संख्या-5 के सन्दर्भ में यूपीईआरसी में दाखिल।

¹³¹ पुनर्विचार याचिका उसी स्थिति में दाखिल की जा सकती है जबकि अभिलेख में स्पष्टतः प्रकट कोई भूल अथवा त्रुटि हुई हो। इस प्रकरण में ऐसा कोई आधार सम्मिलित नहीं था। अतः पुनर्विचार याचिका, कानूनी रूप से पोषणीय नहीं थी।

¹³² ₹ 25.10 करोड़ (स्टेज-I) + ₹ 15.88 करोड़ (स्टेज-II) = ₹ 40.98 करोड़।

¹³³ स्टेज-I: ₹ 279.40 करोड़ + स्टेज-II: ₹ 301.62 करोड़ = ₹ 581.02 करोड़।

¹³⁴ 2012–13 की आधार दर–₹ 12.70 करोड़ x 22 वर्ष = ₹ 279.40 करोड़।

¹³⁵ 2012–13 की आधार दर–₹ 12.70 करोड़ x 23 वर्ष और 9 महीने = ₹ 301.62 करोड़।

प्रबन्धन ने कहा (अगस्त 2013) कि उन्होंने 85 प्रतिशत पीएलएफ की अनुमति का विरोध नहीं किया क्योंकि बिना अतिरिक्त रिश्टर शुल्क व्ययों हेतु भुगतान के 5 प्रतिशत अतिरिक्त गारण्टी क्षमता उपलब्ध थी। 16 प्रतिशत आरओई का विरोध किया, लेकिन यूपीआरईसी इस बात से सहमत नहीं था।

प्रबन्धन का उत्तर इस बात का संकेतक है कि यूपीईआरसी के समक्ष किया गया प्रतिरोध एवं दाखिल पुनर्विचार याचिका किसी कानूनी एवं वित्तीय रूप से तर्कसंगत आधार पर नहीं थी क्योंकि कम्पनी ने कोई लागत-लाभ विश्लेषण सम्पादित नहीं किया था। हमने यह भी पाया की पीपीए में प्रावधानित 80 प्रतिशत की पीएलएफ से सुमेलित 14 प्रतिशत आरओई, हमारे द्वारा सम्पादित की गयी लाभ-लागत विश्लेषण के अनुसार अनुबन्ध अवधि (स्टेज-I एवं II प्रोजेक्ट्स) के दौरान कम्पनी के लिए ₹ 622 करोड़ (₹ 622 करोड़) तक लाभादायक थी।

इसके अतिरिक्त इस सम्बन्ध में अपर महाधिवक्ता की कानूनी सलाह के बावजूद, कम्पनी, अपटेल के समक्ष अपील दाखिल करने में विफल रही।

प्रात्साहन प्रतिलाभ हेतु अनुमन्य अनुमति

3-13-12 रोजा स्टेज-I प्रोजेक्ट (इकाई-I और II) के लिए नवम्बर 2006 में कार्यान्वित पीपीए टैरिफ विनियम, 2004 द्वारा शासित था जिसमें निर्धारित समय में पूर्ण होने वाले प्रोजेक्ट हेतु प्रोत्साहन प्रतिलाभ का कोई प्रावधान नहीं था। यूपीईआरसी ने प्रोजेक्ट के पूर्ण होने की समय सीमा 41 माह (इकाई-I) एवं 44 माह (इकाई-II) अनुमोदित (नवम्बर 2006) किया। टैरिफ विनियम 2009 में 33 तथा 37 महीने के समय के अन्दर पूर्ण हुए प्रोजेक्ट हेतु 0.5 प्रतिशत की दर से प्रोत्साहन प्रतिलाभ का प्रावधान शामिल था। यूपीईआरसी ने रोजा स्टेज-I प्रोजेक्ट (इकाई-I और II) के 41 माह तथा 44 माह के अन्दर पूर्ण होने के आधार पर रोजा स्टेज-I प्रोजेक्ट हेतु एमवाईटी (मार्च 2011) में 0.5 प्रतिशत प्रतिलाभ की अनुमति प्रदान की।

Vuupell; i krl kgu
i fryklik ds fo:)
vi Vy ea vi hy
djus ea dEi uh dh
foQyrk ds dkj. k
31 ekpz 2013 rd
₹13-28 dj kM+dk
foRrh; Hkj i M^k
tks fd vuçık dh
"ksk vof/k grq
c<uk tkjh j qxkA

हमने देखा कि टैरिफ विनियम 2009 के अनुसार 33 माह तथा 37 माह की विशिष्ट समय सीमा को ध्यान में रखते हुए इस प्रकरण में प्रोत्साहन प्रतिलाभ अनुमन्य नहीं था। कम्पनी ने एमवाईटी पर यूपीईआरसी के समक्ष, जन सुनवाई के दौरान यह इंगित नहीं किया कि टैरिफ विनियम 2004 के अनुसार, समय सीमा के दौरान पूर्ण हुए प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में कोई प्रोत्साहन प्रतिलाभ अनुमन्य नहीं था। इसके अतिरिक्त, टैरिफ विनियम 2009 में, यूपीईआरसी द्वारा अनुमन्य 41 एवं 44 माह के समय सीमा के सापेक्ष 33 एवं 37 महीने की समय सीमा अनुमन्य थी। इसके अतिरिक्त, चूंकि यूपीईआरसी द्वारा अनुमन्य प्रोत्साहन प्रतिलाभ कम्पनी के वित्तीय हित में नहीं था, अपटेल के समक्ष अपील की जानी चाहिए थी। हमने देखा कि कोई अपील नहीं की गयी थी।

अतः अपटेल के समक्ष अपील न करने के कारण विद्युत क्रय मूल्य पर परिणामी प्रभाव के साथ मार्च 2013 तक ₹ 13.28 करोड़¹³⁶ का परिहार्य वित्तीय भार कम्पनी पर पड़ा। चूँकि पीपीए 25 वर्षों के लिए है, अनुबन्ध के शेष 22 वर्षों¹³⁷ तक यह वित्तीय भार ₹ 4.67 करोड़ प्रतिवर्ष की दूर से बढ़ेगा।

प्रबन्धन ने कहा (अगस्त 2013) कि उन्होंने ने 0.5 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त प्रतिलाभ का विरोध इस आधार पर किया कि पीपीए में बिना कोई प्रावधान के भी उत्पादक कम्पनियाँ अप्रत्याशित लाभ प्राप्त कर सकती हैं, विरोध किया था। पुनः यूपीईआरसी के समक्ष दाखिल पुनर्विचार याचिका (अप्रैल 2011) द्वारा एमवाईटी आदेश के विरुद्ध चुनौती दी गयी लेकिन यूपीईआरसी सहमत नहीं हुआ।

चूँकि अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रतिलाभ की अनुमन्यता का सार टैरिफ विनियम 2009 में निर्धारित समय सीमा (33 और 37 माह) थी, कम्पनी, उपर्युक्त प्रकरण पर, यूपीईआरसी के समक्ष यह इंगित करते हुए कि रोजा पावर प्रोजेक्ट (स्टेज-1) हेतु अनुमोदित अतिरिक्त

¹³⁶ यूपीईआरसी द्वारा अनुमोदित एमवाईटी के अनुसार—₹ 0.12 करोड़ (2009–10)+₹ 3.89 करोड़ (2010–11)+₹ 4.60 करोड़ (2011–12)+₹ 4.67 करोड़ (2012–13)।

¹³⁷ 2012-13 की आधार दर ₹ 4.67 करोड x 22 वर्ष = ₹ 102.74 करोड।

प्रतिलाभ 41 एवं 44 माह की उच्च समय सीमा पर आधारित था, विरोद्ध करने में अपने कर्तव्य में विफल रही। इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने अपटेल के समक्ष अपील दायर नहीं की।

मानित (डीम्ड) विद्युत उत्पादन के कारण अतिरिक्त वित्तीय भार

3-13-13 हमने देखा कि पीपीए में, सीईआरसी और यूपीईआरसी के प्रावधानों के प्रतिकूल मानित विद्युत उत्पादन का प्रावधान शामिल किया गया था। पीपीए के प्रावधान के अनुसार, मानित (डीम्ड) विद्युत उत्पादन की दशा में कम्पनी स्थिर व्ययों के भुगतान आरपीएससीएल को करने हेतु दायी थी, यद्यपि कम्पनी द्वारा वास्तव में कोई विद्युत प्राप्त नहीं थी। हमने देखा कि निम्न दो स्थितियों में आरपीएससीएल ने मानित (डीम्ड) विद्युत उत्पादन के लिए दावा प्रस्तुत किया:

पारेषण लाइन में अवरोध/ट्रिपिंग के कारण मानित विद्युत उत्पादन हेतु दायित्व

14½ पीपीए के अनुबन्ध संख्या 9.1 (डी) के अनुसार, कम्पनी द्वारा स्टेज-I प्रोजेक्ट्स की इकाई-I एवं II की सहयोजन तिथि क्रमशः 30 सितम्बर 2009 एवं 31 दिसम्बर 2009 से 90 दिनों पूर्व छ: पारेषण लाइनों और अन्तर संयोजन सुविधाओं का निर्माण करना आवश्यक था। पीपीए में यह भी प्रावधान था कि मानित विद्युत उत्पादन¹³⁸ की स्थिति में कम्पनी, आरपीएससीएल को स्थिर व्ययों के भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थी यद्यपि वास्तव में कम्पनी द्वारा कोई विद्युत प्राप्त नहीं थी।

हमने देखा कि इकाई-I एवं II (स्टेज-I) 12 मार्च 2010 तथा 30 जून 2010 को प्रारम्भ हुई थी लेकिन कम्पनी नवम्बर 2006 से मार्च/जून 2010 के बीच अनुबन्धित छ: पारेषण लाइनों में से केवल दो को ही पूरा कर सकी। चूँकि शेष बची हुई चार पारेषण लाइनें पूरी नहीं थीं पारेषण अवरोध/ट्रिपिंग के कारण, कम्पनी, आरपीएससीएल द्वारा उत्पादित कुल विद्युत की निकासी नहीं कर सकी।

13 मार्च 2010 से 30 मार्च 2011 के बीच पारेषण अवरोध/ट्रिपिंग की 91 घटनाओं के कारण, आरपीएससीएल ने मानित विद्युत उत्पादन के सापेक्ष ₹ 31.50 करोड़ का दावा प्रस्तुत किया। यूपीईआरसी ने, अपने आदेश (7 दिसम्बर 2011) में कि आदेश के एक माह के भीतर पारस्परिक आधार पर प्रकरण का निस्तारण करने के लिए निर्देश जारी किए। यूपीईआरसी द्वारा दिये गये समय में प्रकरण का निस्तारण पारस्परिक आधार पर नहीं किया जा सका। इसलिए आरपीएससीएल ने पुनः यूपीईआरसी के समक्ष याचिका दायर (07 दिसम्बर 2012) की, यूपीईआरसी का आदेश प्रतिक्षित (दिसम्बर 2013) था।

अतः पीपीए में मानित विद्युत उत्पादन के लिए प्रावधान का अनुचित समावेश और आवश्यक पारेषण लाइनों के समय से निर्माण में विफलता के कारण कम्पनी पर ₹ 31.50 करोड़ का मानित विद्युत उत्पादन के सापेक्ष परिहार्य दायित्व उत्पन्न हो गया।

प्रबन्धन ने कहा (अगस्त 2013) कि बहुल मार्गधिकार की समस्या के कारण, दो लाइनों के कार्य को पूरा करने में विलम्ब हुआ और आरपीएससीएल द्वारा डीम्ड एनर्जी (₹ 31.50 करोड़) की 91 घटनाओं के विरुद्ध के दावे के विरुद्ध, कम्पनी द्वारा गठित उच्च अधिकार समिति ने केवल 22 घटनाओं के लिए डीम्ड एनर्जी की सिफारिश की थी। उच्च अधिकार समिति के प्रतिवेदन को, यूपीईआरसी को भेजा गया था, जिस पर यूपीईआरसी का आदेश प्रतीक्षित था।

यह तथ्य कायम रहा कि सीईआरसी और यूपीईआरसी विनियमों के उल्लंघन में डीम्ड जनरेशन के प्रावधान का समावेशन तथा पीपीए की हस्ताक्षर तिथि (नवम्बर 2006) से 37

¹³⁸ पीपीए (नवम्बर 2006) के अनुसार डीम्ड इनर्जी का तात्पर्य, किसी संचालन अवधि हेतु, तत्समय विद्यमान एवं दैनिक घोषित क्षमता, तत्सम्बन्धी अन्तिम रूप से अद्यतन संशोधन तथा कम्पनी की संज्ञानित क्षमता के सापेक्ष वास्तविक उत्पादन स्तर के सन्दर्भ में, उन उत्पादित विद्युत इकाईयों से है, जो कि आरपीएससीएल उत्पादन करने की स्थिति में था किन्तु (अ) यूपीपीसीएल से डिस्पैच निर्देश अथवा (ब) यूपीपीसीएल के स्तर पर ग्रिड व्यवधान के कारण यूपीपीसीएल द्वारा विद्युत की आपूर्ति लेने में विफलता, नार्दन रीजनल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा निर्धारित, न कि किसी बाध्यकारी घटना के कारण अथवा (स) यूपीपीसीएल द्वारा निर्धारित सिक्योरिटी पैकेज को उपलब्ध कराने सहित भुगतान में त्रुटि के परिणाम स्वरूप, उत्पादन न किया हो।

माह मे छः पारेषण लाइनों के निर्माण में कम्पनी की विफलता ने कम्पनी को डीम्ड जनरेशन के भुगतान का दायी बनाया।

भुगतान में चूक के कारण डीम्ड जनरेशन का दायित्व

१४८ पीपीए के प्रावधान¹³⁹ के अनुसार आरपीएससीएल द्वारा निर्गत किये गये बिलों के विरुद्ध कम्पनी भुगतान के लिए उत्तरदायी थी।

समय से भुगतान में कम्पनी की विफलता के कारण, न केवल विलम्ब भुगतान अधिभार के रूप में ₹ 79 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार कम्पनी पर पड़ा बल्कि डीम्ड जनरेशन के कारण उसने परिहार्य दायित्व का सजून कर लिया, जिसकी चर्चा निम्नवत की गयी है:

कम्पनी द्वारा भुगतान में चूक करने के कारण आरपीएससीएल ने स्टेज-I और II की इकाईयों को 5 जुलाई 2012 से 31 जुलाई 2012 तक बंद कर रखा, जिसका विवरण निम्न है।

| k j . k h | f ; k 3-12

"kV Mkmu dhl vof/k	LVst &I	LVst &II	t ykbz 2012 ds nñku 85 i fr kr i h, y, Q ds vkkkj i j fo r dh mi yCkrk ¼ e; ¼	bdkbz k ds ckj &ckj "kVMkmu ds ckj .k fo r dh okLrfd mi yCkrk ¼ e; ¼	fo r dh de mi yCkrk ¼ e; ¼
05.07.2012 से 06.07.2012	दोनो इकाईयां	दोनो इकाईयां	677.58	411.31	266.27
07.07.2012	दोनो इकाईयां	एक इकाई			
08.07.2012 से 21.07.2012	एक इकाई	एक इकाई			
22.07.2012 से 31.07.2012	एक इकाई	शून्य			

प्रोतः कम्पनी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सुचना।

i hi h, eñMñEM tujsku dk i ko/klu "kfeý dju s dhl otg l s Hkkrku eñ=fV ds dkj.k dEi uh i j ₹ 50.57 djM+dk i fjk; Z nkf; Ro l ftr gmkA

हमने देखा कि आरपीएससीएल द्वारा इकाईयों के बन्द होने के कारण, कम्पनी 266.27 एमयू की सुनिश्चित विद्युत को प्राप्त नहीं कर सकी एवं उसे इस कमी को अधिक दर पर अल्पकालीन क्रय एवं अनिर्धारित विनियम स्रोत के माध्यम से पूरा करना पड़ा। दूसरी तरफ कम्पनी ने यूपीईआरसी के आदेश (मार्च 2013) के अन्तर्गत डीम्ड जनरेशन के मद में आरपीएससीएल द्वारा मांगे गये स्थिर व्यय हेतु ₹ 50.57 करोड़ (स्टेज-I ₹ 24.59 करोड़ एवं स्टेज-II ₹ 25.98 करोड़) परिहार्य दायित्व का सृजन किया। कम्पनी ने इस आदेश के विरुद्ध अपलेट में अपना विरोध दर्ज (मई 2013) कराया।

प्रबन्धन ने अवगत (दिसम्बर 2013) कराया कि उन्होंने, अपटेल के समक्ष दायर याचिका को वापस ले लिया है क्योंकि 22 अगस्त 2013 को आरपीएससीएल के साथ बैठक में यह निर्णय लिया गया कि दावे को पीपीए के प्रावधानों के अन्तर्गत निस्तारित किया जायेगा।

तथ्य कायम रहा कि पीपीए में डीम्ड जनरेशन के प्रावधान को शामिल करने, जो कि सीईआरसी और यूपीईआरसी विनियमों के प्रतिकूल था, के कारण बिना वास्तविक विद्युत प्राप्ति के कम्पनी आरपीएससीएल को डीम्ड जनरेशन हेतु ₹ 50.57 करोड़ का भुगतान करने हेतु उत्तर दायी हो गयी।

¹³⁹ पीपीए (नवम्बर 2006) के प्रावधान के अनुसार: किसी धनराशि के सम्बन्ध देय निधि का तात्पर्य, कम्पनी द्वारा उक्त धनराशि के बीजक की प्राप्ति से 30 वाँ दिन होगा। पीपीए का उपबन्ध 12.17 यह भी प्रावधानित करता है कि स्थिर व्ययों एवं परिवर्तनशील व्ययों के देयकों का प्रस्तुतीकरण पर साख पत्र द्वारा भुगतान करने पर दो प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी। यदि साख पत्र के अतिरिक्त अन्य माध्यम से आरपीएससीएल द्वारा प्रस्तुत किये गये देयकों का भुगतान एवं माह के अन्दर कर दिया जाता है तो एक प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी। यदि स्थिर व्ययों एवं परिवर्तनशील व्ययों के भुगतान में देयकों की तिथि से एक माह से अधिक का विलम्ब होता है तो देयकों की अदत्त धनराशि पर आरपीएससीएल द्वारा 1.25 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से अधिमार लगाया जायेगा।

बिना सत्यापन विद्युत क्रय बीजकों का भुगतान

3-13-14 पीपीए में निर्दिष्ट शर्तों¹⁴⁰ के अनुसार विद्युत क्रय के बीजकों का सत्यापन/भुगतान स्थिर व्ययों (टैरिफ के अनुसार) एवं परिवर्तनशील व्ययों (कोयला, तेल एवं परिवहन शुल्क) का समर्थित देयकों/प्रपत्रों के आधार पर वास्तविक व्ययों हेतु किया जाना था। कम्पनी के पास आरपीएससीएल द्वारा किये गये वास्तविक व्यय को सत्यापित/समायोजित करने की कोई प्रणाली नहीं थी।

हमने देखा कि पीपीए के प्रावधानों के अन्तर्गत ईंधन शुल्क के बीजकों के सत्यापन हेतु स्रोत प्रपत्रों को प्राप्त करने का प्रावधान होने के बावजूद कम्पनी ने अपने इस अधिकार का प्रयोग नहीं किया।

आरपीएससीएल द्वारा किये गये वास्तविक व्यय को वास्तविक प्रपत्रों के आधार पर वार्षिक सत्यापन/समायोजन करने के लिए कम्पनी ने किसी भी तन्त्र का निर्माण नहीं किया। हमने देखा कि आन्तरिक नियन्त्रण की इस विफलता के कारण कम्पनी ने वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 के दौरान आरपीएससीएल द्वारा ईंधन पर किये गये वास्तविक व्यय ₹ 1,688.18 करोड़¹⁴¹ के विरुद्ध ₹ 1,812.56 करोड़¹⁴² का भुगतान किया। इसकी वजह से विद्युत क्रय पर कम्पनी ने ₹ 124.38 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया।

प्रबन्धन हमारे द्वारा उठाई गयी आपत्ति से सहमत (अगस्त 2013) था और उसने परिवर्तनशील लागतों के विवरणों को मूल अभिलेखों से सत्यापित करने की कार्यवाही का आश्वासन दिया। वसूली/समायोजन के परिणाम प्रतीक्षित (दिसम्बर 2013) थे।

विदेशी मुद्रा के लेनदेन पर हुए लाभ का दावा न करने के कारण हानि

3-13-15 पीपीए (नवम्बर 2006) के उपबन्ध 12.12 (अ)¹⁴³ सहपठित टैरिफ विनियम 2009 का विनियम संख्या 9 के अनुसार, विदेशी मुद्रा विनियम दर परिवर्तन (एफईआरवी) का आरपीएससीएल को जैसे ही संज्ञान होगा, वे कम्पनी को प्रस्तुत करेंगे (i) यदि परिवर्तन घनात्मक होगा इस परिवर्तन के समतुल्य धनराशि का अनुपूरक बिल अथवा (ii) यदि परिवर्तन ऋणात्मक होगा तो इस परिवर्तन को आरपीएससीएल के अगले मासिक अथवा विद्युत क्रय बिलों में क्रेडिट के रूप में समायोजित करते हुए एक विवरण पत्र।

हमने देखा कि आरपीएससीएल ने वर्ष 2008–09 से 2010–11 की अवधि के दौरान अपने लेखापरीक्षित खातों के अनुसार एफईआरवी के मद में ₹ 56 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया था। हालांकि अनिवार्य होने के बावजूद एफईआरवी मद में आरपीएससीएल द्वारा अर्जित लाभ ₹ 56 करोड़ को न तो आरपीएससीएल द्वारा कम्पनी को प्रस्तुत विद्युत क्रय बिलों में क्रेडिट किया गया और न ही कम्पनी द्वारा दावा किया गया था। इस प्रकार पीपीए के उपबन्ध 12.12 (अ) के प्रावधानों एवं टैरिफ 2009 के विनियम 9 का अनुपालन न करने के कारण कम्पनी ₹ 56 करोड़ के शुद्ध लाभ का दावा करने में विफल रही।

प्रबन्धन हमारे द्वारा उठाई गई आपत्तियों से सहमत (अगस्त 2013) था और उत्तर में बताया कि मामले को आरपीएससीएल को संदर्भित (जुलाई 2013) कर दिया है। वसूली/समायोजन की कार्यवाही प्रतीक्षित (दिसम्बर 2013) थी।

¹⁴⁰ पीपीए (नवम्बर 2006) का उपबन्ध 12.5 (ब) यह प्रावधानित करता है कि प्रत्येक पक्ष के पास, दूसरे पक्ष को औचित्यपूर्ण पूर्ण सूचना देकर सामान्य व्यवसायिक अवधि के दौरान किसी भी समय अनुबन्ध से सम्बन्धित दूसरे पक्ष के आँकड़ों एवं अभिलेखों (रोजा को अथवा उसके द्वारा भुगतान विषयक सम्बन्धित सभी अभिलेख एवं आँकड़ों के बिना किसी सूचना के) का परीक्षण करने आई और/ अथवा उनकी प्रतियाँ प्राप्त करने का अधिकार होगा।

¹⁴¹ आरपीएससीएल के लेखापरीक्षित लेखाओं पर आधारित ₹ 559.65 करोड़ (2010–11)+₹ 1,128.53 करोड़ (2011–12)।

¹⁴² आरपीएससीएल द्वारा दावा की गयी एवं कम्पनी द्वारा सत्यापित ₹ 560.10 करोड़ (2010–11)+₹ 1,252.46 करोड़ (2011–12)।

¹⁴³ पीपीए का उपबन्ध 12.12 (अ) सहपठित टैरिफ विनियम, 2009 प्रावधानित करता है कि सम्बन्धित वर्ष में विदेशी ऋण के सापेक्ष व्याज भुगतान और ऋण पुनर्भुगतान के प्रति अतिरिक्त धनराशि का दायित्व अनुमन्य होगा बशर्ते कि यह सीधे तौर पर विदेशी मुद्रा विनियम दर से उत्पन्न हुआ हो। विदेशी मुद्रा विनियम दर (एफईआरवी) में परिवर्तन हेतु उसी वर्ष जिस वर्ष यह उत्पन्न हुआ हो वर्षवार आय अथवा क्रय के रूप में आरपीएससीएल को अनुमन्य होगा। विद्युत उत्पादक कम्पनी द्वारा लाभार्थी कम्पनी (कम्पनी) से एफईआरवी की वसूली सीधे तौर पर की जानी थी।

उत्पादन हेतु सूचियन का दोषपूर्ण नियोजन

mRi knu ds vYi
fu/kkj.k ds dkj.k
₹ 65.18 djM+ds
fy, fLFkj 0; ; k
grqfcuk fo | r
Ø; ds Hkkrku
fd; k x; k

3-13-16 माँग एवं आपूर्ति में अन्तर के कारण वास्तविक उत्पादन एवं सूचीयित उत्पादन में भिन्नता हो जाती है जिसकी पूर्ति अनिर्धारित विनिमय (यूआई)¹⁴⁴ के द्वारा की जाती है और यूआई चार्ज के तौर पर लेखांकित की जाती है जिसकी गणना स्टेट लोड डिस्पैच सेन्टर (एसएलडीसी) द्वारा प्रत्येक 15 मिनट के समयान्तर पर की जाती है।

जबकि कम्पनी को विवेकपूर्ण तरीके से आरपीएससीएल द्वारा घोषित उत्पादन क्षमता (डीसी) के बराबर निर्धारित उत्पादन को नियोजित करना चाहिए, हमने देखा कि कम्पनी ने आरपीएससीएल द्वारा घोषित क्षमता के सापेक्ष 396.96 एमयू (वर्ष 2011–12 में 160.52 एमयू एवं वर्ष 2012–13 में 236.44 एमयू) का कम निर्धारण किया था। चांकि इस राज्य में विद्युत की उपलब्धता में कमी थी, कम्पनी ने आवश्यकता को ऊँची दरों¹⁴⁵ पर यूआई द्वारा पूरा किया।

इसके अतिरिक्त, कम्पनी द्वारा इस अतिरिक्त डीसी पर वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2012–13 के दौरान ₹ 65.18¹⁴⁶ करोड़ का सुनिश्चित भुगतान भी करना पड़ा।

बजाज इनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (बीईपीएल) द्वारा स्थापित पावर प्रोजेक्ट्स

3-13-17 ऊर्जा नीति, 2009¹⁴⁷ के अनुसार, 250 मेगावॉट एवं उससे अधिक क्षमता वाले पावर प्रोजेक्ट की स्थापना आईपीपी द्वारा एमओयू रूट के माध्यम से करने की अनुमति थी। बजाज हिन्दुस्तान लिमिटेड (बीएचएल)¹⁴⁸ ने (26 नवम्बर 2009) को पाँच स्थानों¹⁴⁹ प्रत्येक पर 80 मेगावॉट के पाँच थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स (टीपीपी) लगाने का प्रस्ताव दिया जो कि पूर्व उल्लिखित ऊर्जा नीति के अनुसार अनुमन्य नहीं था। उत्तर प्रदेश सरकार ने कम्पनी के ऊर्जा नीति में संशोधन विषयक प्रस्ताव (1 दिसम्बर 2009) एवं इनर्जी टास्क फोर्स (ईटीएफ) की संस्तुति (8 दिसम्बर 2009) के आधार पर ऊर्जा नीति में संशोधन (24 दिसम्बर 2009) किया जिसमें सह उत्पादकों द्वारा 100 मेगावाट तक क्षमता वाले टीपीपी लगाने की अनुमति दी एवं राज्य सरकार उसके नॉमिनी को कुल उत्पादित विद्युत का 50 प्रतिशत यूपीईआरसी टैरिफ पर क्रय करने हेतु अधिकार प्रदान किया। इस सम्बन्ध में हमने बीईपीएल द्वारा दायर टैरिफ याचिका में सम्मिलित ऑकड़ों में कमियों एवं डीपीआर के तथ्यों को यूपीईआरसी के समक्ष प्रस्तुत करने में कम्पनी की विफलता पायी जिसका उल्लेख आगामी प्रस्तरों में किया गया है।

डीपीआर में लिये गये मानदण्डों को यूपीईआरसी को सूचित न करना।

3-13-18 बजाज हिन्दुस्तान लिमिटेड द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के साथ, पाँच स्थानों पर प्रत्येक 90 मेगावाट क्षमता (2x45 मेगावाट) के पावर प्लान्ट स्थापित करने एवं बीएचएल द्वारा उत्पादित विद्युत का 90 प्रतिशत विद्युत खरीदने के लिए, एमओयू सम्पादित (22 अप्रैल 2010) किया। इसे बाद में सचिव, ऊर्जा विभाग, उ.प्र. शासन द्वारा मई 2011 में इसको शत-प्रतिशत कर दिया गया। यूपीईआरसी द्वारा निर्धारित किये जाने वाले विद्युत क्रय मूल्य पर उपर्युक्त प्रोजेक्ट से 25 वर्षों से अवधि हेतु विद्युत क्रय करने के सम्बन्ध में कम्पनी ने बीएचएल के साथ पाँच विद्युत क्रय अनुबन्ध (पीपीए) सम्पादित (10 दिसम्बर 2010) किये गये। इकाईयों का संचालन मार्च-अप्रैल 2012 के दौरान किया गया।

टैरिफ विनियम 2009 में, 45 मेगावाट थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए सकल स्टेशन हीट रेट (जीएसएचआर), संचालन एवं रखरखाव (ओएण्डएम) व्यय एवं ऑक्जीलियरी उपभोग को समाहित करते हुए संचालन के मानदण्ड (एनओपी) प्रारम्भ में तय नहीं थे क्योंकि इस

¹⁴⁴ यूआई का तात्पर्य, विद्युत की माँग को पूरा करने हेतु, ग्रिड से अनिर्धारित विद्युत की निकासी से है।

¹⁴⁵ आरपीएससीएल से 2011–12 एवं 2012–13 में विद्युत क्रय की औसत लागत क्रमशः ₹ 4.79 प्रति इकाई एवं ₹ 5.37 प्रति इकाई के सापेक्ष यूआई की औसत लागत क्रमशः ₹ 5.07 प्रति इकाई एवं ₹ 6.46 प्रति इकाई थी जो 2011–12 में ₹ 0.28 प्रति इकाई एवं 2012–13 में ₹ 1.09 प्रति इकाई अधिक थी।

¹⁴⁶ $(160.52 \text{ एमयू} \times ₹ 1.63) + (236.44 \text{ एमयू} \times ₹ 1.65) = ₹ 26.17 \text{ करोड़} + ₹ 39.01 \text{ करोड़} = ₹ 65.18 \text{ करोड़}$

¹⁴⁷ उ.प्र. सरकार द्वारा 23 अक्टूबर 2009 को अधिसूचित।

¹⁴⁸ उ.प्र. सरकार द्वारा 11 जून 2010 को प्राप्त अनुमोदन द्वारा, आगे इन टीपीपी को बीएचएल द्वारा उसकी सहायक कम्पनी बजाज इनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को हस्तगत किया गया।

¹⁴⁹ बरखेडा (पीलीमीत), कुन्दरकी (गोडा), खम्बरखेडा (लखीमपुर), मकसूदपुर (शाहजहांपुर) और अतरौला (बलरामपुर)।

प्रकार के छोटे आकार के थर्मल पावर प्रोजेक्ट राज्य¹⁵⁰ में अस्तित्व में नहीं थे। अतः 45 मेगावाट थर्मल पावर प्रोजेक्ट हेतु मानकों का निर्धारण करने से पहले यूपीईआरसी ने कम्पनी, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) एवं नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) से प्रासंगिक जानकारी माँगी (सितम्बर 2010 एवं फरवरी 2011) थी। यूपीईआरसी को एनओपी से सम्बन्धित कोई सूचना कम्पनी, सीईए अथवा एनटीपीसी से प्राप्त नहीं हुई। बीईपीएल द्वारा जीएसएचआर सूचनायुक्त एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। अतः यूपीईआरसी ने एनओपी निर्धारित किया (जुलाई 2011) जैसे कि जीएसएचआर (2900 किलो कैलोरी प्रति किलोवाट) जो कि शपथ पत्र पर आधारित था, ओएण्डएम व्यय ₹ 20.34 लाख प्रति मेगावाट वर्ष 2011–12 के लिए निर्धारित किया (अगले वर्ष हेतु 5.72 प्रतिशत से वृद्धि करते हुए) जो कि ओबरा टीपीपी¹⁵¹ (जो 37 वर्ष से अधिक पुराना था) पर आधारित था एवं ऑक्जीलियरी उपभोग 11 प्रतिशत पर निर्धारित किया गया था।

हमने, देखा कि बीईपीएल ने अपनी जनवरी 2010 की डीपीआर में संचालन के लिए मानक काफी कम दर पर विचार किये थे जैसे कि सकल स्टेशन हीट रेट (2675 किलोकैलोरी प्रति केडल्यूएच), ओएण्डएम (₹ 12 लाख प्रति मेगावाट वर्ष 2009–10 हेतु एवं 5.72 प्रतिशत दर से आगामी वर्षों के लिए बढ़ते हुए) एवं ऑक्जीलियरी उपभोग (10 प्रतिशत) था। यह डीपीआर, जो कि प्रोजेक्ट की वित्तीय स्थिति सुनिश्चित करने एवं वित्तीयन का आधार थी, कम्पनी के पास उपलब्ध थी। फिर भी यह तथ्य यूपीईआरसी के संज्ञान में कम्पनी ने नहीं लाया। 45 मेगावाट टीपीपी के एनओपी के अन्तिमीकरण हेतु यूपीईआरसी द्वारा आयोजित की गयी जनसुनवाई के समक्ष कम्पनी ने कोई टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की थी। कम्पनी द्वारा ऐसी कार्यवाही न करने के कारण, यूपीईआरसी के समक्ष अपर्याप्त सूचना रही जिसके परिणामस्वरूप एनओपी का उच्चदर पर निर्धारण हुआ तथा कम्पनी पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ा जिसका सारांशीकरण निम्न सारणी में दिया गया है:

Lkj .k | f; k 3-13

(djm+र ए)

fooj .k	Vfj Q fofoe;] 2009 ए 45 exkolW dsfy, fuMj r ,uvki h	Mhi hvkj ds vuj kj 45 exkolW dsfy, fuMj r ,uvki h	fofu; ej 2009 ए 45 exkolW dsfy, fn; s x; s , uvki h ,oa Mhi hvkj ea , uvki h dh nyuk djus i j forrh; i hko
th, l , pvi j	2,900 किलो कैलोरी/ केडल्यूएच	2,675 किलो कैलोरी/ केडल्यूएच	1,677.70 ¹⁵²
vld thfy; jh mi hko	11 प्रतिशत	10 प्रतिशत	377.79 ¹⁵³
vl .M, e 0 ; ;	₹ 21.50लाख/मेगावाट (2012–13) आगामी वर्षों में 5.72 प्रतिशत की दर से बढ़ते हुए	₹ 14.18लाख/ मेगावाट (2012–13) आगामी वर्षों में 5.72 प्रतिशत की दर से बढ़ते हुए	823.50 ¹⁵⁴
; hko			2,878.99

ज्ञात यूपीईआरसी (उत्पादन टैरिफ की नियम एवं भारी) नियम, 2009 समय-समय पर संगोष्ठित के अनुसार।

इस प्रकार कम्पनी अपने वित्तीय हितों की रक्षा करने में विफल रही जिसके कारण विद्युत क्रय मूल्य का उच्चदर पर निर्धारण हुआ और परिणामस्वरूप वर्ष 2012–13 के दौरान ₹ 115.16 करोड़ का कम्पनी पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ा। चूंकि पीपीए 25 वर्षों के लिए है, इसलिए यह वित्तीय भार अनुबन्ध के शेष 24 वर्षों¹⁵⁵ में ₹ 115.16 करोड़ प्रतिवर्ष की दर से बढ़ेगा।

¹⁵⁰ उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने वर्ष 2007 के बाद अपने 50 से 100 मेगावाट क्षमता के प्रोजेक्टों को बन्द कर दिया था।

¹⁵¹ उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा स्थापित ओबरा थर्मल पावर प्लान्ट।

¹⁵² उच्च जीएसएचआर के कारण अतिरिक्त उपभोग किये गये कोयले का मूल्य— 450X1,000X24X365X85 प्रतिशतX25 = 83,767.50 एमयू X 225 (2,900–2,675) / 3,750(कोयले की औसत जीसीपी) X ₹ 3,348 (कोयले का औसत मूल्य प्रति एमटी) = ₹ 1,677.70 करोड़।

(जहां 450 (45 मेगावाट X 10) क्षमता है, 1000 प्रतिमेगावाट यूनिट की संख्या है, 24 घंटे हैं, 365 एक वर्ष में दिनों की संख्या है, 85 प्रतिशत प्लान्ट लोड फैक्टर है और 25 पीपीए अवधि के वर्षों की संख्या है)

¹⁵³ 83,767.50 X 1 प्रतिशत (11–10) X ₹ 4.51 (यूपीईआरसी द्वारा अनुमोदित इकाई दर) = ₹ 377.79 करोड़।

¹⁵⁴ अधिक ओएण्डएम = ₹ 7.32 लाख प्रति मेगावाट (₹ 21.50 लाख प्रति मेगावाट— ₹ 14.18 लाख प्रति मेगावाट) X 450 X 25 = ₹ 823.50 करोड़।

¹⁵⁵ 2012–13 की आधार दर — ₹ 115.16 करोड़ X 24 वर्ष = ₹ 2,763.83 करोड़।

इसके अतिरिक्त बीईपीएल से शत-प्रतिशत विद्युत का क्रय, ऊर्जा नीति 2009 के प्रावधानों के प्रतिकूल था, जिसमें केवल 50 प्रतिशत तक विद्युत क्रय का प्रावधान किया गया था। महँगे स्रोत से अतिरिक्त 50 प्रतिशत विद्युत क्रय की अनुमति देने के कारण कम्पनी पर अतिरिक्त वित्तीय भार (₹ 1,439.50 करोड़) पड़ा।

प्रबन्धन ने कहा (अगस्त 2013) कि ऊर्जा नीति 2009 के तहत 100 मेगावाट से कम आकार के कोयला आधारित ऊर्जा संयन्त्र स्थापित किये गये क्योंकि चीनी मिलों के पास उपलब्ध अतिरिक्त भूमि पर ऐसे संयन्त्रों को स्थापित करने के कारण निर्माण की अवधि निश्चित रूप से कम होगी तथा राज्य कम समय में क्षमता वृद्धि करने के द्वारा लाभान्वित होगा। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया कि दो अन्य राज्यों (छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश) में ऐसे छोटे संयन्त्र स्थापित किये जा रहे हैं।

प्रबन्धन का उत्तर महँगे स्रोत से शत-प्रतिशत विद्युत क्रय करने तथा कम्पनी द्वारा डीपीआर की एनओपी के सम्बन्ध में यूपीईआरसी को संज्ञानित करने की विफलता से सम्बन्धित लेखा आपत्तियों को सम्बोधित नहीं करता है। यूपीईआरसी द्वारा टिप्पणी आमन्त्रित करने के बावजूद, कम्पनी तथा ऊर्जा विभाग, जीओयूपी ने न तो टिप्पणी प्रस्तुत की और न ही एनओपी को अन्तिम रूप देने हेतु आयोजित जनसुनवाई में भाग लिया।

बीईपीएल द्वारा विद्युत क्रय मूल्य सम्बन्धी याचिका दायर करने में विसंगतियाः—

3-13-19 टैरिफ विनियम, 2009 के विनियम संख्या 5(3) में अन्तरिम विद्युत क्रय मूल्य के अनुमोदन का प्रावधान है। उत्पादन स्टेशन की सम्बन्धित इकाईयों के वाणिज्यिक परिचालन की तिथि (सीओडी) से अन्तरिम क्रय मूल्य चार्ज किया जाना था। उत्पादन कम्पनी अन्तिम टैरिफ के निर्धारण के लिए नया आवेदन प्रस्तुत करेगी जो कि उत्पादन स्टेशन के वाणिज्यिक परिचालन की तिथि¹⁵⁶ तक के वास्तविक व्ययों पर आधारित होगा। सीईआरसी की अधिसूचना दिनांक 02 मई 2011¹⁵⁷ के अनुरूप, यूपीईआरसी ने 2011–12 से 2013–14 (स्थाई प्रभार का 95 प्रतिशत) की अवधि के लिए अन्तरिम विद्युत क्रय मूल्य अनुमोदित किया जिसका दावा बीईपीएल द्वारा टैरिफ याचिका (सितम्बर 2012) में किया गया था। यूपीईआरसी ने कम्पनी तथा बीईपीएल को अन्तिम स्थाई लागत के निर्धारण के लिए तीन महीने के अन्दर सहमत/स्वीकृत पूँजीगत लागत का निर्धारण करने के लिए निर्देशित किया। हमने देखा कि सहमत पूँजीगत लागत का निर्धारण अभी तक नहीं हुआ है (दिसम्बर 2013)।

हमने आगे भी देखा कि बीईपीएल (सितम्बर 2012) द्वारा दाखिल टैरिफ याचिका के आँकड़ों का परीक्षण करने हेतु कम्पनी ने उचित विवेक का उपयोग नहीं किया। कम्पनी ने अक्टूबर 2012, नवम्बर 2012, जनवरी 2013 एवं फरवरी 2013 टैरिफ याचिका पर अपनी टिप्पणियाँ देते समय कहा कि चूंकि बीईपीएल द्वारा पूँजीगत लागत को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, पूँजीगत लागत के 95 प्रतिशत के आधार पर अन्तरिम विद्युत क्रय मूल्य का अनुमोदन किया जा सकता है। हमने बीईपीएल द्वारा दाखिल टैरिफ याचिका में निम्न कमियाँ पायी जिनका कम्पनी द्वारा परीक्षण नहीं किया गया :—

ऋण एवं अपूँजी की गलत राशि पर विचार किया जाना

3-13-20 अन्तरिम स्थाई प्रभार की गणना हेतु प्रोजेक्ट की कुल पूँजीगत लागत ₹ 2,569.80 करोड़ (टैरिफ याचिका के साथ संलग्न फार्म-1 के परिशिष्ट-अ के अनुसार) हेतु दावा किया गया था जिसमें ₹ 1,798.85 करोड़ ऋण तथा ₹ 770.95 करोड़ अंशपूँजी शामिल थी। फार्म-1 के परिशिष्ट-अ के आंकड़े बीईपीएल द्वारा दाखिल की गई टैरिफ याचिका के फार्म-6, 13 तथा 16 के आंकड़ों से निश्चित रूप से सुमेलित होने चाहिए थे। हमने देखा कि उपर्युक्त विद्युत क्रय लागत सम्बन्धित याचिका के फार्म-6, 13 तथा 16 के अनुसार वास्तविक ऋण राशि ₹ 1,937.25 करोड़ थी। चूंकि पूँजीगत लागत ₹ 2,569.80

¹⁵⁶ विनियम 14 (XII) में साथ ही प्रावधानित करता है कि उत्पादन गृह के सम्बन्ध में सीओडी का तात्पर्य उस उत्पादन गृह खण्ड अथवा अन्तिम इकाई की सीओडी से है।

¹⁵⁷ जहाँ इस विनियम के उपबन्ध (1) एवं (2) के अनुसार किसी विद्यमान अथवा नये प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में टैरिफ निर्धारण हेतु आयोग के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया हो आवेदन में दावा की गयी प्रोजेक्ट की वार्षिक स्थिर लागत का 95 प्रतिशत अन्तरिम टैरिफ के अनुमोदन हेतु आयोग स्वेच्छा से विचार कर सकता है। सीईआरसी अधिसूचना संख्या एल-7/145(160)/208-सीईआरसी दिनांक 2 मई 2011।

करोड़ तथा ऋणराशि ₹ 1,937.25 करोड़ थी, तदनुसार अंशपूँजी की राशि ₹ 632.55 करोड़¹⁵⁸ आगणित की गयी, जो कि बीईपीएल द्वारा दावा की गयी पूँजीगत लागत के 30 प्रतिशत से कम थी।

टैरिफ विनियम, 2009 के विनियम संख्या-20 के अनुसार यदि अंशपूँजी 30 प्रतिशत से कम है तो विद्युत क्रय मूल्य निर्धारण के लिए वास्तविक ऋण एवं अंशपूँजी पर विचार किया जायेगा। वास्तविक ऋण राशि ₹ 1,937.25 करोड़ और वास्तविक अंशपूँजी ₹ 632.55 करोड़ थी न कि बीईपीएल द्वारा माँगी गई धनराशि (क्रमशः ₹ 1,798.85 करोड़ एवं ₹ 770.95 करोड़) थी। यह तथ्य कम्पनी द्वारा यूपीईआरसी के समक्ष इंगित नहीं किया गया।

इस प्रकार, ऋण एवं अंशपूँजी की गलत रूप से दावा की गयी धनराशि की स्वीकृति के कारण कम्पनी पर वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 10.90 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ा। चूँकि पीपीए 25 वर्षों के लिए है, यह वित्तीय भार अनुबन्ध के शेष 24 वर्षों¹⁵⁹ में ₹ 10.90 करोड़ ₹ 11.77 करोड़ प्रतिवर्ष की दर से बढ़ेगा।

प्रबन्धन ने कहा (अगस्त 2013) कि फार्म-1 के परिशिष्ट-अ में दिखाई गई ऋण एवं अंशपूँजी की स्थिति, सीओडी तक किये गये वास्तविक व्यय को इंगित करती है तथा फार्म-6,13 एवं 16 में दिखाई गई स्थिति सीओडी के बाद तथा निर्धारित तिथि के अन्दर तक किये गये अतिरिक्त पूँजीगत व्यय को इंगित करती है।

उत्तर तथ्यों पर आधारित नहीं है, क्योंकि फार्म 6,13 तथा 16 में दिखाये गये आँकड़े भी सीओडी तक पूँजीगत लागत की स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। फार्म 1 के परिशिष्ट-अ में दिखाये गये आँकड़े फार्म 6,13 तथा 16¹⁶⁰ में सीओडी तक दिखाये गये आँकड़ों का सारांश होते हैं। इसके अतिरिक्त, बीईपीएल द्वारा दाखिल की गयी टैरिफ याचिका के फार्म-1 के परिशिष्ट-अ में दिखाये गये आँकड़े और फार्म-6, 13 एवं 16 में दिखाए गये आँकड़े भिन्न थे। यह बात यूपीईआरसी के संज्ञान में लाना कम्पनी के वित्तीय हित में था। कम्पनी, हालांकि, उपर्युक्त आँकड़ों का स्वतन्त्र रूप से सत्यापन करने तथा यूपीईआरसी के समक्ष उपर्युक्त कमियों को इंगित करने में विफल रही।

निर्माण अवधि के दौरान बढ़ी गई ब्याज राशि (आईडीसी) पर विचार किया जाना

3-13-21 बीईपीएल ने में अपने टैरिफ याचिका में 25 अगस्त 2012 की अवधि तक ₹ 293.28 करोड़ का निर्माण अवधि के दौरान ब्याज (आईडीसी) के रूप में दावा (सितम्बर 2012) किया। टैरिफ विनियम 2009 के विनियम संख्या-17 के अनुसार केवल वाणिज्यिक परिचालन की तिथि (सीओडी) तक की आईडीसी लेना चाहिए। इन उत्पादन गृहों के लिए सीओडी मार्च 2012 (तीन टीपीपी के लिए) तथा अप्रैल 2012 (दो टीपीपी के लिए) थी। सीओडी तक आईडीसी की वास्तविक राशि¹⁶¹ ₹186.13 करोड़ निकाली गयी है।

इस प्रकार, बीईपीएल द्वारा दावा की गई ₹ 107.15 करोड़ (₹ 293.28 करोड़ – ₹ 186.13 करोड़) की आईडीसी की अतिरिक्त राशि के कारण वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 15.64 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार कम्पनी पर पड़ा। चूँकि पीपीए 25 वर्षों के लिए है इसलिए यह वित्तीय भार अनुबन्ध के शेष 24 वर्षों¹⁶² में ₹ 15.64 करोड़ ₹ 11.77 करोड़ प्रतिवर्ष की दर से बढ़ेगा।

¹⁵⁸ ₹ 2,569.80 करोड़ – ₹ 1,937.25 करोड़ = ₹ 632.55 करोड़।

¹⁵⁹ 2012-13 की आधार दर – ₹ 10.90 करोड़ x 24 वर्ष = ₹ 261.60 करोड़।

¹⁶⁰ फार्म-1 का परिशिष्ट-अ, पूँजीगत लागत, ऋण, अंशपूँजी, आरओई के लिए विचार की गयी अंशपूँजी, आरओई की दर एवं ऋण पर ब्याज की दर के सारांश को प्रदर्शित करती है जिसमें फार्म-6, 13 एवं 16 से आँकड़े लिये जाते हैं।

फार्म-6 में सीओडी तक प्रोजेक्ट की लागत के स्रोत को प्रदर्शित किया जाता है जैसे कि कुल क्रय राशि, अंशपूँजी राशि, तथा समता अनुपात।

फार्म-13 में वास्तविक ऋण राशि पर ब्याज की भारित दर के आगणन को प्रदर्शित किया जाता है।

फार्म-16 में ऋण एवं अंशपूँजी राशि के विवरण के साथ निर्माण अवधि के दौरान ब्याज की गणना एवं वित्तीय प्रभावों की गणना को प्रदर्शित किया जाता है।

¹⁶¹ याचिका में 25 अगस्त 2012 तक कि दावा की गयी धनराशि ₹293.28 करोड़ को वास्तविक सीओडी तक अनुपातिक रूप से कम करने पर।

¹⁶² 2012-13 की आधार दर – ₹ 15.64 करोड़ x 24 वर्ष = ₹ 375.36 करोड़।

प्रबन्धन ने कहा (अगस्त 2013) कि सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रमाण—पत्र में यह स्पष्ट रूप में इंगित था कि प्रोजेक्ट की लागत में केवल सीओडी तक व्यय की गयी आईडीसी की राशि शामिल है।

हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि फार्म –5बी¹⁶³ जो कि बीईपीएल द्वारा दाखिल की गयी टैरिफ याचिका का भाग था तथा सांविधिक लेखा परीक्षा का प्रमाण पत्र (यूपीईआरसी के समक्ष दाखिल की गई टैरिफ याचिका के साथ सलंगन) में दिए गए तथ्य इंगित करते हैं कि आईडीसी (₹ 107.15 करोड़) 25 अगस्त 2012 अर्थात् सीओडी मार्च एवं अप्रैल 2012 से परे तक से सम्बन्धित थी।

अंशूँजी पर बढ़े दर से प्रतिलाभ की अनुमति प्रदान करना

3-13-22 टैरिफ विनियम, 2004 में निर्धारित की गयी 14 प्रतिशत प्रतिवर्ष समता पर प्रतिलाभ (आरओई) की दर एवं 80 प्रतिशत पीएलएफ की दर को टैरिफ विनियम, 2009 में यूपीईआरसी द्वारा बढ़ाकर 85 प्रतिशत पीएलएफ के साथ 15.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष कर दिया गया साथ ही उन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए जो कि 1 अप्रैल 2009 को अथवा इसके बाद प्रारम्भ हुए हों 0.5 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रतिलाभ का भी प्रावधान किया गया है।

हमने देखा की टैरिफ विनियम, 2009 को अन्तिम रूप देने हेतु, यूपीईआरसी द्वारा आयोजित जनसुनवाई (मार्च 2009) के समय, कम्पनी ने उपर्युक्त प्रस्तावित वृद्धि के विरुद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं किया। कोष की विद्यमान लागत¹⁶⁴ (ऋण पर ब्याज) को दृष्टिगत रखते हुए 14 प्रतिशत की आरओई औचित्यपूर्ण थी। इसके अतिरिक्त, 80 प्रतिशत पीएलएफ के साथ 14 प्रतिशत आरओई की 85 प्रतिशत पीएलएफ के साथ 15.5 प्रतिशत आरओई से तुलना पर आधारित लागत—लाभ विश्लेषण (सीबीए) यह प्रदर्शित करता है कि इस प्रकरण में भी 80 प्रतिशत पीएलएफ के साथ 14 प्रतिशत आरओई कम्पनी के लिए लाभकारी थी, जैसा की प्रस्तर संख्या 3.13.11 में इंगित किया जा चुका है।

कम्पनी ने सीबीए के अनुसार 80 प्रतिशत पीएलएफ के साथ 14 प्रतिशत आरओई के समर्थन में कोष की विद्यमान लागत को इंगित करने के बजाय, यूपीईआरसी के समक्ष प्रस्तुत किया कि यह विनियम, सीईआरसी के विनियम के समरूप हों।

अतएव, आरओई में वृद्धि के सम्बन्ध में सीबीए समर्थित विरोध न करने कारण बीईपीएल के सम्बन्ध में वर्ष 2012–13 में ₹ 14.40¹⁶⁵ करोड़ का वित्तीय भार कम्पनी पर पड़ा। यह अनुबन्ध के शेष 24 वर्षों में ₹ 14.40 करोड़ प्रतिवर्ष की दर से बढ़ेगा। ऐसा विरोध न करने के कारण, आठ अन्य प्रोजेक्ट्स¹⁶⁶ जिनके सम्बन्ध में एमओयू तथा पीपीए क्रमशः जीओयूपी तथा कम्पनी द्वारा सम्पादित किये जा चुके हैं, के सम्बन्ध में, कम्पनी पर ₹ 3,177.75¹⁶⁷ करोड़ तक का वित्तीय भार भी बढ़ा दिया।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2013) कि यूपीईआरसी ने विद्युत आधिनियम, 2003 की धारा 61(क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार सीईआरसी द्वारा पालन किये जा रहे सिद्धान्तों एवं कार्यप्रणाली का पालन किया एवं समान आरओई की दर 16 प्रतिशत (15.5 प्रतिशत + 0.5 प्रतिशत) का निर्धारण किया।

तथ्य यह है कि कम्पनी ने कोई लागत—लाभ विश्लेषण सम्पादित नहीं किया और 80 प्रतिशत पीएलएफ के साथ 14 प्रतिशत आरओई में प्रस्तावित वृद्धि 85 प्रतिशत पीएलए के

¹⁶³ फार्म 5बी में निर्माण एवं पूर्व संचालन व्ययों तथा निर्माण अवधि के दौरान ब्याज इत्यादि को शामिल करते हुए पूँजीगत लागत का वर्गीकरण शामिल रहता है।

¹⁶⁴ जहाँ कि ऋण पर देय ब्याज की दर 11.60 से 14 प्रतिशत तक थी, 14 प्रतिशत आरओई तर्कसंगत थी।

¹⁶⁵ ₹ 18.79 करोड़ (बीईपीएल द्वारा 16 प्रतिशत की दर से दावा की गयी आरओई) – ₹ 4.39 करोड़ [(450 x 1,000 x 24 x 365–11प्रतिशत) x 5प्रतिशत x 25पैसे प्रति इकाइ] = ₹ 14.40 करोड़।

¹⁶⁶ ललितपुर टीपीपी, भोगनीपुर टीपीपी (फेज-1), भोगनीपुर टीपीपी (फेज-2), मुर्का टीपीपी, बाराबंकी टीपीपी, औरैया टीपीपी, सण्डीला टीपीपी और मिर्जापुर टीपीपी।

¹⁶⁷ ₹ 46,758.52 करोड़ (8 प्रोजेक्ट्स की पूँजीगत लागत) x 30 प्रतिशत (अंशपूँजी का हिस्सा) x 1.5 प्रतिशत (15.5–14) = ₹ 210.41 करोड़ – ₹ 83.30 करोड़ [(8,360 x 1,000 x 24 x 365–9 प्रतिशत) x 5 प्रतिशत x 25पैसे प्रति यूनिट] = ₹ 127.11 करोड़ x 25 वर्ष।

साथ 16 प्रतिशत आरओई के सम्बन्ध में यूपीईआरसी के समक्ष कोई टिप्पणी/आपत्ति नहीं प्रस्तुत किया।

ऊर्जा विभाग, जीओयूपी द्वारा अनुश्रवण

3-13-23 ऊर्जा विभाग, जीओयूपी एमओयू का हस्ताक्षरी एवं यूपीपीसीएल का प्रशासनिक विभाग था। हमने देखा की विभाग ने कम्पनी की कार्यवाही का अनुश्रवण करने हेतु कोई कदम नहीं उठाया एवं यूपीईआरसी के समक्ष आईपीपी द्वारा दाखिल की गयी संचालन के मानदण्ड, विषयक याचिकाओं एवं टैरिफ विनियम 2009 को अन्तिम रूप देने के सम्बन्ध में टिप्पणी/आपत्ति प्रस्तुत करने, अपटेल के समक्ष अपील दाखिल करने, डीपीआर एवं आईपीपी द्वारा प्रस्तुत देयकों पर विवेकपूर्ण कार्यवाही करने हेतु यूपीपीसीएल को कोई दिशानिर्देश निर्गत नहीं किया। हमने देखा की नगदी की कमी से ग्रसित यूपीपीसीएल द्वारा विद्युत क्रय हेतु भुगतान राशि के निर्धारण हेतु यह बिन्दु अत्यन्त महत्वपूर्ण होने के बावजूद विभाग ने हमारे द्वारा उपर्युक्त प्रस्तरों में इंगित किसी भी मुद्दे पर यूपीपीसीएल की कार्यवाही का अनुश्रवण नहीं किया।

fu'd'॥

विद्युत की माँग की पूर्ति हेतु तार्किक/मितव्ययी लागत पर विद्युत क्रय की जिम्मेदारी कम्पनी/ऊर्जा विभाग, जीओयूपी पर है। स्वतन्त्र विद्युत उत्पादकों के साथ विद्युत क्रय अनुबन्ध की हमारी लेखा परीक्षा से प्रकट हुआ की आईपीपी द्वारा यूपीईआरसी के समक्ष दाखिल की गयी याचिकाओं के विरुद्ध लागत-लाभ विश्लेषण, डीपीआर मानदण्ड आधारित तर्कसंगत टिप्पणी प्रस्तुत करने के अपने कर्तव्य में कम्पनी विफल रही। अपने वित्तीय हित की रक्षा के लिए अपटेल के समक्ष अपील दाखिल करने में कम्पनी विफल रही। आईपीपी द्वारा प्रस्तुत किये गये विद्युत क्रय देयकों एवं आईपीपी की याचिकाओं में दिये गये ऑकड़ों के सत्यापन के लिए कम्पनी ने किसी तन्त्र का विकास नहीं किया। इसके अतिरिक्त, इस सम्बन्ध में कम्पनी द्वारा की गयी कार्यवाही का अनुश्रवण करने में ऊर्जा विभाग, जीओयूपी भी विफल रहा।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2013); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2013)।

I kfof/kd fuxe

mUkj i ns k ty fuxe

3.14 gSMi Ei k d i u% ckfjx e thvkbz i kbik d vYi i qififl

gSMi Ei k ds i u% ckfjx e thvkbz i kbik d vYi i qififl ds dkj.k fuxe dks
₹ 18.99 djkM+dh gkf u gfpA

उत्तर प्रदेश जल निगम (निगम) राज्य में नये हैण्डपम्पों के संस्थापन एवं पुनः बोरिंग के लिए कार्यान्वयन संरथा है। हैण्डपम्पों के पुनः बोरिंग के मामले में प्रयोग किए जाने वाले नये गैल्वनाइज्ड आयरन (जी आई) पाइपों की मात्रा नये हैण्डपम्पों की तुलना में कम होनी चाहिए क्योंकि मौजूदा हैण्डपम्पों¹⁶⁸ से उपयोगी पाइपों की कुछ मात्रा पुनर्प्राप्त की जाती है जो पुनः बोरिंग में पुनः प्रयोग किये जाते हैं। इसके अलावा, और उपयोगी जीआई पाइप भी पुनर्प्राप्त होते हैं जो कि कबाड़ के रूप में विक्रय किये जाते हैं। कार्य को स्वीकृत लागत के अन्तर्गत निष्पादित कराना निगम का उत्तरदायित्व था जिसके लिए निगम को एक प्रणाली विकसित करनी चाहिए थी जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि जीआई पाइपों (उपयोगी एवं अनुपयोगी दोनों) की पुनर्प्राप्ति स्वीकृत प्राक्कलनों के अनुसार है।

¹⁶⁸ हैण्डपम्पों की पुनः बोरिंग के लिए प्राक्कलन में नये जीआई पाइप की मात्रा प्रावधान पुनः उपयोग योग्य पाइपों की सम्मानित मात्रा को ध्यान में रखकर किया जाता है।

हमने देखा कि निगम के 24 खण्डों¹⁶⁹ ने मार्च 2007 से दिसम्बर 2012 की अवधि के दौरान 1.31 लाख हैण्डपम्पों की पुनः बोरिंग की थी जिसके सापेक्ष उन्हें 33.34 लाख मीटर¹⁷⁰ जीआई पाइपों की पुनर्प्राप्ति होनी थी। लेकिन, खण्डों द्वारा वास्तव में केवल 8.97 लाख मीटर¹⁷¹ जीआई पाइपों की पुनर्प्राप्ति की गयी इसके परिणामस्वरूप 24.37 लाख मीटर¹⁷² जीआई पाइप कम प्राप्त हुए। परिणामतः, निगम को ₹ 18.99 करोड़ (उपयोगी पाइपों के अल्प प्राप्ति के कारण ₹ 9.58 करोड़¹⁷³ के नये पाइपों की अधिक खपत तथा अनुपयोगी पाइपों के अल्प उपलब्धता के कारण ₹ 9.41¹⁷⁴ करोड़ के कबाड़ की बिक्री के रूप में) की हानि हुई जैसा कि *i hohl h i kbi k̩ ds Ø; i j mRi kn 'k̩d dk i f j gk; z H̩krku*

इतने बड़े पैमाने पर जीआई पाइपों की अल्प पुनर्प्राप्ति, निगम द्वारा हैण्डपम्पों के पुनः बोरिंग करने के दौरान खपत और पाइपों की पुनर्प्राप्ति पर आन्तरिक नियन्त्रण की कमी को दर्शाता है। हम संस्तुति करते हैं कि निगम द्वारा एक प्रणाली विकसित करनी चाहिए जिसके द्वारा अनुमानित और वास्तविक पुनर्प्राप्त मात्रा के मध्य उच्च विचलन के कारणों की क्रॉस जाँच की जा सके और हैण्डपम्पों की मरम्मत का इतिहास अभिलिखित हो सके।

प्रकरण शासन एवं निगम को जून 2013 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (दिसम्बर 2013)।

3.15 i hohl h i kbi k̩ ds Ø; i j mRi kn 'k̩d dk i f j gk; z H̩krku

fuxē ty vki frz i fj; kst ukvla eš i; kx g̩us okys i hohl h i kbi k̩ ds Ø; i j ₹ 42-62 yk[k d̩s mRi kn 'k̩d dh Nw dk yk[k mBkus eš vi Qy j ghA

केन्द्र सरकार द्वारा स्रोत से संयन्त्र तक और संयन्त्र से भण्डारण तक जल के वितरण में प्रयोग होने वाले पाइपों पर उत्पाद शुल्क की छूट को अधिसूचित (मार्च 2006¹⁷⁵) किया गया था। उत्पाद शुल्क की छूट का लाभ उठाने के लिए, क्रय इकाई द्वारा आपूर्तिकर्ता को सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर के अधीन इस आशय का एक प्रमाण—पत्र कि छूट दी गयी सूची में निर्दिष्ट सामग्री की खरीद इच्छित प्रयोजन अर्थात् जल के स्रोत से संयन्त्र तक और संयन्त्र से जल के भंडारण तक के वितरण में प्रयोग किया जा रहा है, प्रदान किया जाना था। छूट की यह सीमा 20 सेमी से अधिक बाहरी व्यास के पाइप के लिए भी बढ़ा दी गयी (मार्च 2007¹⁷⁶) यदि इस प्रकार के पाइप जल आपूर्ति परियोजनाओं में प्रयोग किए जाते हैं। दिसम्बर 2009¹⁷⁷ में 20 सेमी तक के प्रतिबन्ध को 10 सेमी तक कर दिया गया।

उत्तर प्रदेश जल निगम (निगम) द्वारा केन्द्र और राज्य सरकार की विभिन्न जल आपूर्ति योजनाओं के अन्तर्गत हैण्डपम्पों के संस्थापन और ग्रामीण/शहरी इलाकों में पाइपों के द्वारा जल आपूर्ति परियोजनाओं का कार्य निष्पादन किया जाता है। डक्टाईल आयरन (डीआई) के पाइप एस्बेस्ट्स सीमेन्ट (एसी) दाब पाइप और पीवीसी पाइप का प्रयोग उक्त

¹⁶⁹ निर्माण खण्ड, लखीमपुर; निर्माण खण्ड, हरदोई; पष्टम निर्माण खण्ड, वाराणसी; निर्माण खण्ड, जौनपुर, तृतीय अनुक्षण खण्ड, जौनपुर; निर्माण खण्ड, देवरिया; निर्माण खण्ड, फतेहपुर; द्वितीय निर्माण खण्ड, लखनऊ; एकादशम् खण्ड, मुरादाबाद; निर्माण इकाई, उन्नाव; निर्माण खण्ड, उन्नाव; निर्माण खण्ड, बिजनौर; निर्माण खण्ड, गोण्डा; दशम् खण्ड, गोरखपुर; प्रथम परियोजना खण्ड, गोरखपुर; प्रथम खण्ड, मेरठ; विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, मेरठ; रुक्यरसिटी खण्ड, मिर्जापुर; निर्माण खण्ड, फिरोजाबाद; निर्माण खण्ड, अलीगढ़; यूनीसेफ परियोजना इकाई (ईएण्डरएम), सोनभद्र; निर्माण खण्ड, सीतापुर; निर्माण खण्ड, फैजाबाद एवं निर्माण खण्ड, हाथरस।

¹⁷⁰ उपयोगी— 14.47 लाख मीटर और अनुपयोगी— 18.87 लाख मीटर।

¹⁷¹ सन्दर्भित खण्डों के भण्डार रजिस्टर में दर्ज मात्रा के अनुसार उपयोगी—8.20 लाख मीटर तथा अनुपयोगी 0.77 लाख मीटर।

¹⁷² उपयोगी—6.27 लाख मीटर तथा अनुपयोगी—18.10 लाख मीटर।

¹⁷³ निगम द्वारा उन वर्षों में नये जीआई पाइपों के खरीद की प्रति मीटर औसत दर (2007–08 के लिए ₹ 146.18; 2008–09 के लिए ₹ 163.21; 2009–10 के लिए ₹ 137.57; 2010–11 के लिए ₹ 162.80; 2011–12 के लिए ₹ 154.30 एवं 2012–13 के लिए ₹ 172.03) पर गणना की गई।

¹⁷⁴ उन्हीं/पूर्व वर्षों के दौरान 10 प्रतिशत की दर से क्षय अनुमन्य करने के बाद कबाड़ की प्रति एमटी की औसत बिक्री मूल्य (2007–08 के लिए ₹ 16,662.91; 2008–09 के लिए ₹ 20,000; 2009–10 के लिए ₹ 18,862.81; 2010–11 के लिए ₹ 21,660.65; 2011–12 के लिए ₹ 18,322.01 एवं 2012–13 के लिए ₹ 18,322.01) पर गणना की गई।

¹⁷⁵ अधिसूचना संख्या 6/2006—केन्द्रीय उत्पाद दिनांक 1 मार्च 2006।

¹⁷⁶ अधिसूचना संख्या 6/2007—केन्द्रीय उत्पाद दिनांक 1 मार्च 2007।

¹⁷⁷ अधिसूचना संख्या 26/2009—केन्द्रीय उत्पाद दिनांक 4 दिसम्बर 2009।

योजनाओं के निष्पादन में किया जाता है। निगम द्वारा पाइपों की आपूर्ति के लिए निविदा आमन्त्रित करने के बाद आपूर्तिकर्ता के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय किया जाता है और निगम के मुख्यालय से केन्द्रीय रूप से आपूर्तिकर्ता को, आपूर्ति की नियम और शर्तों को निर्दिष्ट करते हुए, निगम की विभिन्न इकाइयों को पाइप की मात्रा की आपूर्ति करने के सम्बन्ध में आवंटन आदेश निर्गत किया जाता है। इसके बाद इकाइयों द्वारा अपनी आवश्यकताओं के अनुसार आपूर्ति के लिये आपूर्ति आदेश जारी किया जाता है और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पाइपों की प्राप्ति की जाती है एवं आपूर्तिकर्ता फर्म को भुगतान किया जाता है।

हमने देखा (जुलाई 2012) कि निगम द्वारा आवंटन आदेश को निर्गत करते समय आपूर्तिकर्ता को डीआई पाइपों और एसी दाब पाइपों की आपूर्ति के लिये स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया कि सरकार की अधिसूचना संख्या 6/2006 दिनांक 1 मार्च 2006 और 6/2007 दिनांक 1 मार्च 2007 के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्गत किये गये उत्पादक शुल्क की छूट से सम्बन्धित प्रमाण—पत्र प्रेषितियों¹⁷⁸ द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, अतः उत्पादक शुल्क न लगाया जाए। यद्यपि डीआई और एसी दाब पाइपों के मामले में, निगम ने व्यक्त किया था कि छूट से सम्बन्धित प्रमाण—पत्र उपलब्ध किया जायेगा, लेकिन पीवीसी पाइपों की आपूर्ति के लिए आवंटन आदेश जारी करते समय उक्त उपबन्ध को सम्मिलित नहीं किया गया। पीवीसी पाइपों पर उत्पाद शुल्क में छूट से सम्बन्धित किसी निर्देश के अभाव में, निगम की इकाईयाँ पीवीसी पाइपों की खरीद पर उत्पाद शुल्क की छूट की सुविधा का लाभ नहीं उठा पायी।

प्रबन्धन ने बताया (नवम्बर 2013) कि पीवीसी पाइपों पर उत्पाद शुल्क के भुगतान के कारण आपूर्तिकर्ताओं द्वारा मॉडवैट क्रेडिट का लाभ प्राप्त किया गया जो निगम को आपूर्तिकर्ताओं द्वारा पीवीसी पाइपों का मूल्य घटाकर हस्तान्तरित किया गया था। इस प्रकार निगम को उत्पाद शुल्क के भुगतान के सम्बन्ध में नाममात्र की हानि हुई। इसके अतिरिक्त, अब पीवीसी पाइपों की आपूर्ति के लिए निविदाएँ उत्पाद शुल्क छूट सहित एवं उत्पाद शुल्क छूट रहित आमन्त्रित की जाती है।

हमें प्रबन्धन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निगम द्वारा मॉडवैट क्रेडिट का लाभ प्राप्त करने के बावजूद ₹ 42.62 लाख¹⁷⁹ का उत्पाद शुल्क का परिहार्य भुगतान किया गया था क्योंकि पीवीसी पाइपों पर भुगतान किये गये उत्पाद शुल्क आपूर्तिकर्ताओं द्वारा हस्तान्तरित किये गये मॉडवैट क्रेडिट के लाभ से अधिक थी।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2013); उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2013)।

3.16 व्हेक्षक तुनि एवं व्हेक्षक लिंग द्वारा लेखा परीक्षा

राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल आपूर्ति योजना के अन्तर्गत, उत्तर प्रदेश जल निगम (निगम) के निर्माण खण्ड (सीडी) एवं अनुरक्षण खण्ड (एमडी), आगरा द्वारा 2008–09 से 2012–13 (दिसम्बर 2012 तक) के दौरान ₹ 220.09¹⁸⁰ करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत पर 3,841 (सीडी–2,293 और एमडी–1,548) टैंक टाइप स्टैंड पोस्टों¹⁸¹ (टीटीएसपी) का निर्माण किया गया। टीटीएसपी के क्रियान्वयन की कमियों से सम्बन्धित, मीडिया में प्रकाशित, लोक शिकायतों के प्रतियुत्तर में, खण्डों के प्रबन्धन द्वारा निर्माण किये गये टीटीएसपी का सर्वेक्षण (जनवरी 2013) किया गया और पाया कि 3,841 टीटीएसपी में से 1,893

¹⁷⁸ पाइपों को क्रय करने वाली इकाईयाँ।

¹⁷⁹ निगम की 20 इकाईयों द्वारा दिसम्बर 2009 से मार्च 2013 के दौरान ₹ 44.86 करोड़ की लागत पर क्रय किये गये 31.21 लाख मीटर पीवीसी पाइपों पर।

¹⁸⁰ एक टीटीएसपी की लागत	₹ 4.85 लाख
जोड़ा: 5 प्रतिशत की दर से कन्टीन्जेन्सी	₹ 0.24 लाख
योग:	₹ 5.09 लाख
जोड़ा: 12.5 प्रतिशत की दर से सेन्डेज	₹ 0.64 लाख
एक टीटीएसपी की कुल लागत	₹ 5.73 लाख

3,841 टीटीएसपी की स्वीकृत लागत = ₹ 5.73 लाख x 3,841 = ₹ 220.09 करोड़।

¹⁸¹ 10 किलो लीटर क्षमता के सिन्टैक्स मेंक' टैंक, 2.5 मीटर स्टेजिंग, 100 मीटर गहरी बोरिंग, सबमर्सिबल पम्प एवं सहवर्ती पाईप लाइन कार्य को समिलित करते हुये।

टीटीएसपी अच्छी स्थिति में थे और 1,948 टीटीएसपी कार्य नहीं कर रहे थे। प्रबन्धन ने टीटीएसपी के अकार्यशील होने के मुख्य कारण बोरिंग की विफलता और सबमर्सिबल पम्पों का अकार्यशील होना बताया।

हमने आगरा जनपद में योजना के क्रियान्वयन और प्रचालन का निरीक्षण किया एवं बहुत सी कमियाँ देखी जिसकी चर्चा आगामी प्रस्तरों में की गयी है।

विद्युत कनेक्शन के अभाव में टीटीएसपी का असंचालन

3-16-1 गाँव के बाहरी क्षेत्रों से पेयजल एक 2 ब्रेक हार्स पॉवर (बीएचपी) सबमर्सिबल पम्प के द्वारा पम्प किया जाना था अतः टीटीएसपी के निर्बाध संचालन हेतु विद्युत कनेक्शन प्राप्त करना या विद्युत के वैकल्पिक स्रोत की व्यवस्था सुनिश्चित करना आवश्यक था। यद्यपि, 3,841 टीटीएसपी की स्वीकृत लागत में विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने के लिए ₹ 11.52 करोड़ (प्रति टीटीएसपी ₹ 30,000 की दर पर) शामिल था, हमने देखा कि किसी भी टीटीएसपी के लिए खण्डों द्वारा विद्युत कनेक्शन प्राप्त नहीं किये गये थे जिसके परिणामस्वरूप टीटीएसपी असंचालित रहे। लम्बी अवधि के लिए टीटीएसपी असंचालित रहने के परिणामस्वरूप बोरिंग की विफलता और सबमर्सिबल पम्पों की अकार्यशीलता हुई। हमने देखा कि 3,841 टीटीएसपी में से 1,948 टीटीएसपी (50.72 प्रतिशत) अकार्यशील हो गये। इस प्रकार, टीटीएसपी के निर्माण पर किया गया ₹ 173.44 करोड़¹⁸² का व्यय विफल रहा क्योंकि विद्युत के अभाव में इन्हे संचालित नहीं किया जा सका।

प्रबन्धन ने स्वीकार्य (सितम्बर 2013) किया कि 3,841 टीटीएसपी में से 1,518 टीटीएसपी¹⁸³ छोटी-छोटी त्रुटियों के कारण कार्य नहीं कर रहे थे जो वर्तमान में ₹ 49.11 लाख की लागत पर मरम्मत करा दिये गये थे। 102 टीटीएसपी के लिए विद्युत कनेक्शन प्राप्त किये गये थे, 1,202 कनेक्शनों के लिए अपेक्षित शुल्क जमा किया जा चुका था एवं शेष टीटीएसपी के लिए कनेक्शन लेने का कार्य प्रगति पर था।

इस प्रकार यह तथ्य बरकरार रहा कि निगम सिविल कार्यों के पूर्ण करने के साथ विद्युत-कनेक्शन समय से प्राप्त करने में विफल रहा। यह खराब योजना बनाये जाने को दर्शाता है जिसके परिणामस्वरूप टीटीएसपी संचालित नहीं किए जा सके अतः टीटीएसपी के निर्माण का उद्देश्य विफल रहा। इसके अलावा टीटीएसपी को कार्यशील बनाने में ₹ 49.11 लाख का अतिरिक्त व्यय भी करना पड़ा।

कार्य के प्रदान/निष्पादन में अनियमितताएं

3-16-2 हमने अनुबन्धों के अन्तिमीकरण एवं कार्यों के प्रदान/निष्पादन से सम्बन्धित विभिन्न अनियमितताएं पायी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 15.54 करोड़ का व्याधिक्य/अधिक भुगतान/अस्वीकृत व्यय हुआ जैसा नीचे सारणीबद्ध किया गया है।

Lkj .kj 3-14

fooj .k	1djkM+R e)
Ojojh 1997 ds "kk ulns k emfYyf[kr ikp ifr kr dh dVfhi fd, fcuk I fonkdjka dks vupekfur ylxr ij dk;Z inku djuk फरवरी 1997 के उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश ¹⁸⁴ की शर्त के अनुसार डिपॉजिट वर्क करने वाले सार्वजनिक उपक्रमों के कार्य की लागत में से 5 प्रतिशत घटाने के बाद, 12.5 प्रतिशत सेन्टेज प्राप्त होगा। हमने देखा कि निगम ने अपने द्वारा तैयार किये गये कार्य की अनुमानित लागत से आवश्यक 5 प्रतिशत की कटौती किये बिना 12.5 प्रतिशत सेन्टेज की माँग की। परिणामस्वरूप इस स्तर तक बढ़े हुए अनुमान प्रस्तुत किये गये 'राज्य स्तरीय स्रोत ज्ञात एवं तकनीकी समिति ¹⁸⁵ , के द्वारा स्वीकृत किये गये।	7.29

¹⁸² 3,841 टीटीएसपी के स्थापना के लिए ठेकेदारों को दिए गए कार्य की लागत: ₹ 145.72 करोड़ (सीडी द्वारा ₹ 3.81 लाख की दर पर 2,293 टीटीएसपी और एमडी द्वारा ₹ 3.77 लाख की दर पर 1,548 टीटीएसपी) जोड़ 3,841 टैंकों की क्रय लागत: ₹ 27.72 करोड़

¹⁸³ सीडी-898 और एमडी-620।

¹⁸⁴ संख्या ए-2-87/10-97/17(4)-75 दिनांक 27 फरवरी 1997।

¹⁸⁵ समिति राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनाओं की स्वीकृति के लिए अधिकृत है।

fooj.k	/kujkf k
<p>इसे निविदा निर्गत करते समय भी नहीं सुधारा गया और निगम ने अनुमानित लागत में से 5 प्रतिशत की कटौती किये बिना बीओक्यू की अनुमानित लागत¹⁸⁶ को निविदा सूचना में सूचित किया और परिणामस्वरूप कार्य 5 प्रतिशत अधिक मूल्य पर प्रदत्त किये गये जिससे संविदाकारों को ₹ 7.29 करोड़¹⁸⁷ का अतिरिक्त भुगतान हुआ।</p> <p>प्रबन्धन ने अपने उत्तर (सितम्बर 2013) में बताया कि कार्य की लागत में से 5 प्रतिशत की कटौती ऐसे कार्यों में की जानी है जिसमें निगम को दक्षता प्राप्त है। चूंकि टीटीएसपी का निर्माण निगम के लिये एक नयी परियोजना थी इसलिये अनुमानों को बनाने में आयी लागत के 5 प्रतिशत की कटौती न करना तर्कसंगत था। लगातार चार वर्षों से अधिक समय से बनाने के बाद अब अनुमान कार्य की लागत में 5 प्रतिशत की कटौती करने के बाद बनाये जा रहे हैं।</p> <p>हम उत्तर को स्वीकार्य नहीं करते हैं क्योंकि शासनादेश के अनुसार 5 प्रतिशत की कटौती अनुमानों में से सभी दशाओं में की जानी थी।</p>	
<p>fufonk iØ; k dks vi ukus ds LFku i j p; u vkkij ij dk; lInku djukA</p> <p>वर्ष 2008–09 से 2012–13 के दौरान खण्डों ने 3841 टीटीएसपी के निर्माण हेतु 461 अनुबन्ध किये (सीडी –316 एवं एमडी –145) इनमें से केवल 42 अनुबन्धों (सीडी –8, एवं एमडी –34) का अन्तिमीकरण निविदा के आधार पर किया गया। शेष 419 अनुबन्ध (सीडी –308, एवं एमडी –111) यथा निर्धारित मुख्यालय की स्वीकृति के बिना पिछली निविदा में प्राप्त न्यूनतम दर पर चयन के आधार पर प्रदान किये गये। इस प्रकार अधिकतर कार्य चयन के आधार पर देने के कारण प्रतियोगिता को सीमित किया गया।</p> <p>प्रबन्धन ने उत्तर (सितम्बर 2013) दिया कि कार्यों को समयबद्ध पूर्ण करने के लिये पिछली निविदा में प्राप्त न्यूनतम दर पर चयनित अनुबन्ध किए गए क्योंकि निविदा प्रक्रिया में अधिक समय लग सकता है।</p> <p>हम उत्तर से सहमत नहीं हैं। यहाँ पर तपरता की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि संविदाकारों को कार्यपूर्ण करने हेतु 6 माह का समय दिया गया था इसलिये निर्धारित प्रक्रिया से विचलन तर्कसंगत नहीं है।</p>	
<p>I Mh vkj ,eMh }jkj ikr i fr VVh, l ih dh nj eMhWurk</p> <p>सीडी द्वारा आवन्टित दर (₹ 3,81,272 प्रति टीटीएसपी) एमडी द्वारा आवन्टित दर (₹ 3,76,799 प्रति टीटीएसपी) से ₹ 4,473 से अधिक थी। चूंकि दोनों खण्डों का कार्यक्षेत्र (आगरा) एक ही था, अतः उनके द्वारा आवन्टित दरों में विचलन तर्कसंगत नहीं था। इस प्रकार अनुबन्ध में उच्च दरों की अनुमति देकर सीडी ने 2,293 टीटीएसपी की स्थापना पर प्रति टीटीएसपी ₹ 4,473 का अतिरिक्त व्यय किया गया। प्रबन्धन ने कोई टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की।</p>	1.03
<p>I Mh vkj ,eMh }jkj iEi vkj dscy dsfy; svyx nj dk vka/wu</p> <p>सीडी द्वारा ₹ 38,500 प्रति टीटीएसपी पर निष्पादित अनुबन्ध में 2 बीचपी सबमर्सिवल पम्प और तार की आपूर्ति भी शामिल है। जबकि एमडी द्वारा उसी समय निष्पादित किए गए अनुबन्धों में ₹ 32,000 प्रति टीटीएसपी की दर से पम्प एवं केबिल की आपूर्ति का प्रावधान किया। इस प्रकार अनुबन्ध में उच्च दरों की अनुमति देकर सीडी ने 2293 टीटीएसपी की स्थापना पर ₹ 6,500 प्रति टीटीएसपी का अतिरिक्त व्यय किया गया।</p> <p>प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2013) कि सीडी द्वारा निष्पादित अनुबन्धों में केएसबी मार्क पम्प प्रयोग किया जा रहा था जो कि उच्च गुणवत्ता के कारण अन्य पम्पों से महँगा है।</p> <p>हम प्रबन्धन के उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि प्रबन्धन ने सीडी एवं एमडी द्वारा प्रयोग किये जा रहे दोनों प्रकार के पम्पों की तकनीकी सुविधाओं की कोई तुलना प्रस्तुत नहीं की है। इसके अलावा यदि ब्रान्डेड पम्प आवश्यक थे तो सीडी एवं एमडी (एक ही अधीक्षण अभियन्ता के अधीन काम करने वाले) को एक ही ब्रान्ड का पम्प इस्तेमाल करना चाहिये था।</p>	1.49
<p>i dñt e/ cl/oljs ds dkj.k mPp nj i j dk; l dk fn; k t kluA</p> <p>3,841 टीटीएसपी के निर्माण से सम्बन्धित अनुबन्धों के अलावा, एमडी द्वारा जिले के आठ ब्लाकों¹⁸⁸ में 1,204 टीटीएसपी¹⁸⁹ के निर्माण के लिये 2 और निविदाओं (6 सितम्बर 2012 और 12 सितम्बर 2012) का अन्तिमीकरण किया गया। प्रत्येक ब्लाक को एक से अधिक पैकेज में बाँटा गया और कार्यों को उस विशेष पैकेज के लिये प्राप्त न्यूनतम मूल्य पर आवन्टित किया गया। प्रत्येक ब्लाक में एक ही प्रकृति का कार्य समान परिस्थितियों एवं समान भौगोलिक क्षेत्र में किया जाना था, अतः विशेष पैकेज में प्राप्त न्यूनतम मूल्य के बजाय पूर्व¹⁹⁰ में अपनायी गयी पद्धति के अनुसार विशेष ब्लाक में प्राप्त किये गये न्यूनतम मूल्य को कार्य आवन्टित करने का आधार बनाना चाहिये था। हमने ब्लाक विशेष की न्यूनतम दर की तुलना आवन्टित दर से की और पाया की आवन्टित दर ब्लाक विशेष की न्यूनतम दर से 12 प्रतिशत तक अधिक थी।</p> <p>प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2013) कि नये कार्य एवं तात्कालिकता के कारण क्षमतावान एवं दक्ष ठेकेदार उपलब्ध नहीं थे। इसलिए समय बचाने के लिए कार्य को छोटे पैकेजों में बाँटा गया। इसके अलावा बड़े ठेकेदार नये एवं बिखरे हुए कार्य को करने के लिए उपलब्ध नहीं थे।</p> <p>हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि कार्य नया नहीं था, बल्कि 2008–09 से किया जा रहा था और बहुत से ठेकेदार उपलब्ध थे।</p>	1.64
<p>i fjudg ykxr dsfy, nkjk i kolu djus ds dkj.k vfrfjDr Hkru</p> <p>सीडी द्वारा तैयार किये गये इकाई अनुमान में सामग्री के परिवहन के लिए ₹ 1,000 का प्रावधान किया गया था। जबकि अनुबन्ध के बीओक्यू में सामग्री के परिवहन के लिए ₹ 1,000 का प्रावधान दो बार किया गया था। सामग्री के परिवहन के लिए दोहरे प्रावधान के कारण डेकेदारों को अतिरिक्त भुगतान¹⁹¹ किया गया।</p> <p>प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2013) कि टैंक की निगम के भण्डार से आपूर्ति की जानी थी इसलिए विशिष्ट स्थान के लिए परिवहन बीओक्यू में शामिल किया गया है।</p> <p>हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि सामग्री के परिवहन के लिए ₹ 1,000 का प्रावधान एक बार करना था जैसा कि एमडी ने अपने अनुबन्ध में किया था।</p>	0.23

¹⁸⁶ सीडी– 3.81 लाख प्रति टीटीएसपी तथा एमडी– 3.77 लाख प्रति टीटीएसपी।

¹⁸⁷ (₹ 3.81 लाख x 5 प्रतिशत x 2,293 = ₹ 4,36,81,650)+(₹ 3.77 लाख x 5 प्रतिशत x 1,548 = ₹ 2,91,79,800) = ₹ 7,28,61,400।

¹⁸⁸ अकोला, बिचपुरी, बतौती अहीर, शमशाबाद, फतेहाबाद, बाह, जैतपुर कला और पिनाहट।

¹⁸⁹ उसी योजना के अन्तर्गत अर्थात राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल आपूर्ति योजना।

¹⁹⁰ 2009–10 से 2012–13 (अगस्त 2012 तक) के दौरान सभी आठ ब्लाकों (अकोला, बिचपुरी, बतौती अहीर, शमशाबाद, फतेहाबाद, बाह, जैतपुर कला और पिनाहट) में।

¹⁹¹ 2,293 टीटीएसपी x ₹ 1,000 = ₹ 22.93 लाख।

fooj.k	/kuj kf k
<p>[k.Mla }kj k Lo; adsfy, [kj]ins x; s thvkbz i kbz dhi nj l svf/kd nj ij thvkbz i kbz dk Ø;</p> <p>खण्डों द्वारा निष्पादित अनुबन्धों में ₹ 202.90 प्रति मीटर की दर से 60 मीटर, 32 मिली मीटर व्यास के मध्यम जीआई पाईप की आपूर्ति भी शामिल है। हमने देखा कि वर्ष 2008–09 से 2012–13 के दौरान खण्डों द्वारा खरीदे गये जीआई पाईप की औसत दर ₹ 160.18 प्रति मीटर¹⁹² थी। चूँकि खण्डों के क्रय मूल्य अनुमानों में दिये गये मूल्य से कम थे, अतः ठेकेदारों के बीओक्यू में जीआई पाईप के निर्गत करना (जैसा कि 10 किलो मीटर टैंक के मामले में किया जा रहा था) विवेकपूर्ण होता। इस प्रकार स्वयं के लिए क्रय में से ठेकेदारों को जीआई पाईप की आपूर्ति न करके अतिरिक्त व्यय¹⁹³ किया गया। प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2013) कि ठेकेदारों को ₹ 202.90 प्रति मीटर की दर से जीआई पाईप की आपूर्ति को हैण्डपम्प की अवस्थापना के लिए तैयार किए गए अनुमानों में भी स्वीकृत किया गया है।</p> <p>हम उत्तर को अस्वीकार करते हैं क्योंकि ₹ 202.90 प्रति मीटर का निर्गमन मूल्य वास्तविक क्रय के आधार पर निर्धारित किया गया था जो समय–समय पर बदलता रहता है। जबकि टीटीएसपी के अनुबन्धों में जीआई पाईप की दर वर्ष 2008–09 से 2012–13 तक ₹ 202.90 प्रति मीटर पर नियत रही।</p>	0.98
<p>,l el h cdI , ol LVsybt!lij vLoIdtr Ø;</p> <p>खण्डों ने सभी टीटीएसपी पर एसएमसी¹⁹⁴ बॉक्स तथा 362 टीटीएसपी पर स्टैब्लाइजर्स की स्थापना क्रमशः ₹ 2.51 करोड़ एवं ₹ 37.23 लाख की लागत पर की गई जो कि इकाई अनुमानों में शामिल /स्वीकृत नहीं थी। इस प्रकार इन मदों पर व्यय अस्वीकृत था। प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2013) कि एसएमसी बॉक्स तथा स्टैब्लाइजर्स को इकाई अनुमानों में शामिल नहीं किया गया था लेकिन वोल्टेज के उत्तर–चढ़ाव को रोकने के लिए स्थापित किये गये थे।</p> <p>हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि निगम पर वित्तीय बोझ से बचने के लिए सरकार से स्वीकृति तथा धन प्राप्त करने के बाद इन्हे स्थापित किया जाना चाहिए था।</p>	2.88
; lkx	15.54

जल की गुणवत्ता का गैर-आवासन-जल गुणवत्ता परीक्षण

3-16-3 सीडी एवं एमडी द्वारा वर्ष 2008–09 से 2012–13 के मध्य निर्मित कुल 3,841 टीटीएसपी में से 1,000 टीटीएसपी (26.03 प्रतिशत) की जल गुणवत्ता का परीक्षण नहीं किया गया।

प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2013) था कि शेष टीटीएसपी के जल की गुणवत्ता का परीक्षण किया जा रहा है। उत्तर स्वयं में सिद्ध करता है कि जल का परीक्षण टीटीएसपी प्रचालन के बाद तत्काल प्रभाव से नहीं किया गया था।

ग्राम पंचायतों को टीटीएसपी सौंपना

3-16-4 संविदाओं कि नियम और शर्तों में अनुबन्धित किया गया है कि संविदाकार प्रचालन के बाद एक वर्ष तक टीटीएसपी का अनुरक्षण करेगा और इसके बाद निगम को या निगम द्वारा अनुमोदित अन्य संस्था को सौंप देगा। ग्राम पंचायतों को टीटीएसपी सौंपने के बाद संविदाकारों की सुरक्षा राशि (संविदा मूल्य का 10 प्रतिशत) जारी की जानी थी। हमने निम्न कमियाँ पार्यीं—

- 3,841 टीटीएसपी में से केवल 1,632 टीटीएसपी के हस्तान्तरण प्रपत्र खण्डों द्वारा उपलब्ध कराये गये संविदावार विवरण में प्रदर्शित किये गये थे। हमने हस्तान्तरण प्रपत्र में विभिन्न कमियाँ पार्यीं जो **ifjf k'V&26** में संक्षेप में प्रस्तुत की गयी हैं।
- इसके अतिरिक्त 2,209 टीटीएसपी हस्तान्तरित नहीं किये गये थे अतः उनके संचालन और अनुरक्षण की देयता निगम की बनी रही।
- किसी टीटीएसपी के लिए कार्य पूर्णता आख्या तैयार नहीं की गयी थी। इसलिए, संविदाकारों को अन्तिम भुगतान की प्रमाणिकता अभिनिश्चित नहीं की जा सकी।
- सभी हस्तान्तरण प्रपत्र ग्राम प्रधानों द्वारा तिथि के बिना हस्ताक्षरित किये गये थे, तदनुसार टीटीएसपी के प्रचालन के एक वर्ष बाद संविदाकारों द्वारा एक वर्ष की अवधि के अनुरक्षण का अनुवर्तन भी अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता था।

प्रबन्धन द्वारा हमारे प्रेक्षण को स्वीकार (सितम्बर 2013) किया गया और भविष्य में अनुपालन का आश्वासन दिया गया। आगे कहा गया कि अपूर्ण हस्तान्तरण प्रपत्र पूर्ण करने की प्रक्रिया में है और शेष टीटीएसपी ग्राम प्रधानों को, सामग्री सूची और तिथि के साथ हस्ताक्षर सहित, सौंप दिये जायेंगे।

I lnfr;k

हम संस्तुति करते हैं कि निगम को सभी निर्मित टीटीएसपी के लिए विद्युत कलेक्शन प्राप्त करना चाहिए सभी शेष अकार्यशील टीटीएसपी की मरम्मत करना चाहिए और टीटीएसपी

¹⁹² क्रय की धनराशि /किए गए क्रय की मात्रा (₹ 8,58,27,396 / 5,35,806 मीटर = ₹ 160.18 प्रति मीटर)।

¹⁹³ 3841 X 60 मीटर X (₹ 202.90–₹ 160.18)= ₹ 0.98 करोड़।

¹⁹⁴ शीट मोल्डिंग कम्पाउन्ड।

के प्रचालन के लिए आवश्यक अनुदानों की उचित व्यवस्था करना चाहिए, जिससे लाभार्थियों को नियमित रूप से पीने के जल की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। इसके अतिरिक्त, निगम को भविष्य में अन्य जल आपूर्ति योजनाओं की रूप रेखा इस प्रकार तैयार करनी चाहिए जिससे उन्हें कार्यात्मक एवं टिकाऊ बनाया जा सके।

mRrj i ns k vkokl , oafodkl i fj 'kn

3.17 vkj f{kr eW; dk xyr fu/kj.k

vkj f{kr eW; ds xyr fu/kj.k ds dkj.k fcYMj dks Hk[k.M foØ; Is i fj 'kn dks ₹ 443 djKM+ds jktLo Is ofpr gkuk i Mkk FkkA

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (परिषद) की लागत मार्गदर्शिका का प्रस्तर 16.1 यह प्रावधानित करता है कि वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए विक्रय की जा रही भूमि का आरक्षित मूल्य नियत करते समय आस-पास के भूखण्डों की नीलामी में प्राप्त मूल्य को ध्यान में रखा जाता है। जहाँ आस-पास के भूखण्डों की नीलामी सम्पन्न न हुई हो वहाँ आवासीय भूखण्डों की प्रचलित भूमि दर¹⁹⁵ के दुगुने पर आरक्षित मूल्य नियत किया जाता है।

हमने देखा (अप्रैल 2012) कि परिषद द्वारा सिकन्दरा योजना आगरा में 10,619.12 वर्ग मीटर की माप का एक समूह आवासीय भूखण्ड¹⁹⁶ ₹ 13,080 प्रति वर्ग मीटर की दर पर नीलामी (मार्च 2011) के माध्यम से एक बिल्डर¹⁹⁷ को विक्रय किया गया। सिकन्दरा योजना आगरा के आवासीय भूखण्डों की प्रचलित भूमि दर ₹ 7,000 प्रति वर्ग मीटर थी अतः भूमि का आरक्षित मूल्य ₹ 17,248 प्रति वर्ग मीटर¹⁹⁸ जो प्रचलित भूमि दर का दुगुना होती है के स्थान पर ₹ 12,936 प्रति वर्ग मीटर¹⁹⁸ जो प्रचलित भूमि दर का 1.5 गुना है निर्धारित किया गया था जबकि बिल्डर की गतिविधियाँ वाणिज्यिक प्रकृति की थी। इसके परिणामस्वरूप परिषद को ₹ 4.43 करोड़¹⁹⁹ के राजस्व से वंचित होना पड़ा।

प्रबन्धन ने बताया (अप्रैल 2012) कि कार्यालय आदेश दिनांक 21 मार्च 2006 के अनुसार समूह आवासीय भूखण्ड का आरक्षित मूल्य सामान्य प्रचलित भूखण्ड दरों का 1.5 गुना नियत किया गया था

हमें उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भूखण्ड को समूह आवासीय सोसाइटी को उसके सदस्यों के प्रयोग के लिए विक्रय नहीं किया गया था बल्कि एक बिल्डर को विक्रय किया गया था जो, भूखण्ड पर हाई-एन्ड फ्लैटों का निर्माण तथा विक्रय कर रहा था। चूंकि यह एक वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधि है अतः भूमि का आरक्षित मूल्य लागत मार्गदर्शिका के अनुसार प्रचलित दर के दोगुने पर निर्धारित करना चाहिए न कि कार्यालय आदेश 21 मार्च 2006 के अनुसार प्रचलित दर के 1.5 गुने पर, क्योंकि यह आदेश समूह आवासीय के लिए लागू था।

प्रकरण प्रबन्धन एवं शासन को जून 2013 में प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2013)।

mUkj i ns k ou fuxe

3.18 i t{kki fud "kj/dk i fj gk; Z Hkkrku

dei uh }kjk deplkjhi Hfo"; fuf/k I xBu dks ₹ 2-46 ds ç kki fud "kj/dk i fj gk; Z Hkkrku fd; k x; kA

कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 (ईपीएफ योजना) के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक नियोक्ता जिसपर यह योजना लागू है, को प्रत्येक माह, नियोक्ता एवं कर्मचारी अंशदान के साथ प्रशासनिक शुल्क जमा करना आवश्यक है।

¹⁹⁵ परिषद प्रत्येक वर्ष अपनी योजनाओं की भूमि दर नियत करता है। प्रचलित भूमि दर का सन्दर्भ परिषद द्वारा विशेष योजना पर सम्बन्धित अवधि के लिए लागू भूमि दर से है।

¹⁹⁶ प्लाट संख्या-जीपी-2, सेक्टर-16

¹⁹⁷ श्री रिद्धि सिद्धि बिल्डरेल प्राइवेट लिमिटेड, आगरा

¹⁹⁸ 12 प्रतिशत की दर पर फी-होल्ड प्रभार तथा 10 प्रतिशत की दर से कार्नर प्रभार जोड़ने के बाद।

¹⁹⁹ 10,619.12 वर्ग मीटर x (₹ 17,248 प्रति वर्ग मीटर - ₹ 13,080 प्रति वर्ग मीटर) = ₹ 4.43 करोड़

कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (अधिनियम) की धारा 17 (1) यह प्रावधानित करती है कि, समुचित सरकार, किसी संस्थान को अधिनियम के अन्तर्गत बनाई गई ईपीएफ योजनाओं के सभी या किन्ही प्रावधानों को लागू करने से छूट प्रदान कर सकती है, यदि, कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ समग्र रूप से अधिनियम अथवा योजना के अन्तर्गत मिलने वाले लाभों की तुलना से कम लाभदायक नहीं हैं। इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 17(3)(अ) यह प्रावधानित करती है कि ऐसे छूट प्राप्त संस्थान का नियोक्ता केन्द्र सरकार के निर्देशनुसार लेखों का रखरखाव करेगा, विवरणिकाएं देगा, विनियोजन करेगा, निरीक्षण की सुविधाएं उपलब्ध कराएगा तथा निरीक्षण प्रभारों का भुगतान करेगा। ईपीएफ योजना की अनुसूची 'ए' जो कि अधिनियम की धारा 17 में छूट के लिए नियम एवं शर्त निर्धारित करती है, के अनुसार नियोक्ता भविष्य निधि के प्रबन्धन के लिए बोर्ड आफ ट्रस्टीज की स्थापना करेगा एवं भविष्य निधि के प्रशासन के समस्त व्यय वहन करेगा।

इस प्रकार यह सुस्पष्ट है कि एक संस्थान जिसे अधिनियम की धारा 17(1) के अधीन छूट प्राप्त है अथवा ईपीएफ योजना के प्रस्तर 79²⁰⁰ के अधीन रियायत प्राप्त है, को निर्धारित दरों पर निरीक्षण प्रभारों का भुगतान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) को करने के अतिरिक्त उसके द्वारा स्थापित भविष्य निधि ट्रस्ट के प्रशासन से सम्बन्धित समस्त व्यय वहन करने होंगे।

उत्तर प्रदेश वन निगम (निगम) ने अपने कर्मचारियों की भविष्य निधि के प्रशासन हेतु एक ट्रस्ट²⁰¹ स्थापित (जनवरी 1978) किया तथा अधिनियम की धारा 17(1) के अधीन छूट प्राप्त करने हेतु आवेदन किया (जनवरी 1979)। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (आरपीएफसी) ने ईपीएफ योजना के पैराग्राफ 79 के अन्तर्गत छूट प्रदान की जो 1 मई 1979 से प्रभावी थी। आरपीएफसी द्वारा प्रदत्त छूट के दृष्टिगत, निगम को केवल निर्धारित दरों पर निरीक्षण प्रभारों का भुगतान करना था तथा 1 मई 1979 से प्रशासनिक प्रभारों का भुगतान बन्द करना था। आरपीएफसी द्वारा निर्गत रियायत आदेश में भी यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित था। निगम, तथापि, ईपीएफओ को, निरीक्षण प्रभारों के अतिरिक्त प्रशासनिक प्रभारों का भी भुगतान निरन्तर करता रहा। मार्च 2006 से मार्च 2013 के मध्य, निगम द्वारा ईपीएफओ को प्रशासनिक प्रभारों²⁰² के रूप में ₹ 2.46²⁰³ करोड़ का परिहार्य भुगतान किया गया।

प्रबन्धन ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया (अगस्त 2013) तथा आरपीएफसी से ₹ 1.40 करोड़, जो अप्रैल 2009 से मार्च 2012 की समयावधि के लिए निगम द्वारा भुगतान किये गये प्रशासनिक प्रभार थे, को वापस करने का आग्रह किया (जुलाई 2013)।

निगम के आग्रह को आरपीएफसी ने अभी तक (अक्टूबर 2013) स्वीकार नहीं किया है। इसके अतिरिक्त निगम ने मात्र अप्रैल 2009 से मार्च 2012 की समयावधि के प्रशासनिक प्रभारों को वापस करने का आग्रह किया है तथा मई 1979 से मार्च 2009 एवं अप्रैल 2012 से मार्च 2013 की समयावधि के लिए भुगतान किये गये प्रशासनिक प्रभारों की वापसी हेतु कोई आग्रह नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त निगम द्वारा मार्च 2006 से मार्च 2013 के मध्य किये गये परिहार्य भुगतानों पर ₹ 0.89 करोड़²⁰⁴ की ब्याज की हानि वहन की गई। यह अधिनियम/योजना के प्रावधानों के उल्लंघन का पता लगाने में निगम की आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली की अनुपस्थिति का संकेत है, जिसके परिणामस्वरूप परिहार्य प्रशासनिक प्रभारों का भुगतान हुआ।

हम, निगम को यह संस्तुति करते हैं कि वह मई 1979 से भुगतान किये गये परिहार्य प्रशासनिक प्रभारों की सम्पूर्ण धनराशि की वापसी हेतु आरपीएफसी से आग्रह करे तथा निगम की आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली को सदृढ़ बनाए।

²⁰⁰ ईपीएफ स्कीम का प्रस्तर 79 यह प्रावधानित करता है कि ऐसे कारखाने अथवा अन्य संस्थान जिनके सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 17 के अन्तर्गत छूट प्राप्त करने हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है, को आयुक्त आवेदन के विचाराधीन होने के दौरान योजना के प्रावधानों से रियायत प्रधान कर सकता है।

²⁰¹ 'उ0प्र० वन निगम कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट' के रूप में जाना जाता है।

²⁰² कुल पारिश्रमिक के 1.10 प्रतिशत की दर से।

²⁰³ 2006–07 हेतु ₹ 23.14 लाख; 2007–08 हेतु ₹ 30.24 लाख; 2008–09 हेतु ₹ 31.32 लाख; 2009–10 हेतु ₹ 34.42 लाख; 2010–11 हेतु ₹ 46.51 लाख; 2011–12 हेतु ₹ 58.65 लाख एवं 2012–13 हेतु ₹ 21.54 लाख।

²⁰⁴ इसकी गणना 10 प्रतिशत (लघु अवधि के जमा पर लागू ब्याज दर) की दर से मार्च 2006 से मार्च 2013 के दौरान भुगतान किये गये प्रशासनिक प्रभारों पर सितम्बर 2013 तक की गई है।

प्रकरण शासन को मई 2013 में प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2013)।

I koitfud {ks ds mi Øe²⁰⁵

3.19 Hkou ,o vll; I fluekk dedkj dY;k.k I § dk vYi tek ,o vYi dVfshA

I koitfud {ks ds mi Øek }jk Qojjh 2009 | s ekl 2013 dh vof/k e dk; s x; s foHkxh; dk; k i j ₹ 15-48 djkm+ | § de tek fd; k x; k vks mi &Bdskjka ds ek/; e I s djk; s x; s dk; k i j ₹ 14-04 djkm+ | § dh de dVfsh dh x; hA bl ds vfrfjDr] | § vf/fu; e dk dk; klo; u nj I s fd; k x; kA

3-19-1 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के रोजगार एवं सेवा की शर्तों का विनियमन करने और उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण कार्यों के लिए एवं उनसे सम्बन्धित अन्य आनुषंगिक कार्यों के लिए, भारत सरकार द्वारा भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा—शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (अधिनियम) बनाया गया था। भारत सरकार द्वारा भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण सेस अधिनियम, 1996 (सेस अधिनियम) बनाया गया जिसके अनुसार नियोक्ताओं द्वारा किये गये निर्माण की लागत पर सेस लगाने और उनका संग्रहण करना है। भारत सरकार द्वारा सेस अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदान की गयी शक्तियों का प्रयोग करते हुए भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण सेस नियम, 1998 (सेस नियम) भी बनाया गया है।

राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियमों एवं नियमों को उत्तर प्रदेश में लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा—शर्त विनियमन) नियमावली, 2009²⁰⁶ (नियम) को अधिसूचित (फरवरी 2009)²⁰⁷ किया गया। राज्य सरकार ने अधिनियम की धारा 18 के अधीन, उत्तर प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (बोर्ड) का गठन (नवम्बर 2009)²⁰⁸ किया गया है।

निम्नलिखित दो विधियों से राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम निर्माण कार्यों का निष्पादन करते हैं—

1. प्रत्यक्ष रूप से ठेकेदारों को अनुबन्धित किये बिना; और
2. ठेकेदारों को अनुबन्धित कर।

दोनों ही स्थितियों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का यह उत्तरदायित्व है कि बोर्ड के पास सेस जमा करें तथा उस धनराशि को ठेकेदारों के बिलों से, जहाँ लागू हो, की कटौती करें।

हमारे द्वारा उक्त अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों के अनुपालन देखने के लिए चार पीएसयू²⁰⁹ की इकाईयों का चयन करके उनकी नमूना जाँच की गयी और निम्नलिखित कमियां देखी गयीं।

विवरण प्रस्तुत न करना

सेस नियमों के नियम 6 के अनुसार सभी नियोक्ता अपने कार्य के शुरू होने के 30 दिनों के भीतर फार्म-1²¹⁰ में विवरण प्रस्तुत करेंगे।

हमने देखा कि उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड और उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा फरवरी 2009 से मार्च 2013 की अवधि में किये गये किसी भी कार्य का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया।

²⁰⁵ उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड (यूपीआरएनएन), उत्तर प्रदेश राजकीय सेतु निगम लिमिटेड (यूपीएसबीसीएल), उत्तर प्रदेश आवास एवम विकास परिषद (यूपीएवीपी) और उत्तर प्रदेश जल निगम (यूपीजेएन)।

²⁰⁶ अधिसूचना संख्या 143 / 36-2-2009-251(एसएम) / 95 दिनांक 4 फरवरी 2009।

²⁰⁷ अधिनियम की धारा-62 के साथ पठित धारा-40 द्वारा निहित शक्तियों के अनुपालन।

²⁰⁸ अधिसूचना संख्या 1411 / 36-2-2009-251(एसएम) / 95 दिनांक 20 नवम्बर 2009।

²⁰⁹ उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड (यूपीआरएनएन), उत्तर प्रदेश राजकीय सेतु निगम लिमिटेड (यूपीएसबीसीएल), उत्तर प्रदेश आवास एवम विकास परिषद (यूपीएवीपी) और उत्तर प्रदेश जल निगम (यूपीजेएन)।

²¹⁰ इसमें स्थापना, कार्य, आगणित लागत, कार्य की अवधि और सेस का भुगतान का विवरण रहता है।

अभिलेखों का रख-रखाव ना करना

नियमों के अनुसार, सभी नियोक्ता सेस अधिनियम/नियम के अनुपालन करने के लिए निम्नलिखित अभिलेखों का रख-रखाव करेंगे—

1. प्रपत्र 6 में भवन निर्माण कर्मकारों का रजिस्टर (नियम 47)।
2. प्रपत्र 7 में मस्टर रोल, प्रपत्र 8 या 9 में मजदूरी रजिस्टर, प्रपत्र 10 में क्षति या हानि के लिए कटौती रजिस्टर, प्रपत्र 11 में जुर्मानों का रजिस्टर और प्रपत्र 12 में अग्रिमों का रजिस्टर (नियम 48)।

हमने देखा कि उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड और उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड ने नियमों में निर्धारित किसी भी प्रकार के अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, लेखा परीक्षा सेस अधिनियम/नियम के अनुपालन को सत्यापित नहीं कर सका।

प्रत्यक्ष निष्पादित कार्यों पर अल्प सेस का जमा करना

3-19-2 सेस अधिनियम की धारा 3 के अनुसार एक नियोक्ता द्वारा किये गये निर्माण की लागत का एक प्रतिशत की दर से सेस लगाया जायेगा और नियोक्ता से एकत्र किया जायेगा। सेस अधिनियम की धारा 8 एवं 9 अनुसार यदि सेस की राशि निर्धारित समय के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है, तो नियोक्ता ब्याज²¹¹ और दण्ड²¹² का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

हमने देखा कि चार पीएसयू की चयनित इकाईयों द्वारा फरवरी 2009 से मार्च 2013 की अवधि के दौरान प्रत्यक्ष रूप से, ठेकेदारों को अनुबन्धित किये बिना, ₹ 5,235.69 करोड़ के निर्माण कार्यों को निष्पादित किया गया जिसके लिए उन्हे सेस बोर्ड के पास ₹ 52.36 करोड़ जमा करना था। जबकि चारों पीएसयू द्वारा केवल ₹ 36.88 करोड़ जमा किये गये जिसके परिणामस्वरूप ₹ 15.48 करोड़ सेस कम जमा कराये गये जिसका विवरण नीचे सारणी में दिया गया है:

| k; k | ; k 3-15

(djkM+₹)

०e ; k	i h, l ; wdk uke ; k	bdkbj; k dh ; k	fd, x, fuelk dk; l ॥ व्वst fgr॥	Tkek dj us ; k; ;	Tkek fd; k x; k ;	de Tkek fd; k x; k ;
1.	यूपीआरएनएन	30 ²¹³	2293.92	22.94	13.32	9.62
2.	यूपीएसबीसीएल	29 ²¹⁴	2463.71	24.64	21.80	2.84
3.	यूपीएवीपी	03 ²¹⁵	118.15	1.18	0.71	0.47
4.	यूपीजेएन	05 ²¹⁶ ; lk	359.91 5235.69	3.60 52.36	1.05 36.88	2.55 15.48

ग्रोत पीएसयू द्वारा प्रदत्त सूचना।

सेस जमा करने में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की विफलता के परिणामस्वरूप न केवल सेस अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन नहीं हुआ और बोर्ड के संसाधनों में कमी (शॉटफॉल) आई लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को ब्याज और दण्ड को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी भी बनाया गया।

यूपीएसबीसीएल द्वारा बताया (नवम्बर/दिसम्बर 2013) गया था कि लेखा परीक्षा द्वारा जाँच की गयी 29 इकाईयों का कुल टर्नओवर ₹ 2,189.96 करोड़ था जिसके विरुद्ध

²¹¹ दो प्रतिशत प्रतिमाह की दर पर।

²¹² सेस की धनराशि से अधिक नहीं।

²¹³ अनुरक्षण इकाई, लखनऊ; सैफई इकाई-I; सुल्तानपुर इकाई; गोरखपुर इकाई; एमकेआरएसएस (ई) इकाई, लखनऊ; इकाई-11 (पूर्व इकाई-2), लखनऊ; इकाई-11 (पूर्व उद्यान इकाई), लखनऊ; इकाई-12 (पूर्व एसपीएलएम गैलरी इकाई), लखनऊ; पीजीआई इकाई-I, लखनऊ; बलरामपुर अस्पताल इकाई, लखनऊ; इकाई-15, लखनऊ; सूडाइकाई-1, लखनऊ; इंजीनियरिंग कॉलेज इकाई, अम्बेडकर नगर; इकाई-I, अम्बेडकर नगर; मीरजापुर इकाई; प्रतापगढ़ इकाई; सूडा इकाई, मथुरा; मैनपुरी इकाई; सोडिक इकाई-2, इटावा; सैफई इकाई, इटावा; कानपुर इकाई-1ए; सूडा इकाई-I, कानपुर; इकाई-II, वाराणसी; सूडा इकाई, गाजियाबाद; गाजियाबाद इकाई; इकाई-10, लखनऊ; यूपीटीयू इकाई, लखनऊ; इकाई-21, लखनऊ; ग्रेटर नौएडा इकाई एवं इकाई-21ए, लखनऊ।

²¹⁴ आगरा; अलीगढ़; इलाहाबाद; आजमगढ़; बांदा; बरेली; बस्ती; बीसीयू-I, लखनऊ; बीसीयू-II, लखनऊ; बुलन्दशहर; चित्रकूट; देवरिया; इटावा; फतेहपुर; गाजियाबाद; गोरखपुर; जौनपुर; कन्नौज; लखीमपुर खीरी; मथुरा; मेरठ; मीरजापुर; उरई; प्रतापगढ़; रामपुर; सहारनपुर; सन्त कबीर नगर; सुल्तानपुर और वाराणसी-1।

²¹⁵ निर्माण इकाई, महोबा; निर्माण खण्ड-19, लखनऊ और निर्माण खण्ड-26, मुरादाबाद।

²¹⁶ खण्ड-33, सीएणडीएस, इलाहाबाद; इकाई-45, सीएणडीएस, नोएडा; इकाई-28, सीएणडीएस, नोएडा; इकाई-16, सीएणडीएस, बिजनौर और यमुना प्रदूषण कन्ट्रोल इकाई, आगरा।

₹ 21.80 करोड़ का सेस जमा करना आवश्यक था जो विधिवत् रूप से बोर्ड के पास जमा किया गया। इसमें आगे कहा गया कि बोर्ड द्वारा कोई ब्याज का दावा किया/लगाया नहीं गया था।

उत्तर सही नहीं है क्योंकि यूपीएसबीसीएल द्वारा टर्नओवर में सेन्ट्रेज सम्मिलित नहीं है जबकि श्रम कल्याण बोर्ड, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी (अक्टूबर 2011) स्पष्टीकरण के अनुसार सेस सेन्ट्रेज सहित निर्माण की कुल लागत पर भुगतान किया जाना है। इसके अतिरिक्त, बोर्ड को सेस जमा करने में देरी के परिणामस्वरूप यूपीएसबीसीएल को ब्याज और दण्ड का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी बना दिया गया।

यूपीएवीपी द्वारा बताया (नवम्बर 2013) गया कि सेस जमा करने के लिए विनिर्देश सरकार द्वारा फरवरी 2010 में निर्गत किये गये थे और सेस जमा करने के लिये आवश्यक निर्देशों को मई 2010 में अपनी इकाइयों को यूपीएवीपी द्वारा निर्गत किये गये थे, इसलिये उक्त निर्देश/अनुदेश के जारी होने के पूर्व किये गये कार्य से सम्बन्धित सेस जमा करना सम्भव नहीं था। इसके अतिरिक्त, पूर्ण हो चुके निर्माण कार्यों पर सेस के भुगतान के लिए आगणनों में संशोधन से सम्बन्धित कोई निर्देश सरकार से प्राप्त नहीं हुये थे। यह आगे कहा गया कि देय सेस की गणना करते समय लेखा परीक्षा द्वारा सामग्री की लागत सम्मिलित की गयी थी जबकि सेस का भुगतान केवल श्रम भाग पर करना है क्योंकि सामग्री ठेकेदारों को यूपीएवीपी द्वारा निःशुल्क प्रदान की जाती है।

हम उत्तर को स्वीकार नहीं करते हैं क्योंकि सरकार द्वारा फरवरी 2010 में जारी निर्देशों के अनुसार, प्रावधानों को फरवरी 2009 से लागू किया गया था। इसलिए, यूपीएवीपी द्वारा फरवरी 2009 के बाद से किये गये निर्माण कार्यों की कुल लागत पर (श्रम और सामग्री की लागत सहित) सेस जमा करना आवश्यक था जिसके लिये जहाँ कहीं भी आवश्यक था, आगणनों में संशोधन किया जाना चाहिये था।

ठेकेदारों के बिलों से सेस की कम कटौती

3-19-3 सेस नियमों के नियम 4(3) के अनुसार, जहाँ किसी सरकार या सार्वजनिक उपक्रम के भवन और अन्य निर्माण कार्य पर सेस भारित है, उस सरकार या सार्वजनिक उपक्रम द्वारा ऐसे कार्यों के लिए भुगतान किए गये बिलों में से अधिसूचित दर से देय सेस की कटौती की जाएगी। राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट किया (फरवरी 2010)²¹⁷ कि सेस की राशि बिलों में से काटी जायेगी और कल्याण बोर्ड के पास जमा की जायेगी, उसी तरह जैसे आयकर की कटौती उदगम पर की जाती है।

हमने देखा कि दो पीएसयू (यूपीआरएनएन और यूपीएवीपी)²¹⁸ द्वारा फरवरी 2009 से मार्च 2013 की अवधि के दौरान ₹ 1,483.65 करोड़ का कार्य ठेकेदारों के माध्यम से निष्पादित किया गया और इसके लिए ठेकेदारों के बिलों से ₹ 14.84 करोड़ सेस की कटौती आवश्यक थी लेकिन दोनों पीएसयू द्वारा मात्र ₹ 0.80 करोड़ की कटौती की गयी जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदारों को देय बिलों में से ₹ 14.04 करोड़ सेस की कम कटौती की गयी जिसका विवरण नीचे निम्न सारणी में दिया गया है:-

| क्ष. क्ष. | क्ष. क्ष. 3-16

क्ष. क्ष. क्ष. क्ष.	क्ष. क्ष. क्ष. क्ष.	क्ष. क्ष. क्ष. क्ष.	क्ष. क्ष. क्ष. क्ष.	क्ष. क्ष. क्ष. क्ष.	क्ष. क्ष. क्ष. क्ष.	क्ष. क्ष. क्ष. क्ष.	क्ष. क्ष. क्ष. क्ष.
०१ १ क्ष. क्ष.	१ क्ष. क्ष. ; वृक्ष क्ष.	बृक्ष क्ष. क्ष. क्ष. क्ष. क्ष. क्ष.	बृक्ष क्ष. क्ष. क्ष. क्ष. क्ष. क्ष. क्ष.				
1.	यूपीआरएनएन	10 ²¹⁹		1245.67	12.46	--	12.46
2.	यूपीएवीपी	05 ²²⁰		237.98	2.38	0.80	1.58
		; क्ष.		1483.65	14.84	0.80	14.04

प्रातः पीएसयू द्वारा प्रदत्त सूचना /

²¹⁷ आदेश संख्या— 392/36-2/2010 दिनांक 26 फरवरी 2010।

²¹⁸ चूँकि यूपीएसबीसीएल सारे कार्य बिना ठेकेदारों को दिये सम्पन्न करता है और यूपीजेएन ठेकेदारों के बिलों से सेस की आवश्यक धनराशि की कटौती करता है इसलिए यह पीएसयू सम्मिलित नहीं किये गये।

²¹⁹ पीजीआई इकाई-I, लखनऊ; इकाई-19, लखनऊ; इको पार्क इकाई-2, लखनऊ; बाबासाहेब डा० भीम राव अम्बेडकर विश्वविद्यालय इकाई, लखनऊ; इंजीनियरिंग कॉलेज इकाई, अम्बेडकर नगर; एमकेआरएसएस एन्ड्रैन्स प्लाजा इकाई, लखनऊ; इकाई-3, नोएडा; सूडा इकाई-I, मेरठ, इकाई-10, लखनऊ एवं गाजियाबाद इकाई।

²²⁰ निर्माण इकाई, महोबा; निर्माण खण्ड-23, बरेली; निर्माण खण्ड-19, लखनऊ; निर्माण खण्ड-34, वाराणसी एवं निर्माण खण्ड-26, मुरादाबाद।

सेस की कम कटौती के परिणामस्वरूप न केवल अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया बल्कि उतनी राशि से ठेकेदारों को अनुचित लाभ प्रदान किया गया।

यूपीएवीपी द्वारा बताया (नवम्बर 2013) गया कि सेस की कटौती के सम्बन्ध में निर्देश शासन द्वारा फरवरी 2010 में निर्गत किये गये थे और कटौती के लिए आवश्यक निर्देश यूपीएवीपी द्वारा अपनी इकाइयों को मई 2010 में निर्गत किये गये थे। ठेकेदारों के बिल से सेस की कटौती करके बोर्ड के पास नियमित रूप से मई 2010 से जमा किया जा रहा है।

हमें उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि फरवरी 2009 के बाद किये गये निर्माण कार्य पर सेस यूपीएवीपी द्वारा ठेकेदारों के बिलों से कटौती कर जमा किया जाना था।

सेस अधिनियम और सेस नियमों के क्रियान्वयन में विलम्ब

3-19-4 हमने पाया कि यद्यपि, सेस अधिनियम और सेस नियम के प्रावधान फरवरी 2009 से लागू किये गये थे, यूपीआरएनएन और यूपीएसबीसीएल द्वारा अपनी इकाइयों को निर्देश क्रमशः फरवरी 2010 और मार्च 2010 में निर्गत किये गये थे जिसके परिणामस्वरूप सेस अधिनियम और सेस नियमों के क्रियान्वयन में विलम्ब हुआ। मध्यवर्ती अवधि अर्थात् जनवरी 2009 से जनवरी/फरवरी 2010 के दौरान इन पीएसयू द्वारा न तो सेस सम्मिलित करके कोई आगणन/संशोधित आगणन तैयार नहीं किया तथा न ही सेस की धनराशि बोर्ड के पास जमा कराया। इन पीएसयू ने ₹ 4,988.87 करोड़²²¹ का कार्य फरवरी 2009 से मार्च 2010 की अवधि के दौरान निष्पादित किया गया।

यूपीएसबीसीएल द्वारा बताया (नवम्बर 2013) गया कि उनके द्वारा वर्ष 2009–10 के लेखों में सेस के भुगतान के लिए ₹ 4.45 करोड़ का प्रावधान किया गया था जिसका आगामी वर्षों में भुगतान किया गया। आगे कहा गया कि निर्माणाधीन कार्यों, जिसमें सेस का प्रावधान नहीं किया गया था, के संशोधित अनुमान या तो प्रस्तुत किये गये हैं या प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सेस अधिनियम और सेस नियमों के क्रियान्वयन में हुए विलम्ब का कोई कारण नहीं बताया गया।

इन कार्यों में सेस के प्रावधान/भुगतान तथा वसूली की स्थिति यूपीआरएनएन द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गयी।

प्रकरण शासन को जून 2013 में प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2013)।

I kekk;

3.20 y[kk i jh{kk i frouku ij vukkeh dk; blgh

3.20.1 भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सरकार के विभिन्न कार्यालयों एवं विभागों में रखे गये खातों एवं अभिलेखों के प्रारम्भिक निरीक्षण के साथ प्रारम्भ की गयी संवीक्षा की प्रक्रिया के चरमोत्कर्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि कार्यकारी से उपयुक्त एवं समय से उत्तर प्राप्त हों।

वर्ष 2007–08 से 2011–12 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधान मंडल के पटल पर क्रमशः फरवरी 2009, फरवरी 2010, अगस्त 2011, मई 2012 एवं सितम्बर 2013 में रखे गये थे। वर्ष 2007–08 से 2010–11 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) तथा वर्ष 2011–12 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) में सम्मिलित 22 विभागों के अन्तर्गत पीएसयू से सम्बन्धित 108 प्रस्तरों/निष्पादन लेखा परीक्षाओं में से 81 प्रस्तरों/निष्पादन लेखा परीक्षाओं से सम्बन्धित उत्तर शासन से 30 सितम्बर 2013 तक प्राप्त नहीं हुए जैसा कि नीचे इंगित किया गया है:

²²¹ यूपीआरएनएन—₹ 4,122.80 करोड़ और यूपीएसबीसीएल—₹ 866.07 करोड़।

| क्र.ख | दि. 3-17

y[kk i jh[kk i froru d[o'v]	y[kk i jh[kk i froru e[dy i Lrj@ fu'i knu y[kk i jh[kk	i Ecfu/k[fo[dkd dh I [; k	i Lrj@fu'i knu y[kk i jh[kk dh I [; k ftuds mRrj i kl[r ugh g[s
2007-08	33	9	16
2008-09	27	22	22
2009-10	16	7	12
2010-11	16 ²²²	7	15
2011-12	16	5	16
;	108		81

विभागवार विश्लेषण *i fff k'V&27* में दिया गया है। ऊर्जा विभाग उत्तर न भेजने हेतु मुख्य रूप से उत्तरदायी था।

सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (कोपु) के प्रतिवेदनों का अनुपालन

3.20.2 वर्ष 1999–2000 से 2010–11 तक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) तथा वर्ष 2011–12 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) में, 360 प्रस्तर तथा 51 निष्पादन लेखा परीक्षाएँ सम्मिलित की गयी थीं। इनमें से, 30 सितम्बर 2013 तक, 125 प्रस्तरों एवं 22 निष्पादन लेखा परीक्षाओं पर कोपू द्वारा चर्चा की गयी थी। वर्ष 1978–79 से 2006–07 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के 113 प्रस्तरों एवं 20 निष्पादन लेखा परीक्षाओं के संबंध में कोपू ने संस्तुतियाँ की थीं।

कोपू की कार्य-प्रणाली नियमावली²²³ के अनुसार, सम्बन्धित विभागों को कोपू की संस्तुतियों पर कार्यान्वयन आख्या (एटीएन) तीन माह के अंदर प्रस्तुत करना आवश्यक है। हालांकि, विभागों द्वारा एटीएन हमें कोपू द्वारा एटीएन पर चर्चा के समय ही उपलब्ध कराये जाते हैं।

लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित सतत अनियमितताओं के प्रकरणों पर की गयी कार्यवाही

3.20.3 कोपू द्वारा सतत प्रकृति की अनियमितताओं की चर्चा में सुविधा एवं सहायता के दृष्टिकोण से, सम्बन्धित लेखापरीक्षित निकाय द्वारा की गई सुधारात्मक कार्यवाही को सत्यापित करने का प्रयास किया गया है। सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित परिणाम *i fff k'V&28* और सांविधिक निगमों से सम्बन्धित परिणाम *i fff k'V&29* में दिये गए हैं।

निरीक्षण प्रतिवेदनों, ड्राफ्ट प्रस्तरों और निष्पादन लेखा परीक्षाओं पर प्रतिक्रिया

3.20.4 लेखा परीक्षा के दौरान संज्ञान में आये तथा तत्काल निस्तारित न हुए लेखा परीक्षा प्रेक्षणों को सार्वजनिक उपक्रमों के प्रमुखों को निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से संसूचित किया जाता है। सार्वजनिक उपक्रमों के प्रमुखों को, निरीक्षण प्रतिवेदनों के उत्तर, चार सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराना अपेक्षित होता है। 60 सार्वजनिक उपक्रमों से सम्बन्धित मार्च 2013 तक निर्गत किये गये निरीक्षण प्रतिवेदनों से यह परिलक्षित होता है कि 3,522 निरीक्षण प्रतिवेदनों से सम्बन्धित 14,306 प्रस्तर सितम्बर 2013 के अंत तक अनिस्तारित रहे। 30 सितम्बर 2013 के अंत तक विभागवार अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा लेखा परीक्षा प्रेक्षणों का विश्लेषण *i fff k'V&30* में दिया गया है।

इसी प्रकार, सार्वजनिक उपक्रमों की कार्यप्रणाली पर ड्राफ्ट प्रस्तर एवं निष्पादन लेखा परीक्षाएँ प्रमुख सचिव, वित्त और सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव को अद्वैशासकीय पत्र द्वारा छः सप्ताह के अंदर तथ्यों एवं आँकड़ों की पुष्टि एवं उन पर उनकी टिप्पणियों की अपेक्षा सहित प्रेषित की जाती हैं। मई एवं अक्टूबर 2013 के मध्य विभिन्न विभागों को अग्रसारित 19 ड्राफ्ट प्रस्तरों एवं एक निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में से केवल निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का उत्तर प्राप्त हुआ है तथा किसी भी ड्राफ्ट प्रस्तर के उत्तर शासन से अभी तक प्राप्त नहीं हुए थे (दिसम्बर 2013), जिसका विवरण *i fff k'V&31* में दिया गया है।

²²² उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड की चीनी मिलों के विक्रय पर पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को सम्मिलित करते हुए।

²²³ शासकीय अधिसूचना संख्या-836 /वीएस/ संसदीय /85 (सी) / 2005 दिनांक 28 मार्च 2005।

हम संस्तुत करते हैं कि सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि (अ) उन कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की प्रक्रिया अस्तित्व में रहे, जो निरीक्षण प्रतिवेदनों/झापट प्रस्तरों/निष्पादन लेखा परीक्षाओं के उत्तर तथा कोपू की संस्तुति पर कार्यान्वयन आख्या निर्धारित समय सीमा के अंदर प्रेषित करने में विफल रहे हैं, (ब) समयबद्ध कार्य योजना के अन्तर्गत हानि/बकाया अग्रिम/अधिक भुगतान को वसूल करने की कार्यवाही और (स) लेखा परीक्षा प्रेक्षणों के उत्तर देने की प्रक्रिया को सुदृढ़ कर दिया गया है।

y[kuÅ
fnukd

Werk , I - pkSkjh/
egky[kkdkj kFFkd , oajktLo {k= ys[kk ijh{kW/
mRrj insk

i frgLrk{kfjr

ubZ fnYyh
fnukd

½ kf k dktr "kekk/
Hkkjr ds fu; #d&egky[kkijh{kdk